खण्ड-277, अंक-7
बुधवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1891
(30 जुलाई, 1969 ई0)

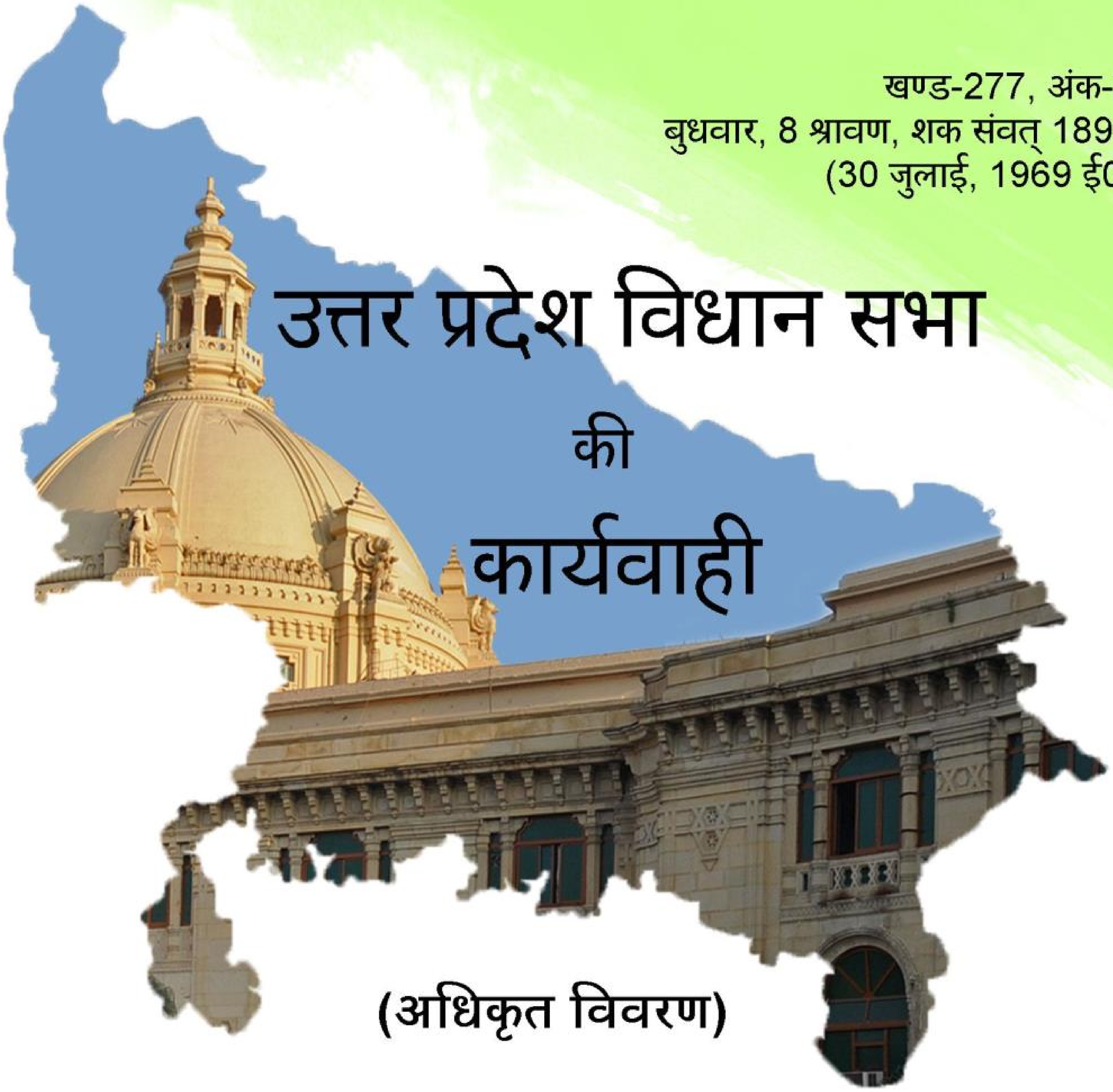

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	६०७–६११
प्रश्नोत्तर	६१२–६४१
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	६४१
राष्ट्रीय पताका को सदन में उचित स्थान पर लगाने की प्रार्थना ..	६४१–६४२
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	६४२
सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) ..	६४३–६५७
राजस्व मंत्री द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	६५७–६५८
१९६९–७० के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १– वृहत जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (जारी)	६५९–६८८
साहू केमिकल्स, वाराणसी में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	६८९
कार्य–स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें (जारी) ..	६८९
सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय के स्थगन की सूचना	६८९
कार्य–स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें ..	६९०–६९१
१९६९–७० के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १–वृहत जोतकर, अनुदान संख्या २—भू–राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८–दुर्भिक्ष सहायता (जारी)	६९१–६९८
नत्थियां	६९९–७१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पान्डेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंदल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तेज नारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देन्वेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर,, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री

नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नाराण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीसिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री

राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिंडारा, श्री

शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवबक्श सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह ,श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह,श्री
सरस्वती देवी,श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त, काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार ३० जुलाई, १९६९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

वृत्ति कर समाप्त करन की मांग

****१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के समक्ष वृत्ति कर को समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो विधिवत् घोषणा कब तक करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

सरकार के समक्ष वृत्ति कर समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कर जब देश पर विदेशी आक्रमण हुआ था तब लगाया गया था। इसी तरह से लगान भी बढ़ाया गया था। लगान तो समाप्त कर दिया गया है परन्तु आक्रमण के समाप्त होने के बाद भी यह वृत्ति कर समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, यह वृत्ति कर सन् १९६५–६६ में लगा था और यह कोई आक्रमण के कारण लगा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि यह प्रदेश के संसाधन बढ़ाने के लिये लगाया गया था। साधनों में कमी न आ जाय इस विशेषता के कारण यह समाप्त नहीं किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वृत्ति कर से प्रदेश को कितनी आय हो रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे पास इस समय पूरी धनराशि का व्योरा नहीं है।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, इसी प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कई बार चर्चा की है कि यह कर मनोवैज्ञानिक नहीं है और यह उचित नहीं है। वे इस प्रकार का विचार सार्वजनिक रूप में भी प्रकट कर चुके हैं। तो क्या सरकार इसके समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मेरी दृष्टि में तो एक ही अवसर आया जब कि माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा की थी और वह फाईनेन्स कमीशन के सामने था और उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मनोवैज्ञानिक नहीं है बल्कि इतना कहा कि इस कर के सम्बन्ध में कर-जांच समिति ने एक प्रतिवेदन में जिक्र किया कि यह जो वृति कर है इसको लोकल बाडीज को दे दिया जाय तो अच्छा है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह कर मनोवैज्ञानिक नहीं है।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

प्रदेश में, अध्यक्ष महोदय, कुल कितना बिक्री कर बाकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मेरे पास इस समय सूचना नहीं है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मृत्यु कर केन्द्रीय सरकार के आदेश पर लगा है और यह इस प्रदेश के अलावा और प्रदेशों में भी लगा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मेरा विश्वास है श्रीमन् कि माननीय सदस्य वृत्ति कर को मृत्यु कर समझ बैठे हैं । मैं उन्हें बतला दूं कि वृत्ति कर और मृत्यु कर दोनों अलग-अलग चीजें हैं ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलदन्शहर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ६५-६६ से यह कर लगाया गया था । क्या उस समय से किन्हीं सालों का कुछ कर बकाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन्, जहां तक मुझे मालूम है, अब तक जो सूचना है, उनसे मैं यह तो आंकड़े नहीं दे सकता कि कितना बकाया पड़ा है । किन्तु कुछ बकाया अवश्य पड़ा होगा । इतनी बात जरूर है कि ३१-३-६९ तक हमको उससे लगभग १५० लाख रुपया मिल चुका है ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि आम तौर पर प्रोफेशन टैक्स बड़े लोगों पर ही लगाया जाता है और वे लोग काफी इवेजन कर रहे हैं, तो क्या मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे कि लोग इसके देने से बच न जांय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यह टैक्स ३५०० रुपया से ऊपर आय वालों पर लगता है और १२ रुपया से २५० रुपया तक उसकी सीमा है ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात की चर्चा है कि इस बजट में यह टैक्स माफ कर दिया जायगा, यदि ऐसा है तो फिर वह माफ क्यों नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यह चर्चा तो उसमें नहीं है कि यह टैक्स माफ कर दिया जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जब यहां संविद की सरकार थी और आप लोग विपक्ष में थे, उस समय आपने वृत्ति कर को समाप्त करने की मांग की थी । अब उसको समाप्त न करने का औचित्य क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने ऐसी मांग नहीं की ।

श्री दीपनारायण मणि--

श्रीमन्, मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि माननीय राज्यपाल के भाषण में इसकी चर्चा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको उनके पास भेज दें ।

भूमि-भवन कर

**२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री भूमि भवन कर, जो इस समय निलम्बित है, को समाप्त करने की घोषणा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

इस समय जो स्थिति है अभी उसको कायम रखने का विचार है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि संविद सरकार ने इस टैक्स को हटा दिया था, केवल कुछ वैधानिक प्रक्रिया बाकी थी और आप भी जब विरोधीपक्ष में थे तो इसको हटाना चाहते थे, लेकिन अब उसको हटाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

अभी इसको हटाना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सरकार इस कर को हटाना कब मुनासिब समझेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

पहले टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाय और फिर फाइनेंस कमीशन जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बैठाया है, उसकी रिपोर्ट पर गौर हो जाय, तब इसके बारे में कुछ सोचा जायगा ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि संविद सरकार के मंत्रिमंडल ने इस भूमि-भवन कर को समाप्त करने का निर्णय लिया था और उसकी वसूली स्थगित कर दी थी और जब यह कांग्रेस दल विपक्ष में बैठा हुआ था तो माननीय गुप्ता जी ने प्रोफेशन टैक्स और भूमि-भवन कर को समाप्त करने की मांग की थी फिर आज उसको समाप्त न करने का सरकार के पास क्या औचित्य है और इस विषय में प्रदेश की जनता को अनिश्चितता की स्थिति में क्यों रखे हुए हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इस सदन को अधिकार है कि वह जो चाहे करे । उस सदन ने जो किया वह इस सदन पर लागू नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं मंत्री जी ने जो "सदन" शब्द का इस्तेमाल किया है उसके बजाय 'सरकार' शब्द इस्तेमाल करते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि सदन तो कायदे से ही करेगा और उसका कानून लागू रहेगा ।

श्री अतीकुर्रहमान—

श्रीमन्, 'सरकार' ही ठीक है ।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कर के निलम्बन के बाद भी रुपया वसूल किया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

बिल्कुल वसूल नहीं किया जा रहा है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के कारण और बढ़ती हुयी महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर विचार करते हुए वह इसको पुनः लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रदेश में और अधिक साधन किस प्रकार से उपलब्ध किए जांय और मौजूदा साधन जो उपलब्ध ह, वे किस प्रकार से सुरक्षित रखे जांय, ये सारे प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

भूमि-भवन कर जो इस समय भी लागू है किरायेदारों से वसूल किया जाता है । तो क्या सरकार इसे किरायेदारों से वसूल न करके मकान मालिकों से वसूल करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वह तो किरायेदारों से ही वसूल होता है ।

श्री बलबीर सिंह—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसे मकान मालिकों से ही वसूल किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मकान मालिक तो दिया ही करते हैं लेकिन वह किरायेदारों से वसूल होता है ।

श्री रियासत हुसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि यह भूमि-भवन कर इसी सदन के द्वारा लगाया गया था और इसी सदन के द्वारा वह समाप्त हो गया, लेकिन कुछ संवैधानिक आपत्तियों के कारण वह अभी तक बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है तो इसे दुबारा लागू करने के लिये क्या हाउस में लाना चाहते हैं या ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से ही लागू करना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जब तक कानून में कोई परिवर्तन न हो या वे भंग न किये जांय तब तक उसके सदन में लाने का प्रश्न नहीं उठता । मैंने अभी निवेदन किया कि प्रदेश में और अधिक साधन किस प्रकार से उपलब्ध किए जांय और जो साधन उपलब्ध हैं, उन्हें किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाय, ये सारे प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

**३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

(१ अगस्त, १९६९ के लिये स्थगित ।)

श्री अध्यक्ष—

श्री नित्यानन्द जी ने प्रार्थना की है कि वे बाहर जा रहे हैं इसलिए उनका यह प्रश्न पहली तारीख को ले लिया जाय । अतः इस प्रश्न को आज नहीं ले रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न

हल्द्वानी लैंडिग ग्राउण्ड पर व्यय

*१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि जिला नैनीताल में लैंडिग ग्राउन्ड हल्द्वानी के कार्य का कुल मूल्यांकन क्या था और अब तक कितनी धनराशि का भुगतान हो चुका है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)—

नैनीताल में हल्द्वानी लैंडिग ग्राउन्ड का कार्य सन् १९४९ से १९५१ तक हुआ था। इस कार्य का कुल मूल्यांकन ४५,६०० रुपये था। इसमें से ४४,५२२ रुपये कुल व्यय हुआ।

श्री इन्द्रलाल—

ठेकेदार से इस कार्य पर जमानत तथा अर्नेस्ट मनी का कितना रुपया जमा कराया गया और महालेखाकार के हिसाब से कितना एक्सेस पेमेंट ठेकेदार से कराया गया ?

चौधरी गिरधारी लाल—

३,१७७ रुपया एक्सेस पेमेंट था और शायद ३,३१६ रुपया जमा था। इसी में से एक्सेस पेमेंट काट कर १२६ या १३९ रुपया बाकी है जो कि उसने वापस नहीं लिया।

श्री इन्द्रलाल—

जो ठेकेदार का जमानत का रुपया वसूल करने के बाद बच रहता है उसको कब तक वापस करने का विचार रखते हैं ?

चौधरी गिरधारी लाल—

वह तो तीन साल के अन्दर किसी भी वक्त उसको ले सकता है अगर आगे के लिए काम नहीं करना है तो।

नगरपालिकाओं में प्रधान लिपिक व चुंगी अधीक्षक के पदों का प्रान्तीयकरण करने की मांग

*२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं के प्रधान लिपिक मुख्य चुंगी अधीक्षक के पदों का प्रान्तीयकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अतीकुर्रहमान—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद—

जब प्रान्तीयकरण की नीति मान ली गयी है तो द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं पर यह कानून लागू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इस नीति को मान कर १९ सर्विसेज को जिसमें ७६ पोस्टें हैं सेंट्रलाइज किया गया है और इस उसूल पर कि जिनकी तनख्वाह बहुत कम है उनको छोड़ दिया गया है। लिहाजा जिनके बारे में आपने फ़रमाया है उनको सेंट्रलाइज नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

प्रांतीयकरण की नीति जब से पालन की जा रही है, नगरपालिकाओं में अनुशासनहीनता बढ़ गयी है और इसको देखते हुए ओवरसियर और सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट्स को फिर से विकेंद्रीकरण करने का मंत्री जी निर्णय लेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री अतीकुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या प्रांतीयकरण की मांग निरन्तर द्वितीय श्रेणी के लोगों की तरफ़ से आ रही है इसका मंत्री जी को पता है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं ।

*३—श्री गंगाप्रसाद—

(प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।)

गोंडा बस्ती तथा गोरखपुर जिलों से टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वजीरगंज, धानेपुर मसकिनवा, बेलसर, तरबगंज (जिला गोंडा), हल्लौर, नवगढ़, शोहरतगढ़, उस्काबाजार, खलीलाबाद (जिला बस्ती) वृजमनगंज, आनन्दनगर (जिला गोरखपुर) स्थानों को धारा ३३७ (१) यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के आधार पर टाउन एरिया अथवा नोटीफाइड एरिया घोषित करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नोटीफ़ाइड एरिया यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३३७ तथा टाउन एरिया, यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३ के अन्तर्गत बनाने का अधिकार शासन को है। शोहरतगढ़ को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नोटीफ़ाइड एरिया अथवा टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है। आशा की जाती है कि शोहरतगढ़ के संबंध में शीघ्र निर्णय ले लिया जायगा। खलीलाबाद पहले से ही नोटीफ़ाइड एरिया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन स्थानों में से और कहां-कहां से जनता ने प्रार्थना-पत्र नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया बनाने के लिये दिये हैं?

श्री अतीकुर्रहमान—

इन जगहों के अलावा और कहीं के लोगों ने नहीं दिये हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

शोहरतगढ़ के अलावा और स्थानों में इनको बनाने का विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इसकी कोई तजवीज सरकार के सामने नहीं आई है। इसलिये विचार नहीं हो रहा है ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

हमारे प्रदेश में बहुत सी ग्राम सभायें ऐसी हैं जिनकी आबादी ८-१० हजार है तो क्या नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया बनाने के लिए फिर से सर्वे करायेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इस वक्त इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नोटीफ़ाइड एरिया और टाउन एरिया बनाने का क्या आधार है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नोटीफाइड एरिया के लिये २० हजार की आमदनी और टाउन एरिया के लिये ५ हजार की आमदनी देखी जाती है ।

एक सदस्य—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि इस आधार पर किसी ग्राम सभा को एन०ए० और टी०ए० में बदल देते हैं तो क्या वे किसी भी ग्राम सभा का प्रार्थना पत्र आने पर ऐसा कर देंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह आधार कानूनी नहीं है, म्युनिसिपल ऐक्ट में, लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया वह सिर्फ सरकार ने जांच का तरीका अख्तियार किया हुआ है । आम तौर से आबादी से ज्यादा आमदनी को अहमियत दी जाती है ।

श्री रियासत हुसेन—

क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि टाउन एरिया बनाने का जो आधार है उसका प्रोसीजर बहुत लम्बा है और उसमें दो साल तक लग जाते हैं और नहीं बन पाती । आने वाले कुछ महीनों में ग्राम सभाओं का इलेक्शन होने जा रहा है तो क्या मंत्री जी इससे पहले कोई पालिसी बनायेंगे कि जो इस आधार पर ग्राम सभायें आती हैं वे टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया बना दी जायं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जिन ग्राम सभाओं की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आयेगा और कलेक्टर रिकमेंड करेंगे उन पर गौर करेंगे ।

बदायूं नगरपालिका को सुपरसीड करने की मांग

*५—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार बदायूं नगरपालिका को सुपरसीड करने का विचार कर रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि बदायूं नगरपालिका के काम न करने के कारण वहां के जिलाधीश महोदय ने नगरपालिका के सुपरसेशन की कोई सिफारिश की थी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं । उन्होंने कोई सिफ़ारिश नहीं की ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

बदायूं नगरपालिका के २१ सदस्यों में से १० सदस्यों ने एक स्मरण-पत्र भेजा था सरकार के पास कि नगरपालिका सुपरसीड कर दी जाय, यह क्या वास्तविकता है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सात सदस्यों ने यह पत्र भेजा था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सात सदस्यों ने नगरपालिका जब्त करने के पक्ष में दरख्वास्त दिया था उसमें नगरपालिका की अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया था ? अगर किया था तो कौन सी कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, किया था । इनक्वायरी करायी गयी । इनक्वायरिंग आफिसर ने जून, १९६८ को अपनी रिपोर्ट दी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जो रिपोर्ट है उसे सदन के सामने रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में जिक्र कर दीजिये जो उसने फैसला दिया ।

श्री अतीकुर्रहमान—

चार्जशीट लगायी गयी, २९ नवम्बर, १९६८ को । उसमें एक चार्ज यह था कि उन्होंने रोड्स को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया । दूसरा चार्ज यह था कि सैनिटेशन और ड्रेनेज की हालत बहुत खराब है । तीसरा चार्ज यह था कि गवर्नमेंट के फंड्स को यूटिलाइज नहीं किया गया । तीसरे चार्ज में नम्बर दो यह था कि उन्होंने अपनी वाटर सप्लाई स्कीम का लोन अदा नहीं किया है । उसके अलावा यह था कि फ़ाइनेंशियल कंडीशन खराब है ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह नहीं था । सवाल यह था कि जो इनक्वायरी, जिस कमेटी ने की उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

वह रिपोर्ट मेरे पास यहां नहीं है । सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कृष्ण स्वरूप —

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इनक्वायरिंग आफिसर ने रिपोर्ट नहीं की तो माननीय मंत्री कैसे कह सकते हैं कि जिला अधिकारी ने बोर्ड के सुपरसेशन की सिफारिश नहीं की ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह सही फ़रमाते हैं । यह मैं नहीं कह सकूंगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

माननीय मंत्री ने जो पहले यह उत्तर दिया कि जिलाधीश ने नगरपालिका के सुपरसेशन की कोई सिफारिश नहीं की, वह उत्तर गलत था ?

श्री अध्यक्ष—

जिलाधीश ने नहीं किया लेकिन कमेटी ने किया या नहीं ?

श्री कृष्ण स्वरूप —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया था कि जिलाधीश महोदय ने नगरपालिका के सुपरसेशन की सिफारिश की या नहीं । माननीय मंत्री कह रहे हैं कि इन-क्वायरिंग आफ़िसर की रिपोर्ट नहीं है । इसलिये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट और कमेटी में फर्क है । जिला मैजिस्ट्रेट ने नहीं किया लेकिन कमेटी ने किया, यह नहीं कह सकते ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

कमेटी ने जांच नहीं की । जिलाधीश ने जांच की, इंक्वायरिंग आफिसर ने जांच की। उसकी जांच के आधार पर संस्तुति की या नहीं, यह प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष—

क्या जांच जिला मैजिस्ट्रेट ने की ?

श्री अतीकुर्रमान—

इस जांच का इन्क्वायरिंग आफिसर कौन था इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो मंत्री जी ने कहा कि जिलाधीश अथवा इंक्वायरिंग आफिसर ने कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं दिया है कि बदाय म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड किया जाये तो फिर उन्होंने किस आधार पर यह किया ? आप सदन को यह बतायें कि जिलाधीश या इक्वायरिंग आफिर ने यह कहा है कि सुपरसीड किया जाए या न किया जाये ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

रिपोर्ट नहीं आई है, यही आधार है और इसीलिये कह रहा हूं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

स्वायत्त शासन मंत्री जी के बजाय शर्मा जी ने जवाब दिया कि रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा तो आखिर सच्चाई क्या है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्ण स्वरूप—

जो रिपोर्ट उनके पास आई है, उसे वह सदन में पढ़कर सुना दें ।

श्री अतीकुर्रहमान—

इंक्वायरिंग आफिसर ने एक रिपोर्ट दी और उसके बाद यह चार्ज शीट लगाई गई, लेकिन मेरे पास यह सूचना नहीं है कि इन्क्वायरिंग आफिसर कौन था ? और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा था ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

जिलाधीश की रिपोर्ट है कि उसने बदायूं म्युनिसिपल बोर्ड का सुपरसेशन नहीं रेकमेंड किया, तो वही उनकी रिपोर्ट मंत्री जी सदन में पढ़कर सुना दें ।

श्री अतीकुर्रहमान—

यहां कुछ शिकायतें उस बोर्ड के बारे में की गईं उसकी जांच के लिए यहां से लिखा गया और जो जांच हुई..... (व्यवधान)

श्री हुक्मसिंह (जिला आगरा)—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अतीकुर्रहमान—

तो कुछ शिकायतें आईं और शिकायतें आने पर यहां पर से जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा गया कि उसकी जांच करें, जांच करने पर उन्होंने कोई बड़ी कमी नहीं पाई और यह उन्होंने उनको लिखा कि यह कमी है । इसके ऊपर बदायूं के बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि कमियां दूर करने के लिए हमें मौका दिया जाय । उनको ५ महीने का मौका दिया गया वह अभी ६ महीने नहीं हुए हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कमियां बताईं उसमें एक तो यह है कि वहां की माली हालत ठीक नहीं है और सफाई आदि ठीक नहीं है । सफाई आदि का प्रबन्ध तो बोर्ड का मुख्य कर्त्तव्य है । जो जांच हुई है उस जांच के आधार पर चार्जशीट भी लगाई गई, तो ऐसी गम्भीर जो चीज है उसको ध्यान में रखते हुए क्या यह सदन जान सकता है कि उसको आपने मौका क्यों दे दिया ? दूसरे, क्या आपकी नजर में यह चार्जेज काफी नहीं हैं कि यह म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड कर लिया जाये ?

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं साधारणतः उनको सुपरसीड करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि वहां चुने हुए सदस्य काम करते हैं । यह मानता हूं कि कुछ कमियां हैं तब भी जहां एलेक्टेड मेम्बर्स यह कहते हैं कि हमें एक और मौका दें हम सुधार कर लेंगे तो आप भी ऐग्री करेंगे कि उनको मौका देना चाहिये और यह नहीं कहेंगे कि नहीं देना चाहिये ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या यह सही है कि इसी नगरपालिका की स्थिति को देखकर वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष और एक सदस्य ने त्याग-पत्र दे दिया है?

श्री अतीकुर्रहमान—

मुझको इसकी सूचना नहीं है ।

श्री मोहनलाल कपूर—

यह जो उनको ६ महीने का समय दिया गया है वह कौन-सी तारीख से आरम्भ होता है और उसमें कितना समय शेष है ?

श्री अध्यक्ष—

आप उनसे बाद में पूछ लीजियेगा ।

नैनीताल तहसील में गहना नदी पर पुल की आवश्यकता

*६—श्री इन्द्र लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जिला नैनीताल की तहसील नैनीताल में ग्राम सभा गहना व अनर्पा के बीच गहना नदी पर पुल न होने से मौसम बरसात में ग्राम जनता का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? इस नदी पर पुल के निर्माण कार्य के लिये क्या सरकार ने तखमीना बनवाया है ? यदि हां, तो उस पर कम से कम कितना रुपया खर्च होगा ?

चौधरी गिरधारी लाल—

ग्राम सभा गहना व अनर्पा के बीच पड़का गाड नदी बहती है। इन ग्रामों के बीच का मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है तथा इस मार्ग पर पुल बनाने की कोई योजना नहीं है।

श्री इन्द्रलाल—

पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थान ऐसे हैं जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग के पुल बने हैं। क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय मालूम करेंगे कि पिछड़े हुए क्षेत्रों की स्थिति पर गम्भीरता से विचार करके वहां के आवागमन के लिए पुल बनने पर विचार करेंगे ?

चौधरी गिरधारी लाल—

यहां पर यदि कोई हमदर्दी की बात कही जाय तो उसे आश्वासन मानकर पकड़ होती है। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य मुझ से दफ्तर में मिलें तो जो कुछ होगा वह करूंगा।

बेल्थरा रोड टाउन एरिया का चुनाव

*७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत बेल्थरा रोड को सरकार ने टाउन एरिया घोषित किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त टाउन एरिया में ग्राम चुनाव कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, २५ अप्रैल, १९६६ को किया है। इस टाउन एरिया का चुनाव अन्य स्थानीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के साथ कराने का प्रस्ताव है।

(स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

माननीय मंत्री दूसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं, उनसे कहा जाय कि वे पहले कागजों को ठीक से देख लें तब उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

कागज कभी उलझ जाते हैं तो इसी तरह से परेशानी हो जाती है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हैं उनके आज के प्रश्नों को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं मानता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या यह सही है कि बिल्थरा रोड टाउन एरिया घोषित होने के पहले एक गांव सभा थी और उस समय बिल्थरा रोड गांव सभा में जो गांव शामिल थे (१) उमरतानी और (२) नागीपुरा और जिसमें हरिजन व पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं उनको टाउन एरिया बनाने के बाद उसके क्षेत्र से निकाल दिया गया है और बीबीपुर जो इस टाउन एरिया में बहुत दूर है और जो आज भी चकबन्दी क्षेत्र के अन्दर है उसको मिला दिया गया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यहां से हरिजनों को नहीं निकाला गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरा प्रश्न यह है कि इसके पहले बिल्थरा रोड गांव सभा थी तो जब टाउन एरिया बनाया गया तो बिल्थरा रोड की कुछ आबादी निकालकर दूसरे गांव बीबीपुर में शामिल कर दी गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मेरी सूचना के मुताबिक बिल्थरा रोड और पुंयार को मिला दिया। जिस गांव का नाम वह ले रहे हैं, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में मालूम करके किसी दूसरे दिन सूचना दे दीजियेगा।

श्री अतीकुर्रहमान—

वह मेरे कमरे में आ जायं तो मैं उनको सूचना दे दूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि टाउन एरिया का चुनाव कब कराने का विचार है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नवम्बर, दिसम्बर में विचार है।

श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि टाउन एरिया बिल्थरा रोड का कितना एरिया लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

उनके कमरे में जाकर पूछ लीजियेगा।

श्री अतीकुर्रहमान—

एरिया मेरे पास लिखा हुआ नहीं है।

श्री धर्मसिंह—

इस टाउन एरिया के पास ३ हजार रुपये की आमदनी भी नहीं थी तब भी इसको टाउन एरिया बना दिया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इसकी आमदनी की सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन कलेक्टर की रिपोर्ट यह थी कि इसको टाउन एरिया बना दिया जाय इसलिये बना दिया गया।

किसानों को भूमि स्वामित्व संबंधी पास बुक

*८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित), श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री यादवेंद्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर), श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी), तथा श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माल मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में किसानों को उनकी भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई पास बुकें देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां ।

इस विषय में अंतिम निर्णय कब तक होगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यहां पर जो श्रीमन, सवाल पूछे जाते हैं तो अपेक्षा यह की जाती है कि उनके उत्तर निश्चित आयें, लेकिन यह देखने में आता है कि मंत्री लोग निश्चित उत्तर न देकर उसको टाल देते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो उत्तर दें वह निश्चित रूप से होना चाहिये कि यह विचाराधीन है और फलां तारीख तक निर्णय हो जायगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। कारण यह है कि यह सवाल अर्से से सरकार के विचाराधीन है और जब श्री जायसवाल जी वगैरह गवर्नमेंट में थे तब २ फरवरी, १९६८ को मंत्रि-परिषद् का यह फैसला हुआ कि पासबुक नहीं दी जायेगी। इसलिये अब मंत्रि-परिषद् में ही यह मामला तय होगा। तो इस गवर्नमेंट का यह विचार है कि इस पर फिर विचार किया जाय, लेकिन चूंकि यह एक अहम मसला है और यह सारे काश्तकारों से ताल्लुक रखता है, साथ ही दूसरा सवाल यह पड़ता है कि आया यह पास बुक सब काश्तकारों को मजबूरन दिया जाय या उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय तो आमतौर पर ज्यादा फायदा नहीं होगा और अगर उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाय। अगर मजबूरन सबको दिया जाय तो इसके लिये कानून लाना पड़ेगा। जब कानून बनेगा और मंत्रि-परिषद् में तय हो जायेगा तब हम अन्तिम रूप से कह सकेंगे कि फलां तारीख तक यह हो जायेगा। इसलिये जो मैंने जवाब दिया वह कोई टालने की बात नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यह सरकार के विचाराधीन है, तो क्या यह सही है कि एक तरफ तो विचाराधीन है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इसके विरोध में कोई पुस्तिका छपवाकर माननीय सदस्यों के पास भेज दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पुस्तिका जो छपी थी वह संविद सरकार के जमाने में छपी थी। उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनकी जानकारी काश्तकारों को हो जाय तो अच्छी बात है, चाहे किसी तरह की पुस्तिका हो अगर उनसे काश्तकारों के कब्जे में जमीन लेने आदि तमाम चीजों की जानकारी होती है तो उससे लोगों का फायदा ही होगा, ऐसी पुस्तिका के बांटने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सही है कि श्रीमती सुचेता जी की जब कांग्रेस मिनिस्टरी थी, उसने भी इसके हक में कुछ निर्णय लिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सिद्धांत रूप से वह मानते हैं कि किसानों को भूमि संबंधी पास बुक दिये जायं, तो इसमें दिक्कत है कि लेखपालों के पास जो कागजात मौजूद हैं, उनकी नकल छपवा कर काश्तकारों को क्यों न दे दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून की जरूरत है। अगर काश्तकार के ऊपर छोड़ा जाय कि वे पास बुक लें या न लें तब तो कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सबको पास बुक लेने के लिए लाजिमी कर दिया जाय तो उसके लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, यह उन्होंने कहा ।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि देश के कई अन्य प्रदेशों में किसानों को जोत सम्बन्धी पुस्तिका बांटी गयी है—पास बुक के रूप में जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और तामिलनाडू आदि में ? यदि हां, तो जो प्रक्रिया उन प्रदेशों में अपनायी गयी है, क्या आप भी उसको अपनाने के लिये तैयार हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मेरी यह जानकारी नहीं है जो माननीय सदस्य ने दी है । मेरी जानकारी जहां तक है वह यह है कि मध्य प्रदेश ने इस ओर कुछ काम किया था लेकिन आज तक भी उन्होंने पुस्तिकायें नहीं बांटी हैं । मैं स्वयं मैसूर गया था । बंगलौर में जब गया तो उनसे भी पूछा तो वे भी विचार कर रहे हैं । उन्होंने जो वगैरह-वगैरह नाम लिये हैं वे सब सरकारें विचार कर रही हैं । पर किसी ने पुस्तिकायें नहीं बांटी हैं । शायद २ अक्तूबर से बांटे तो बांटे । ऐसी हमारी जानकारी है । यदि माननीय सदस्य की कोई जानकारी हो तो बतला दें ।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

क्या जो पर्चे छपवाकर स्टाक में रखे गये हैं उनको माननीय मंत्री जी बंटवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैंने यह कहा था कि जो पर्चे थे जिसका मैंने जिक्र किया था उसमें किसानों के हित की जानकारी थी । वे बंटे, ठीक नहीं था । उसका कारण दिखलाया गया है कि इसमें कितना नुक्सान होगा, कितना फायदा होगा । उसमें देखा कि नुक्सान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा । काश्तकार कर्जा किस तरह से ले सकते हैं इसकी जानकारी दी है । इसकी जानकारी जरूरी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, यह पुस्तिका बांटे जाने के बाद क्या काश्तकारों को लेखपालों और कानूनगो से राहत मिल जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, यह विचाराधीन सवाल है जो माननीय सदस्य ने पूछा है । हमने एक तरह से निर्णय तो ले लिया है कि हम इसको चालू करेंगे । विभाग का मत यह है कि सारे प्रदेश में चालू करने के बजाय हम किसी एक छोटे एरिया में इसका एक्सपेरीमेन्ट कर लें क्योंकि इससे जो लाभ होने की बात है वह है, लेकिन उसमें इतनी कठिनाईयां हैं कि शायद वह सिर-दर्द फिर शुरू हो जाय । लेखपाल से कानूनगो से छूटना उसके पीछे मुश्किल मालूम होती है । एक मामूली चीज में अर्ज

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

कर दूं। इसमें खास चीज यह है कि हर काश्तकार के पास अपनी चीज अपना कब्जा लिखा होगा। उसकी हैसियत भी उसे मालूम हो जायेगी। यह भी मालूम हो जायेगा कि उसने ऋण लिया और ऋण लेकर अदा कर दिया, तो हर बार उस पर है कि वह लिखे या न लिखे।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरे के कालम ६ और वर्ग ९ को लिखने के कारण पास बुक को देने में कठिनाई है। तो क्या सरकार इनके लिखने की प्रथा को बन्द करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

नहीं इस कारण से नहीं।

टेहरी गढ़वाल जिले में पेय जल योजना को क्षति

*९---श्री इन्द्रमणि---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में कीर्तिनगर-बड़ियारगढ़ मोटर सड़क बनने से पेय जल योजना सांकरों पट्टी चौरास क्षतिग्रस्त हुई है ? यदि हां, तो उसको कब तक बनाया जायगा ?

चौधरी गिरधारीलाल---

जी हां, कथित मोटर मार्ग निर्माण से वहां की पेयजल योजना को क्षति पहुंची है, किन्तु अन्य स्थानों पर भी यह पाइप लाइन क्षतिग्रस्त पड़ी है जिसका सम्बन्ध अन्य विभागों से है अतः इसको ठीक कराने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री इन्द्र मणि---

माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इसके बहुत से हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वे कौन से हिस्से हैं, स्रोत, नदी या यन्त्र ? जब स्रोत को ही क्षतिग्रस्त कर दिया तो अन्य को तो क्षति होनी ही थी ?

चौधरी गिरधारीलाल---

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना आई है उसके हिसाब से सांकरो पट्टी पर ६६० फीट लम्बी पाईप-लाइन इस स्थान पर क्षतिग्रस्त हुई है और इसके अलावा यह है कि यह जो पाईप---लाईन्स हैं जो ग्राम सभा की देखरेख में थी, उसको अच्छी तरह से मेन्टेन नहीं किया गया। लाइन बारिश में खराब हो जाती है इसलिये वह खराब हो गई। विचार किया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है उनसे मिल कर इस मामले को ठीक करा दें।

गाजियाबाद में नालों से पानी निकासी का व्यय

*१०---श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत कुछ कालोनियों में २० पैसे प्रतिगज बाहरी नालों के पानी निकासी का ले रहे हैं और कुछ में ९५ पैसे प्रतिगज ले रहे हैं ? यदि हां, तो यह अन्तर क्यों हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान---

(क) जी हां।

(ख) पुरानी व स्वीकृत उपनिवेशों के उपनिवेशकों से यह आश्वासन था कि उनसे बाहरी नालों के पानी निकासी के लिये उस समय के वास्तविक व्यय के आधार पर २० पैसे प्रति वर्ग

गज लिये जायेंगे। जो कालोनियाँ नई स्वीकृत हुई हैं या हो रहीं है उनसे ९५ पैसे लिये जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान उपनिवेशों से इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट का कोई आश्वासन नहीं है इसलिये उनसे वर्तमान वास्तविक व्यय के अनुसार पूरा दर लिया जा रहा है।

विधायक निवास 'अ' खण्ड के कमरों व फर्नीचर में खराबी

*११—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि विधायक निवास 'अ' खण्ड में दो वर्ष पूर्व जो कमरे नये बनकर तैयार हुए हैं उन कमरों की छतें तथा उनका फर्नीचर इतनी कम अवधि में नष्ट होने लगा है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

चौधरी गिरधारी लाल—

छतों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

फर्नीचर की शिकायतों पर जांच के पश्चात् ठेकेदार की जमानत में से रुपया काट कर मरम्मत कराई गई और संबंधित अभियन्ता को नौकरी से अलग कर दिया गया है।

श्री सूरजलाल—

मेरी यह जानकारी सही है कि नव निर्मित कमरों में बहुत से कमरे खराब हो गये है क्या मंत्रीजी किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

चौधरी गिरधारी लाल—

बिलकुल में करवा लूंगा।

श्री सूरजलाल—

फरनीचर का ठेका किसको दिया गया, कितने का दिया और कितनी सिक्योरिटी काटी गयी है?

चौधरी गिरधारी लाल—

फर्नीचर ३२,८९३ रुपये का था उसमें से ३,९०० रुपया काटा गया है।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कदम उठायेंगे जिसने मेरे कमरे नंबर ३४ की मरम्मत नहीं कराई है और रात-दिन उससे पानी गिरता है, मंत्री जी के कहने के बावजूद भी व्यवस्था नहीं हुई है?

श्री अध्यक्ष—

क्या यह कमरा भी उनमें से ही है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सूरजलाल—

जो फर्नीचर खराब हो चुका है उसका सवाल नहीं है, यह तो दारुलशफा में वैसे ही पड़ा हुआ है।

चौधरी गिरधारी लाल—

जो इत्तला मेरे पास है उसके अनुसार फर्नीचर की परीक्षा टेकनीकल आडिट सेल से करायी गयी। उसकी मरम्मत करायी गयी जिसमें तीन हजार रुपये से अधिक खर्च हुआ और वह उसके अर्नेस्ट मनी में से काट लिया गया। और जो खराब है उसकी मरम्मत करा दी जायगी।

श्री मोहनलाल कपूर—

बिल्डिंग तो खराब है, वहां पानी भी २४ घंटे में किसी वक्त नहीं आता, उसका प्रबंध क्या मंत्री जी करायेंगे?

चौधरी गिरधारी लाल—

दारुलशफा के 'ए' ब्लाक में स्वतंत्र पानी की व्यवस्था हो गयी है। दूसरे ब्लाक में लान की सिंचाई आदि के लिये जो पानी लिया जाता था उसको भी इधर डाइवर्ट कर दिया गया है और मेरा खयाल है अब असुविधा नहीं होगी।

चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

*१२—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), उन्नाव के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो गत तीन वर्ष से अधिक समय से इसी कार्यालय अथवा इसी जिले में कार्य कर रहे है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), उन्नाव के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कुल आठ कर्मचारी हैं जिनमें से तीन इसी कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से है तथा चार कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हे इसी कार्यालय में तीन वर्ष नहीं हुए हैं किन्तु जो इसी जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से हैं। शेष एक को न तो इसी कार्यालय में और न इसी जिले में तीन वर्ष से अधिक हुए हैं।

सहायक चकबन्दी अधिकारी ऊंचागांव के विरुद्ध जांच

*१३—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या डिप्टी डाइरेक्टर चकबन्दी श्री रिजवी ने ए० सी० ओ० सर्किल ऊंचागांव, जिला उन्नाव के विरुद्ध की गई शिकायतों की कोई जांच दिनांक ७ जुलाई, १९६८ और १४ अक्तूबर, १९६८ को की थी ? यदि हां, तो उक्त जांच के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। श्री मेंहदी हसन रिजवी, तत्कालीन उप संचालक चकबन्दी ने सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र, ऊंचागांव, जिला उन्नाव के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच की थी। पत्रावली कार्यालय के अन्य कागजात में खो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली की तलाश जारी है। पत्रावली खाने के लिए जो व्यक्ति दोषी पाये जावेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर जिले में तालमदौर की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

*१४—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि जिला गोरखपुर तहसील सदर में तालमदौर नाम का तालाब सूख कर खेती के काबिल हो गया है ? यदि हां, तो उसका रकबा क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। १३७६ फसली में ताल का रकबा १७१.१६ एकड़ अंकित है जिसमें से २.६० एकड़ जलमग्न है।

*१५—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या यह बात सही है कि इस भूमि पर कुछ पट्टे फौजियों तथा भूमिहीनों को सरकार के आदेश से दिये गये थे और बाकी भूमि पर कुछ बड़े-बड़े जमींदार जबरदस्ती कब्जा किये हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको हटाने की कार्यवाही करेगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

शासन ने भूमि प्रदान करने के आदेश नहीं दिये थे पर ४१ पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किये गये थे। अनधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

लेटरल रोड का निर्माण

*१६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लेटरल रोड को बनाने का काम कब से चल रहा है और ३१ मार्च तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ ?

चौधरी गिरधारीलाल—

उत्तर प्रदेश में लेटरल रोड के बनाने का कार्य वर्ष १९६४–६५ से चल रहा है और ३१ मार्च, १९६९ तक इस कार्य की वित्तीय प्रगति लगभग ६९ प्रतिशत है।

*१७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सड़क का निर्माण दिसम्बर, १९७० तक पूरा हो जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या उस अवधि में यह काम पूरा हो जायगा ?

चौधरी गिरधारीलाल—

भारत सरकार ने इस सड़क को पूरा करने का लक्ष्य मार्च, १९७१ रक्खा है। आशा है उस समय तक यह सड़क यातायात के लिये खुल जायगी।

*१८—श्री इन्द्रमणि—

[२९ जुलाई, १९६९ को प्र० सं० ३३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

लखनऊ में अनधिकृत निर्माणों का गिराया जाना

*१९—श्री रामचन्द्र आजाद (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विनियमित क्षेत्र में १६ अक्तूबर, १९६७ से १५ नवम्बर, १९६७ तक उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों के विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा १० के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा कितने अनधिकृत निर्माणों को गिराने के आदेश जारी किये गये और उनमें से कितने आदेशों के विरुद्ध नियन्त्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील की गई और उनमें से कितनों के सम्बन्ध में नियन्त्रक प्राधिकारी ने स्थगन आदेश जारी किये ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ द्वारा प्रश्न में बताये गये समय के भीतर पांच अनधिकृत निर्माणों को गिराये जाने के आदेश जारी किये गये थे, जिनमें से एक आदेश के विरुद्ध नियन्त्रण प्राधिकारी के समक्ष अपील की गयी थी तथा उसी एक आदेश के विरुद्ध नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये थे।

*२०—श्री रामचन्द्र आजाद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा १९(२) (जी) के अधीन अपीलीय नियन्त्रक प्राधिकारी के कार्य-संचालन सम्बन्धी विनियम अभी तक शासन द्वारा नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। वर्ष १९६० में जब धारा १९ के अन्तर्गत विनियम बनाए जा रहे थे तब खण्ड (जी) में उल्लिखित विषय पर विनियम बनाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

*२१—श्री अवधेशकुमार—

[२रे गुरुवार के प्र० स० ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

तहसीलदार बांसी के विचाराधीन भूमि संबंधी मुकदमे

*२२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील बांसी के तहसीलदार की अदालत में जमींदारी विनाश एवं भूमिसुधार अधिनियम की धारा ११५ सी० के अधीन कितने मुकदमें कब-कब से विचाराधीन हैं ? दिनांक ९ अप्रैल, १९६९ तक की सूचना अपेक्षित है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बस्ती जिले की तहसील बांसी के तहसीलदार की अदालत में जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा ११५ सी० के अधीन ९ अप्रैल, १९६९ को ८६ मुकदमें, जिनका विवरण निम्न प्रकार है, विचाराधीन थे :

	मुकदमें की संख्या			दाखिल होने का माह
	४	..	..	अक्टूबर, १९६८
	२५	..	..	नवम्बर, १९६८
	४	..	..	दिसम्बर, १९६८
	१३	..	..	जनवरी, १९६९
	४	..	..	फरवरी, १९६९
	३६	..	..	अप्रैल, १९६९
योग	८६			

प्रधान, ग्राम बांसी के विरुद्ध जांच

*२३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि बस्ती जिले के ग्राम प्रधान बांसी के विरुद्ध इस वर्ष १९६७–६८ में कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम प्रधान बांसी के विरुद्ध वर्ष १९६७–६८ में ४ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । इनमें से एक पत्र ग्राम सभा भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में था जिसका मामला दीवानी अदालत में विचाराधीन है ।

शेष तीन शिकायती पत्रों में गांव सभा के धन को दुरुपयोग करने का आरोप था । जांच के पश्चात् गांव सभा कोष में ९० रुपये की कमी पाई गई जिसे प्रधान द्वारा जमा करा दिया गया ।

तिलहर तहसील में दाखिल खारिज के मुकदमे

*२४—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगनाधीश एवं तहसीलदार के न्यायालयों में दाखिल खारिज के लगभग ३०० मुकदमें तीन वर्ष से अधिक से अनिर्णीत पड़े हैं ? यदि हां, तो उल्लिखित मुकदमों के शीघ्र निर्णय हेतु सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

परगनाधिकारी तथा तहसीलदार तिलहर के न्यायालयों में दाखिल खारिज का कोई मुकदमा ३ वर्ष से अधिक पुराना अनिर्णीत नहीं पड़ा है ।

बघौच घाट-फाजिलनगर रोड का निर्माण

*२५—श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बघौच घाट फाजिल नगर रोड कई वर्षों पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया था, किन्तु उस पर निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी गिरधारीलाल—

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं लिया गया है और न ही इस मार्ग के निर्माण की इस समय कोई योजना है ।

सगड़ी तहसील के परगनाधिकारी के विचाराधीन पट्टे के मुकदमे

*२६—श्री दर्लासिंगार तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ , तहसील सगड़ी के परगनाधीश के इजलास में पट्टा सम्बन्धी मुकदमे कितने चल रहे हैं और वह कितने दिन से चल रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला आजमगढ़ तहसील सगड़ी के परगनाधीश के इजलास में पट्टा सम्बन्धी छः मुकदमे चल रहे है जिनमें से २ मुकदमे जनवरी, १९६९ से तथा ४ मुकदमे अप्रैल, मई, १९६९ से चल रहे हैं ।

अवक्रमित नगरपालिकाओं के चुनाव

*२७—श्री रियासत हुसैन —

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन म्युनिसिपैलिटी सुपरसीडेड हैं और उनके चुनाव कब तक होंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इस समय प्रदेश की निम्नलिखित २३ नगरपालिकायें अवक्रान्त हैं:—

१—मुरादाबाद
२—गाजियाबाद
३—अलीगढ़
४—गंगोह (जिला सहारनपुर)
५—शाहजहांपुर
६—बिसवां (जिला सीतापुर)
७—बस्ती
८—कर्नलगंज (जिला गोंडा)
९—एटा
१०—मऊरानीपुर (जिला झांसी)
११—रामनगर (जिला वाराणसी)
१२—बांदा
१३—झांसी
१४—नगीना (जिला बिजनौर)
१५—फतेहपुर सीकरी (जिला आगरा)
१६—नवाबगंज (जिला गोंडा)
१७—गोरखपुर

१८—बड़ौत (जिला मेरठ)
१९—बुलन्दशहर
२०—जालौन
२१—अमरोहा
२२—सिकन्दराराव (जिला अलीगढ़)
२३—बिन्दकी (जिला फतेहपुर)।

उक्त अवक्रमित नगरपालिकाओं में से नगरपालिका मुरादाबाद, गाजियाबाद व अलीगढ़ के चुनाव नगरपालिकाओं के आगामी आम चुनाव के साथ कराने का विचार है। विशेष अवक्रमित नगरपालिकाओं के चुनाव सम्बन्धित पालिकाओं के अवक्रमण काल समाप्त होने के पूर्व कराये जायंगे।

मिर्जापुर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*२८—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि जिला मिर्जापुर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को दिनांक ३१ मई, १९६९ तक क्या-क्या सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९९ पर)

लखनऊ नगरपालिका के अभियन्ता श्री एम० पी० जैन की बहाली

*२९—श्रीमती कलारानी (जिला हरदोई)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के कुछ नगर अभियन्ता सन् १९६७ में सी० आई० डी० की जांच के आधार पर निलम्बित किये गये थे ? यदि हां, तो उनके मामले में जांच का अन्तिम परिणाम क्या रहा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीक़ुर्रहमान—

लखनऊ नगर महापालिका के एक नगर अभियन्ता श्री एम० पी० जैन को सी० आई० डी० की जांच के आधार पर ली गयी अनुशासनिक कार्यवाही में ४ सितम्बर, १९६७ को तत्कालीन प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था। जिन आरोपों की जांच सी० आई० डी० द्वारा हो चुकी थी उनके आधार पर श्री एम० पी० जैन को एक चार्जशीट दिनांक ४ सितम्बर, १९६७ को और दूसरी चार्जशीट दिनांक २९ अप्रैल, १९६८ को दी गयी थी। कुछ आरोपों पर अभी जांच शेष है। श्री एम० पी० जैन ने हाई कोर्ट में अपने निलम्बन तथा अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में एक रिट याचिका दायर की थी जो दिनांक ६ फरवरी, ६९ को श्री जैन के पक्ष में तय हुई और हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो अनुशासनिक कार्यवाही मुख्य नगर अधिकारी नगर महापालिका लखनऊ के माध्यम से चल रही थी, वह समाप्त कर दी गयी।

बलिया करीमुद्दीन सड़क का कथित निर्माण

*३०—श्री नगीनासिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपा बतलायेंगे कि बलिया से चितबड़ाबांध, ताजपुर बेहुमा, लट्टूडीह, करीमउद्दीनपुर सरकारी सड़क कब तक परी होगी ?

चौधरी गिरधारीलाल—

बलिया से चितबड़ागांव, ताजपुर डेहमा, लट्टू डीह, करीमउद्दीनपुर नामक कोई सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है।

*३१—श्री नगीनासिंह—

उपरोक्त सरकारी सड़क को गाजीपुर अधिशासी अभियन्ता ने अपनी सीमा तक पूर्ण कर दिया है और केवल बलिया के अधिशासी अभियन्ता की सीमा की सड़क बाकी है ? यदि हां, तो कितनी बाकी है और कब तक पूरी हो जायेगी ?

चौधरी गिरधारी लाल—

बलिया जिले में प्रश्न गत सड़क के किसी भाग को निर्माण करने की योजना नहीं है।

चेयरमैन कण्ट्रोलिंग अथारिटीज रेगुलेटेड एरिया लखनऊ

*३२—श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या चेयरमैन कन्ट्रोलिंग अथारिटी रेगुलटेड एरिया, लखनऊ ने आर० बी० ओ० ऐक्ट में अपने निर्णय के विरुद्ध रिव्यू का कोई प्राविधान न होते हुये भी कुछ मामलों में अपने निर्णय के विरुद्ध रिव्यू एडमिट किया है ? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसे मामले कितने हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्थानीय निकायों के चुनाव

*३३—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव कब सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

शहरी स्थानीय निकायों के जिनमें नगरपालिकायें, टाउन एरियाज तथा नोटीफाइड एरियाज जो कमेटियां सम्मिलित हैं सामान्य चुनाव इस साल नवम्बर-दिसम्बर में कराने का विचार है।

देवरिया जिले में सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का वितरण

*३४—श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में सीलिंग ऐक्ट से कितने एकड़ जमीन निकली है तथा क्या उसे भूमिहीनों में वितरण करने का कोई नियम बन रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

देवरिया जिले में सीलिंग के अन्तर्गत ४,२६३ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है। शासन के आदेश पहले ही से है कि अतिरिक्त घोषित भूमि गांव के भूमिहीन कृषक मजदूरों को पट्टे पर उठाई जाय। अतः कोई नियम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी

*३५—श्री सूरजलाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी में काम करने वाले उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो लगातार ७ वर्ष से काम करते हुये भी अस्थायी हैं ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी गिरधारीलाल—

विधायक निवास में ऐसे ४२ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है और इस वर्ष के अन्त तक इनमें से योग्य कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा ।

देवरिया जिले में नदावर घाट पर पुल बनाने की योजना

*३६—हरिवंश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में नदावर घाट पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

चौधरी गिरधारीलाल—

सम्बन्धित पुल के विषय में सरकार विचार कर रही है, यदि धन का प्रबन्ध हुआ तो कार्य-क्रम में रखा जायगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया

*३७—श्री दीपनारायण मणि—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई डिवीजन देवरिया से हटा कर गोरखपुर में मिलाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*३८-३९—श्री नरेन्द्रसिंह—

[३ रे गुरुवार के लिये तारांकित प्र० सं० १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अतरौली तहसील में सड़कों के निर्माण की मांग

*४०—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील अतरौली में सड़कों के निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रश्नकर्त्ता का दिनांक २२ मार्च, १९६९ का कोई ज्ञापन सरकार को मिला है यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण की मांग की गई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । उसमें जिन सड़कों के निर्माण की मांग की गई है वह सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी तालिका १ में दी हुई है । ज्ञापन में की गई मांगों की जांच की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०० पर)

श्री लक्ष्मण प्रसाद, कार्यवाहक चेयरमैन टाउन एरिया बहजोई के विरुद्ध कार्रवाई

*४१—श्री बिशनलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यवाहक अध्यक्ष टाउन एरिया कमेटी, बहजोई (जिला मुरादाबाद) के विरुद्ध शासन को गबन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

श्री लक्ष्मण प्रसाद, कार्यवाहक चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, बहजोई, के विरुद्ध टाउन एरिया के फंड के अपव्यय और गोलमाल की शिकायतें जिलाधीश, मुरादाबाद को प्राप्त हुई थीं। उन्होंने उनकी जांच करा कर यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ७—ए के अन्तर्गत अनुशासकीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। शासन ने उक्त कार्यवाहक चेयरमैन को १८ जून, १९६९ को निलम्बित करने के आदेश दे दिये हैं।

महापालिकाओं के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं में गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन

*४२—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका के हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारी, क्लर्क एवं चपरासी आदि के वेतन-क्रम कितने वर्ष हुये संशोधित नहीं किये गये हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर नगर महापालिकाओं के अन्य कर्मचारियों के वेतन-क्रम पिछली बार १ अप्रैल, १९६७ से संशोधित किये गये हैं। महापालिका के हाई स्कूल और इन्टर कालेजों के गैर शिक्षक कर्मचारी भी इनमें सम्मिलित हैं।

*४३—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक ने अपनी कुछ संस्तुति दिनांक १३ मई, १९६८ को राज्य सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी-गढ़वाल में झूला पुलों का निर्माण

*४४—श्री इन्द्रमणि—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल के लिये वित्तीय वर्ष १९६७—६८ में जिन झूला पुलों के निर्माण के लिये धन की स्वीकृति प्रदान की गई थी उनमें से अब तक कितने पुल बने हैं तथा कितनों पर कार्य चल रहा है तथा कितनों पर अब तक कार्यारम्भ नहीं हुआ है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में टिहरी गढ़वाल में ११ झूला पुलों का निर्माण स्वीकृत किया गया था। लेकिन उनमें से अब ५ के स्थान पर गर्डर पुल बनाये जायेंगे। ११ पुलों में से ७ पर कार्य प्रगति पर है। २ झूला पुलों के स्थान पर बन विभाग ने पुल बना दिये हैं। एक पुल पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायगा तथा शेष एक पुल पर कार्य वर्षा ऋतु के बाद आरम्भ किया जायगा।

विधायकों पर किराया मकान का बकाया

*४५—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि राष्ट्रपति शासनकाल में कितने भूतपूर्व विधायकों ने विधायक निवासों व सरकारी बंगलों को एलाट करवाया और किन-किन लोगों पर कितना-कितना किराया अभी बाकी है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

राष्ट्रपति शासन काल में २१८ भूतपूर्व विधायकों ने १४ सरकारी बंगले तथा २०४ विधायक निवास के कक्ष एलाट कराये। बाकी किराये की तफसील मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०१–७०४ पर)।

विधायकों की आवास व्यवस्था

*४६—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय कुल कितने (ए) व (बी) क्लास कमरे (सूट) विधायकों के लिये उपलब्ध हैं और कितने कमरों की आवश्यकता बाकी विधायकों के रहने के लिये है ?

चौधरी गिरधारी लाल—

इस समय कुल ४७१ ए व बी क्लास कमरे उपलब्ध हैं। ३६ अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है।

प्रतापगढ़ जिले में ओलापीड़ितों को सहायता

*४७—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक १ मई, १९६९ को प्रतापगढ़ जिले की सदर एवं पट्टी तहसील में सैकड़ों गांवों में बड़े जोरों से ओले पड़े, फलस्वरूप आम व महुवे की फसल खपड़ा व नरिया व खलिहान को काफी क्षति पहुंची ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में और किस-किस अंश तक क्षति पहुंची और अब तक सरकार द्वारा क्या सहायता की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। सदर व पट्टी तहसील के २८७ गांवों में आम तथा महुवा की फसल और खपड़ा नरिया को अनुमानतः १६ लाख ६१ हजार रुपये का नुकसान हुआ है। खलिहानों को कोई खास क्षति नहीं पहुंची क्योंकि मड़ाई समाप्त हो चुकी थी। मकान बनाने के लिये ५० हजार रुपया अनुदान दिया गया है। ३ हजार रुपया मुफ्त बांटने के लिये प्रधान मंत्री सहायता कोष से दिया गया। इसके अलावा १ लाख २० हजार रुपये की आपदा तकावी मंजूर की गयी है। प्रभावित गांवों की सूची विधान सभा की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०५–७१० पर)।

कालपी में यमुना नदी पर पुल बनाने की योजना

*४८—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-झांसी राष्ट्रीय मार्ग पर कालपी में जमुना नदी पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बन जाने की आशा है ?

चौधरी गिरधारी लाल—

जी हां ।

इस पुल के आगणन भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं । स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा ।

तालबेहट ब्लाक में जमुनी नदी पर पुल की आवश्यकता

*४९—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पुरा कलां (ब्लाक तालबेहट जिला झांसी) के पास जमुनी नदी के घूमटा घाट पर पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त पुल कब तक बनेगा और उस पर कितना रुपया व्यय होगा ?

चौधरी गिरधारी लाल—

ग्राम पुरा कलां के पास जमुनी नदी पर कोई पुल बनाने की योजना नहीं है ।

*५०—श्री अनीसुर्रहमान—

[संशोधन हेतु दूसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

हस्तिनापुर उपनिवेश योजनान्तर्गत भूमि वितरण

*५१—श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर उपनिवेश योजना में पिछले दो वर्षों में कितने हरिजनों ने भूमि एलाटमेंट के प्रार्थना-पत्र दिये थे और उनमें से कितनी प्रार्थियों को कितनी भूमि एलाट की गई है ? हरिजनों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे और उनको कितनी एकड़ भूमि एलाट हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हस्तिनापुर उपनिवेश योजना में गत दो वर्षों में हरिजनों के २६४ प्रार्थना-पत्र भूमि के एलाटमेंट के लिए प्राप्त हुए । उनमें से ११२ प्रार्थियों को २८ बीघा १६ विस्वा भूमि एलाट की गई है । हरिजनों के अतिरिक्त दूसरे लोगों से ४७५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से ९३ व्यक्तियों को १,००३ बीघा ५ विश्वा भूमि एलाट की गई है ।

मुजफ्फरनगर जिले में मोती झील पुल में खराबी

*५२—श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री चन्द्रभान (जिले मुजफ्फरनगर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में मोती झील के ऊपर उनके विभाग द्वारा पुल के निर्माण के लिये जो ठेका दिया गया था उसके अनुसार निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा पुल किस तिथि में तैयार होगा ?

चौधरी गिरधारीलाल--

कार्य २३-१-६४ को प्रारम्भ किया गया। ठेकेदार ने पुल का निर्माण कार्य पूरा किये बिना जनवरी, १९६७ में काम छोड़ दिया जिसके पश्चात् डेबीटेबल ऐजेन्सी लगाकर पुल अप्रैल, १९६८ में तैयार हुआ।

*५३--श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री चन्द्रभान--

क्या यह सही है कि पुल के दोनों ओर की एप्रोच रोड्स अभी तक नामुकम्मिल पड़ी हैं और पुल का एक ओर का पाया कुछ नीचे को धंस गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

चौधरी गिरधारीलाल--

पुल के दोनों ओर के अप्रोच रोड्स का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। पुल का कोई पाया नहीं धंसा है।

अतरौली तहसील में सड़कें बनाने की मांग

*५४--श्री कल्यानसिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली केन्द्र को मिलाने वाली सड़कों को पक्का (डामर) रोड करने की मांग से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक ४ जून, १९६९ का ज्ञापन सरकार को मिला है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी सड़कों के नये निर्माण तथा कौन-कौन सी पुरानी सड़कों को पक्का कराने की मांग की गई है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

चौधरी गिरधारीलाल--

जी हां। उसमें जिन सड़कों के निर्माण की मांग की गई है वह सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी तालिका २ में दी हुयी है। ज्ञापन में की गई मांगों की जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०० पर।)

*५५--श्री भगवतीसिंह विशारद--

(२८ जुलाई, १९६९ को तारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।)

लखनऊ में जल कष्ट

*५६--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि शहर लखनऊ में विभिन्न मुहल्ले के मकानों में ऊपर के खंड में रहने वाले निवासियों को गत १ वर्ष से जल का भीषण कष्ट उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति को दूर करने के लिये नगरमहापालिका को विशेष धन देने का विचार कर रही है?

श्री अतीकुर्रहमान--

जल कल की सीमित क्षमता के कारण लखनऊ में पिछले कई वर्षों से मकानों के ऊपरी खंडों में पानी की कमी रही है। वैसे जहां तक शहर को दिये गये पानी की कुल मात्रा का संबंध है, गत एक वर्ष में उसमें कमी नहीं हुयी है, वरन् प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुछ अधिक मात्रा में ही पानी दिया गया है।

महापालिका को धन उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

*५७—श्री श्याम लाल—

(प्रश्नकर्त्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।)

लखनऊ में बेलदारी लेन कोल डिपो हटाने की मांग

*५८—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरमहापालिका, लखनऊ के गत अतिक्रमण (सुपरसेशन) काल में, १९६७ व ६८ में कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं कि सार्वजनिक मार्ग की भूमि पर कोल डिपो खोलने की इजाजत दी गई है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

प्रश्नगत काल में एक कोल डिपो खोलने के विरुद्ध तीन शिकायतें एक ही व्यक्ति से प्राप्त हुई थीं।

*५९—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संबंधित कोल डिपो कहां-कहां हैं और उनके हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

उपरोक्त कोल डिपो मोहल्ला बेलदारी लेन में है और उसे हटाये जाने की कार्यवाही नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

बरेली जिले को सड़कों के निर्माण के लिये दिया गया धन

१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले को सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये कितना रुपया वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था ? उसमें से कितना व्यय हुआ ? यदि शेष बचा तो क्या कारण है कि धन शेष बच रहा ?

चौधरी गिरधारीलाल—

१९६८-६९ में बरेली जिले में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिये क्रमशः रु० ११,१५,००० और रु० ३,२७,३८७ रखे गये और यह सब धन व्यय हुआ।

तरबगंज तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

२—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में तहसील तरबगंज, सरजू नदी (घाघरा) में सन् १९६८ ई० में कितने बार बाढ़ आई थी और बाढ़ से कितने ग्राम सभाओं का जन, धन, पशु का नुकसान हुआ और कितनी ग्राम सभायें प्रभावित हुईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तरबगंज तहसील में वर्ष १९६८ में घाघरा नदी में दो बार बाढ़ आयी थी। १७० ग्राम बाढ़ से तथा ७४ ग्राम जल प्लावन से प्रभावित हुये थे। इससे २४ पशुओं की जानें गई थीं। किन्तु किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई। फसलों को रु० ८४,४४,८०० की अनुमानित क्षति हुयी।

३—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तहसील में बाढ़-पीड़ित किसानों को कितने लगान की छूट दी गई तथा कितने धन की किसानों को सहायता दी गई और किस रूप में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपरोक्त तहसील के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को रु० २,२७,००२.९० की मालगुजारी की छूट प्रदान की गयी। मुबलिग ४०,००० रु० बतौर आपत्कालीन तकावी के तथा मुबलिग ६७४७.४० रु० बतौर मोहताजी बांटा गया।

पुवायां तहसील में दुरुस्ती कागजात के मुकदमें

४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अक्तूबर, १९६८ से १५ अप्रैल, १९६९ तक शाहजहांपुर जिले के रेवेन्यू आफिसर के सम्मुख कितने मुकदमें दुरुस्ती कागजात के तहसील पुवायां के पेश हुये और कितने उन्होंने तय किये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

२९ मुकदमें पेश हुये जिसमें से १० मुकदमों का निस्तारण हुआ।

तहसीलदार, बांसी द्वारा निर्णीत मुकदमें

५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार, बांसी (जिला बस्ती) की अदालत में १ अप्रैल, १९६७ से ३१ मार्च, १९६९ के बीच दाखिल खारिज के कितने मुकदमें विचारार्थ आये, उनमें से कितनों का फैसला हो गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुल ४,७२१ मुकदमें विचारार्थ आये जिनमें से ४,४२२ मुकदमों का फैसला हुआ।

एस० डी० एम०, तहसील बिसवां द्वारा मुकदमों का फैसला

६—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले की तहसील बिसवां के एस० डी० एम० के पास दाखिल खारिज के कितने मुकदमें दिनांक १० मई, १९६९ को विचाराधीन थे तथा उनमें से ऐसे कितने मुकदमें हैं जोकि एक वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१,०३४, जिनमें से ६१ एक वर्ष से अधिक पुराने थे।

७—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एस० डी० एम०, बिसवां, जिला सीतापुर द्वारा ३१ मार्च, १९६७ से १० अप्रैल, १९६९ तक कागजात दुरुस्ती के कितने मुकदमों का फैसला किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

८५९।

८—श्री कल्यानसिंह—

[२८ जुलाई, १९६९ को तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

तिलहर तहसील में अवैध रूप से बाग काटने की शिकायतें

९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार तिलहर, जिला शाहजहांपुर ने दिनांक १ जुलाई, १९६८ से १० जून, १९६९ तक कितने परमिट बाग कटने को दिये गये तथा इस क्षेत्र में अवैध रूप से बाग कटने की कितनी शिकायतें सरकार को इस अवधि में प्राप्त हुयीं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बाग कटने के केवल ६ परमिट जारी किये गये तथा अवैध रूप से बाग कटने की २० शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई थी ?

१०—श्री श्याम लाल—

[प्रश्नकर्त्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैं दो व्यवस्था के प्रश्न उठाना चाहता हूं। पहला तो यह है कि जो प्रश्न हम लोग देते हैं, उनमें से बहुत से काट दिये जाते हैं और उसकी हमें सूचना भी नहीं दी जाती है। इसी प्रश्न ८ में ७—८ सदस्यों के नाम हैं। मेरा एक प्रश्न उस में और था जिसको काट दिया गया जिसमें खास तौर से यह लिखा गया था कि हिमांचल प्रदेश में इस चीज की व्यवस्था कर दी गयी है। तो क्या सरकार इस प्रकार की पास बुक बनवा कर इस सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ! वह प्रश्न काट दिया गया और मुझे सूचना भी नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आप उपाध्यक्ष जी से मिल लीजिए। वे आपको बता देंगे कि क्या कारण हैं।

राष्ट्रीय पताका को सदन में उचित स्थान पर लगाने की प्रार्थना

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय नौनिहाल सिंह जी ने २७ तारीख को एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया था राष्ट्रीय पताका के सम्बन्ध में और उस समय उन्होंने यह कहा था कि डेकोरेशन से ऊपर राष्ट्रीय पताका रहेगी। आपके सिर के ऊपर घड़ी है और उसके ऊपर राष्ट्रपिता का चित्र है। तो ये सब चीजें डेकोरेशन में आती हैं। इसके बारे में आपने उस दिन कहा था कि मैं विचार करके अपनी व्यवस्था दूंगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दी थी कि ये नियम मीटिंग के बारे में हैं। विधान सभा के बारे में उसमें कोई नियम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक मीटिंग बैठा दी जाय जिसमें दोनों पक्ष के माननीय सदस्य हों और वे यह बतायें कि किस स्थान पर इसे लगाया जाय। नियम तो कुछ हैं नहीं। आप जो निर्णय करेंगे वही चीज यहां होगी।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मेरे विचार में यह आवश्यक है कि वह ऊपर ही हो।

श्री अध्यक्ष--

वह तो ठीक है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो चर्चा सदन में चल रही हो, उसी के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है या अन्य विषय के बारे में भी उठाये जा सकते हैं जिसके बारे में सदन में कार्यवाही न चलती हो ?

श्री अध्यक्ष--

आपका यह कहना बिलकुल सही है लेकिन कुछ खास खास माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो उस दशा में मैं क्या करूं ?

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न लेटरल रोड (सीमान्तर सड़क) के सम्बन्ध में दिया था । वह प्रश्न संख्या १६ है । यह आप जानते हैं कि चीनी हमले के बाद भारत सरकार की स्कीम के तहत में यह सड़क बनायी जा रही है जो पीलीभीत से गोंडा होती हुयी प्रदेश से जाती है । मुझे इसके बारे में सूचना मिली है कि इसमें अरबों रुपये का गड़बड़ घोटाला है. . . .

श्री अध्यक्ष

इसके बारे में यह समझा जायेगा कि आपको जवाब मिल गया है । इसलिये अब आप इसे नियम ४९ या ५१ में ला सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता इसके लिये नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, यह इतना महत्व पूर्ण प्रश्न है कि इसमें पूरे सदन और आपकी भी दिलचस्पी है । श्रीमन्, मेरा एक और प्रश्न इसी विषय पर पड़ा हुआ है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा गबन पकड़ा गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी जिस दिन वह प्रश्न आये, इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके आयें ?

श्री अध्यक्ष --

इसका जवाब तो वे दे चुके होंगे । जो प्रश्न रह जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसका जवाब दे चुके हैं । इसलिये वह कार्यवाही में नहीं आता है । अब आप नियम ४९ या ५१ में फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हैं । इस पर आप नियम ४९ या ५१ के अन्तर्गत चर्चा करवा लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

तो श्रीमन्, आप इसकी इजाजत दे दें ?

श्री अध्यक्ष--

पहले आप इसको भेजें तो ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

धन्यवाद ।

सीनियर सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब कल जो प्रश्न विशेषाधिकार का उपस्थित किया गया था उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। चार प्रश्न हैं इसमें। एक है श्री नित्यानन्द स्वामी का, दूसरा श्री मोहन लाल कपूर का, तीसरा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल का, श्री शिव दास का और श्री हरिवन्श सहाय का। मैंने एक चीज के लिये तो कह ही दिया था कि अगर कोई बनारस जाकर उसने किसी से कोई चीज सुनी है तो हियरसे के ऊपर तो मैं करूंगा नहीं। कोई लेख है या अखबार में छपा है तो वह कटिंग मेरे पास आ गयी है। मैं एक सुनाये देता हूं। एक अंग्रेजी में है और हिन्दी में एक है। पहले मैं हिन्दी का सुना दूं। वह "गांडीव" में इस प्रकार है—

"वाराणसी के बड़े पुलिस कम्तान पर मिथ्यारोप —काशी, २६ जुलाई। मिर्जापुर मणिहान थाने के अन्तर्गत हुई हरिजन बालिका ह्याकांड जिसकी जोरदार चर्चा पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश विधान सभा में हो रही है, की ओर ध्यान दिलाने पर वाराणसी के बड़े पुलिस कप्तान, श्री राधेश्याम शर्मा ने उस घटना में अपना न म जोड़े जाने पर हास्य मिश्रित आश्चर्य प्रकट किया।

श्री शर्मा ने बताया कि वाराणसी में शहर कोतवाल पद के करीब ४ वर्ष के कार्य काल एवं वर्तमान पद के एक वर्ष से कुछ अधिक कार्यकाल में मैं कभी मिर्जापुर गया ही नही। मणिहान थाना या गोपालपुर गंव फार्म की बात समाचार पत्रों द्वारा ही मुझे ज्ञात हुई।

श्री शर्मा ने बतलाया कि गोरखपुर एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल मंगई पुल पर वे डी० आई० जी०, श्री मल के साथ दोपहर ३ बजे तक मौजूद थे, जिस दिन उनके बारे में मिर्जापुर के फार्म पर होने का लाछन लगाया गया है। साथ ही २२ जून को चकिया के खरीद गांव की डकैती की जांच के सिलसिले में श्री शर्मा भोर से दोपहर बाद तक वहां मौजूद थे।

श्री शर्मा का कहना है कि लांछन लगाने वाले एवं अन्य कोई व्यक्ति खुले रूप से तथ्यों की जांच कर सकता है। अगर तथ्य सही पाये गये तो श्री शर्मा अन्यथा लांछन लगाने वाले अपने पदों से त्याग पत्र दे दें।"

अंग्रेजी में "हिन्दुस्तान" टाइम्स में है—

"Varanasi Senior Superintendent of Police said to-day that if anyone could prove that he was involved in what is known as the Satia murder case he would resign and face the consequences. Mr. Radhey Shiam Sharma was commenting on the allegation that he along with the D. I. G. of the Varanasi Police had tried to hush up the case in which the Deputy Chief Minister, Kamlapati Tripathi's son along with his friends is alleged to have criminally assaulted Satia, a young tribal girl in his Gopalpur farm in Mirzapur district and later had her killed on June, 22. The S. S. P. added that in case the allegations were proved false the persons accusing him should also be ready to face the consequences. Ms. Sharma said he was busy with Zakhania train disaster on the day of the murder. He emphatically denied having gone to Mirzapur in the days that followed."

मैं इसके ऊपर फैसला देने से पहले जानने की कोशिश करूंगा कि आपने लिखा है कि धमकी दी तो किसने और कहां पर दी। जिन्होंने इसको पेश किया है वह पहले बोलें और किन शब्दों में धमकी दी यह बतायें।

---

†२९ जुलाई, १९६९ की कार्यवाही से।

श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में लिखा है कि :—

"to attempt to influence members in their conduct by threats is also a breach of privilege.

Examples of this kind of misconduct are : publishing statements impugning the conduct of members and threatening them with further exposure if they took part in the duties of the House."

अगर हाउस की डिबेट में कोई भाग ले रहा हो और थ्रेटिन किया जाय तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि :

"Conduct not amounting to a direct attempt to influence a member in the discharge of his duties but having a tendency to impair his independence in the future performance of his duty will also be treated as breach of privilege."

उनको भविष्य में अपने क्षेत्र में ड्यूटी करने से रोका। इसके अलावा धमकी दी जा रही है और अखबारों में दी जा रही है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिल के वाल्यूम १६ के पृष्ठ १२३ पर लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

मैं मान चुका हूं कि अगर धमकी दी है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज है। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि आपने जो कटिंग भेजा है तो उसमें धमकी किस जगह पर पाते हैं, यह बताने की कृपा करें।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, अगर एक जिम्मेदार आफिसर यह कहे कि "शुड बी रेडी टु फेस कांसीक्वेंसेज" तो यह धमकी ही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला— ार बंकी)—

मान्यवर, २६ तारीख को सबसे पहले इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई और कुल मिला कर जो चर्चा हुई है उसका नतीजा यह भी हुआ कि वाराणसी रेंज के डी० आई० जी० पुलिस श्री मल्ल और एस० एस० पी०, श्री शर्मा को इस मुकदमे को दबाने और परदा डालने के लिये इस्तेमाल किया गया। मैं समझता हूं कि इससे पहले और किसी रूप में कहीं भी इस पर चर्चा नहीं हुई है और यहां पर हाउस में आपके सामने जो शिकायत प्रस्तुत की गई है, आप जरा गौर करेंगे कि मौके पर धमकी हुई है कि जो मेम्बर हिस्सा ले रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष—

मेम्बर शब्द नहीं है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

लेकिन इसका स्वाभाविक तौर पर यही नतीजा निकाला जायेगा कि किसकी तरफ उनका इशारा है और जो मौका चुना गया है उस पर गौर करें कि मामला अभी सदन में विचाराधीन है और सरकार का जो रवैया है उसमें २६ तारीख से रोज चर्चा हो जाती है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार का यही रवैया बना रहा तो सदन जब तक चलता रहेगा बराबर चर्चा होती रहेगी। इसी बीच यह बात आ जाती है कि जो लोग कह रहे हैं कि इसमें शर्मा जी का इस्तेमाल हुआ और उन्होंने एक तरह से एलबी प्लीड की है कि कहां रहे, कहां नहीं रहे तो इस संदर्भ में आप देखें। जो वक्त उन्होंने चुना, जिस तरह से मामला अखबारों में छपा और उसके जवाब में जिस तरह से अपना वक्तव्य जारी करके धमकी दी है ....

श्री अध्यक्ष---

धमकी के शब्द बताइये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उसमें उन्होंने कहा कि दोज एक्सटेंडिंग दि थ्रेट शुड बी रेडी टु रीप दि कान्सीक्वैंसेज देअर आफ ।

श्री अध्यक्ष---

इफ इट इज प्रूव्ड टू बी फाल्स । मेरे खिलाफ जो चार्जेज हैं अगर वे असत्य साबित हो जायं---अदालत में जायंगे--अगर यह प्रूव हो जायगा कि मेरे खिलाफ चार्जेज गलत है तो उसके कांसीक्वेंसेज बरदाश्त करने चाहिये । इसमें धमकी क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

एक तो प्रूफ अदालत में होता है दूसरा प्रूफ इस सदन में भी हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

जब वह दरख्वास्त देगा तब सदन जांच के लिये आयेगा । अगर अदालत में केस जाता है तो अदालत प्रूफ लेगी । यह केस अदालत में जाने वाला है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कुछ माननीय सदस्यों ने यह मामला उपस्थित किया, आपका उस पर निर्णय चाहा । अगर यह मान लिया जाय कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें जांच की गुंजायश है तो उसको सम्बन्धित समिति को सुपुर्द कर दें । वह समिति इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो आरोप लगाये गये हैं वह झूठे हैं । तब भी एक तरह से सबूत मिल जाता तो यह जरूरी नहीं है कि अदालत में ही साबित हो बल्कि इस सदन की कमेटी के सामने भी उसको साबित किया जाना हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

अगर उसमें भी हुआ तो धमकी क्या हुई ?

*चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य एक बात कह रहे हैं । जो प्रश्न विशेषाधिकार का आया है उस पर वह अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं । इस सदन में यह परम्परा रही है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर कोई बोल रहा है तो उनको बोलने दीजिये । इधर के लोग भी बोलना चाहें तो बोलने दीजिये । उसके बाद एक बार आप निर्णय दे दें । हम लोगों को कठिनाई यह है कि आप के मुंह से यदि कोई ऐसा शब्द निकल जायगा जो निर्णय के रूप में हो जायगा तो हम लोग कुछ कह नहीं पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि थ्रेट कहां है । यह जवाब तो पहले दे लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो मौका चुना गया, अगर आप उस पर गौर करें, जो अखबारों में खबर छपी है, और माननीय उप मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसके लहजे पर ध्यान दें उससे ध्वनि निकलती है कि करीब-करीब एक ही जैसे शब्दों में शर्मा जी भी बोल रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्त राम जायसवाल —]

हैं और हमारे उप मुख्य मंत्री जी भी बोल रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि यह मामला जरूर ऐसा है कि इसमें जांच की गुंजायश है। सम्मानित सदस्यों के सच या झूठ को साबित करने के लिये जो लांछन हैं, उनको परखने के लिये, इस मामले को जांच समिति को निर्दिष्ट कर दें ताकि हमेशा के लिये यह मामला तय हो जाय। हर तरह से इस बात का औचित्य है कि इस मामले को अवहेलना कमेटी को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

कमेटी को तब निर्दिष्ट किया जाता है जब प्राइमाफेसी में सैटिस्फाई हो जाऊं कि विचार करने योग्य है। मैं प्राइमाफेसी, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है या नहीं इस के लिये पूछ रहा हूं।

*श्री राम विलास (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने एक साथ दो व्यवस्था के प्रश्न उठाये थे। इस सदन में यह परम्परा रही है और क्या आपके ध्यान में यह है कि एडवान्स में भी कोई व्यवस्था दी जाती है। एक बार व्यवस्था के प्रश्न पर वह बोल चुके थे और फिर दूसरी व्यवस्था के प्रश्न पर वह बोले। इस पर आप अपनी रूलिंग दें कि क्या एक साथ दो प्रश्नों पर व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है? दूसरी बात यह है कि आप जायसवाल जी को क्यों बार बार मौका देते हैं? यह अखबारों में सतिया कांड की चर्चायें छपती रहें बार-बार यह प्रश्न उठाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अखबार की कटिंग के आधार पर आपने यह स्पष्ट करने को कहा था कि इसमें किस शब्द से धमकी की ध्वनि आती है। लेकिन उस पर जायसवाल जी ने इतना लम्बा चौड़ा भाषण दे डाला। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि स्पष्टीकरण के बजाय उन्होंने जो लम्बा-चौड़ा भाषण दिया क्या आपने इसका अधिकार उनको दिया था। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना—

मेम्बर्स नगरों में स्थान-स्थान पर जाते हैं और वहां कुछ देखते हैं और वह हाउस में कहा जाए (व्यवधान) तो उसके बारे में जो ग्रीवेंसेज हैं वह कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं?

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अभी माननीय मंत्री श्री कृष्णानन्द राय ने एक प्रश्न दोहराया। मैं भी उसी का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न पर जब मुख्य व उप मुख्य मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया और उधर के सदस्य ने सफाई दे दी, लेकिन फिर भी बार-बार एक ही प्रश्न को सदन में क्यों एलाऊ करते हैं। एक तरफ माननीय सदस्य कहते हैं कि हम इसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बार-बार सदन में रोज यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। आप निश्चित रूप से अपनी व्यवस्था दे दें कि कितनी बार आप इसको सदन में उठाने की आज्ञा देंगे।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय सदस्य आपको आज्ञा दे सकते हैं?

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, यह नियम है कि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। जैसे कल उदितनारायण जी के खिलाफ एक प्रश्न उठाया गया और उसका फैसला होगा। वैसे ही माननीय सदस्य ने अखबार में यह पढ़ा कि किसी एक अफसर ने ऐसे शब्द कहे और उसके ऊपर उनका खयाल यह है कि हमको धमकी है। तो मैं यह जानना चाहता था कि आपके पास इसका कोई सबूत है कि कहां पर धमकी देने के बारे में चीज है, क्योंकि वह बाहर का आदमी है। तो आपने अखबार की एक कटिंग दिया, मैंने उसको गौर से पढ़ने के बाद यह जानने की कोशिश की।

श्री धर्मवीर—

आपकी व्यवस्था मुझे स्वीकार है, लेकिन एक ही विषय पर एक ही व्यक्ति कितने बार व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है? धमकी की बात कल भी आ चुकी थी। उसी बात को एक व्यक्ति कितनी बार कह कर और उसी बात का सहारा लेकर सदन में कितनी बार खड़ा हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

एक ही बार बात आयी है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

सदन में जब जांच की बात उठाई जाती है तो जांच करवाई नहीं जाती जिससे पानी का पानी और दूध का दूध साफ हो जाय लेकिन हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। हमें धमकी बाहर ही नहीं अन्दर भी दी जाती है। आप को भी अभी धर्मवीर जी ने चैलेंज कर दिया कि आप कैसे इजाजत दे सकते हैं। कांग्रेस के सारे सदस्य ऐसा कर रहे हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि यह मसला तो "फेस दि कांसीक्वेंसेज" से संबंधित है। विवाद इसी बात पर है।

श्री अध्यक्ष—

विवाद इस बात पर नहीं है।

*श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

इसी इंटरप्रिटेशन पर विवाद हो रहा है। यदि सारे वक्तव्य को पढ़ा जाय तो अंग्रेजी भाषा जो मैं समझ पाया वह फेस दि कांसीक्वेंसेज ऐट दि बेस्ट फाशन होता है या ऐट दि बेस्ट वार्निंग हो सकती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो यह होगा। वार्निंग का जो रूप होता है वह कभी-कभी वर्ज करता है थ्रेट पर। आप को इस पर निर्णय लेना होगा परन्तु यह सारी चीज खड़ी हो रही है और बार-बार हो रही है मुझे इसका दुख है। कल सब ओर से और विरोध पक्ष की ओर से मांग हुई है कि इसको खत्म किया जाना चाहिये। और इसकी न्यायिक जांच हो। माननीय उपमुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में खुलकर मांग की है कि न्यायिक जांच हो। अब मैं आज तक समझ नहीं पाया कि माननीय मुख्य मंत्री की हठवादिता क्यों है? इस हठवादिता के कारण ही यह सारा वातावरण विषाक्त हो रहा है। अगर माननीय मुख्य मंत्री इस मांग को स्वीकार कर लें तो सारा वातावरण अच्छा हो जाय। मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसको मान लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, उपमुख्य मंत्री जी से और उनकी वकालत में बोलने वाले माननीय सदस्यों से मेरी पूरी-पूरी हमदर्दी है.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

वकालत शब्द को वापस लीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस हमदर्दी के रहते हुए अगर कोई सदस्य बगैर जाने हुए सदस्यों के ऊपर या आपके ऊपर आक्षेप करते हैं यह उचित नहीं है। सदस्यों को यह अधिकार है कि वह अवहेलना के प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्न रोज उठा सकते हैं। यह आपके विवेक पर है कि आप उसकी सम्मति दें या नहीं। लेकिन यह हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेसी बोलते हैं यह हमारे अधिकारों पर हमला है और आपके ऊपर आक्षेप है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह ऐसा करके हमको फिर मौका देते हैं कि इस प्रश्न को फिर यहां उठावें। जहां तक मेरी जानकारी है इस सतिया कांड का तजकिरा पहले पहल इस सदन में हुआ है बाहर कहीं नहीं हुआ है....

श्री अध्यक्ष—

आप जरा इसको समझ लें। आप किस तरह से कहते हैं कि इस घटना का जिक्र पहले पहल हाउस में हुआ है और बाहर नहीं हुआ है। यह जो जिक्र यहां आया है यह कोई अपनी कल्पना से तो पैदा नहीं कर सकता। कहीं बाहर जिक्र हुआ होगा तभी यहां पर हुआ है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जो घटना घटी है.... (व्यवधान)—

इस तरह से सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती।

(व्यवधान)

मैं एक कानूनी मसला उठा रहा हूं, उसको सुनने के बजाय ये इस तरह से हल्ला मचा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को १० मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय १२ बजकर ७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर १७ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से निवेदन कर रहा था कि अभी आपने यह कहा कि कुछ न कुछ जानकारी हुई होगी तभी कोई सदस्य बोल सकेगा या अपनी कल्पना से। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी, थाने में रिपोर्ट हुई तो इस पक्ष के बैठने वाले कुछ सदस्य घटना स्थल पर गये, रिपोर्ट लाये, उसी आधार पर यह प्रश्न उपस्थित किया गया। मान्यवर, आपने यह भी देखा होगा....

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर आ जाइये कि थ्रेट कहां दिखाई देता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उसमें यह लिखा है कि इसकी भी कापी आपके पास होगी। यह लखनऊ का अंग्रेजी अखबार नेशनल हैराल्ड है, कांग्रेसी अखबार २९ तारीख का। इसके तीसरे पैरा में लिखा है "दि एस०एस० पी० एडेड, इन केस दि एलीगेशन्स वेयर प्रूवड टु बी फाल्स, दि पर्सन्स एक्यूजिंग हिम शुड आलसो बी रेडी टु फेस दि कान्सीक्वेंसेज" तो मैं इस जुमले तक आपका ध्यान केंद्रित रखना चाहूंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था। जहां तक इस सदन की और मेरी जानकारी है इस घटना की इस सदन के अंदर और कोई किसी तरह की चर्चा नहीं आई। इस सदन में जो चर्चा हुई, उसको अखबारों ने भी बराबर छापा है और उसी को ध्यान में रखकर यह धमकी दी गई। हमारी जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है उसका जो अंश यहां पर पढ़ा गया उसमें यह है कि जो हम इस सदन में काम करते हैं उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। एक तो यह है कि कोई पाजिटिव काम करने से रोक नहीं सकता। दूसरा यह है कि यह भी मुमानियत नहीं हो सकती है कि हम अपना काम या कर्त्तव्य इस सदन में पालन न करें। उसमें यह भी कहा गया है कि दो तरह से कामों को, जो काम करता है या कर्त्तव्य करने से रोका जाता है दोनों तरह के काम उसमें आ जाते हैं। मान्यवर, यही नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से कोई यह भी इशारा करता है कि हम यह काम न करें हमको यह अन्जाम भुगतना पड़ेगा। जो किताब में लिखा है अगर उसको ध्यान में रक्खें तो यह केस पूर्णतया विशेषधिकार अवहेलना की मिसक्लीफ में आ जाता है। तो इस तरह से मान्यवर यह जो धमकी दी गई है और छपी है वह आ गई। इस अवहेलना के प्रश्न के अन्तर्गत और मैं पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि इसमें इसकी गुंजाइश है। इसका दूसरा पहलू है कि यहां के जो सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप इस पूरे बयान को गौर से पढ़ें तो लगता है कि कोई किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का बयान नहीं है वह राज-नेता का ही बयान है। तो इस तरह के बयान देना एक तरह से जनतंत्र का मखौल है। बहुत जबरदस्त ढिठाई है अधिकारी की तरफ से।

श्री अध्यक्ष---

आप टेट तक ही अपने आपको सीमित रखिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह प्रसंग जो है जिसे आप अदालत में साबित करने की बात कर रहे हैं। अदालत में इन अधिकारियों का जो इस केस के संदर्भ में रवैया रहा है वह प्वाइंट इन इश्यु नहीं बनेगा जब तक उ को अलग से नहीं लिखा जायेगा। सवाल इस सदन के सामने है और उसकी रोशनी में यह धमकी आती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह धमकी माननीय सदस्य ने जो इस सदन में कह दी है उनको कर्त्तव्य पालन करने से, रोकने के लिए दी गई है। इसलिये यह पूरी तरह से अवहेलन का प्रश्न है और मान्यवर चाहे कमेटी को गठित करते हैं या किसी अन्य रूप से जो मुनासिब समझें, इसका निस्तारण करें।

श्री अध्यक्ष---

अब जिनकी यह रिपोर्ट है वह बोल सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

प्राईमा फेसाईली कोई केस इस तरह से आईना नहीं होगा कि प्रदर्शन से ही साबित हो जाय।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं २७ जुलाई रविवार को वाराणसी गया था वहां पर भूतपूर्व सदस्य चन्द्र शेखर जी, विजय बहादुर जी, आदि प्रतिष्ठित नागरिकों ने मुझे बताया कि विधान

[श्री शिवदास---]

सभा में जो प्रश्न हम लोगों ने उठाया है उसके विरुद्ध एस० एस० पी०, राधेश्याम शर्मा ने यह कहा है कि इसकी जांच खत्म होने के बाद हम उनकी खबर लेंगे, उनको ठीक कर देंगे। इसके साथ ही साथ अखबार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसने हमें धमकी दी है और इधर उप मुख्य मंत्री महोदय ने भी अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को धमकी दी है, अगर, मगर लेकिन लगा कर कि हम देख लेंगे और इस प्रकार से इस घटना की वास्तविकता पर पर्दा डाला जा रहा है। आज भी हमें एक सूचना मिली है कि सतिया के बाप मुन्ना कोल को राधेश्याम शर्मा कार में बैठा कर श्री कमलापति त्रिपाठी के मकान पर ले गये और मुन्ना कोल को जबरदस्ती वहां रखने का प्रयास किया जा रहा है और वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो प्रश्न उठाया है उसी से संबंध रखने वाली बात कहिये।

श्री शिवदास---

प्रश्न वही है। वास्तविकता पर पर्दा डालने और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देने की कोशिश की जा रही है ताकि इस सदन में हम लोग इस बात को न उठा सकें। मैं चाहता हूं कि सतिया के बाप का संरक्षण किया जाय और हमारा भी संरक्षण किया जाय। सतिया के बाप और मेरे दोनों के ऊपर खतरा है। अगर माननीय उप मुख्य मंत्री जी में कुछ भी नैतिकता है तो वे भी स्तीफा दे दें और मैं भी स्तीफा देने को तैयार हूं, ताकि जांच ठीक प्रकार से हो सके।

श्री अनीसुर्रहमान---

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं। अपने विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें जो भी जानकारी होती है उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि बाहर के लोग या सरकारी अधिकारी रिपोर्ट के खिलाफ एफीडेविट लगवा रहे हैं या और कोई उनकी ज्यादती यहां बतलाते हैं तो वे कहते हैं कि हमको उनके कांसी-क्वेन्सेज को फेस करना होगा। मैं आपकी संरक्षण में आना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या केरल की तरह से वे हमें गोली से मरवा देंगे। इस की हाउस में जांच होनी चाहिये अगर हम कहते हैं कि गलत एफीडेविट लगवाये जा रहे हैं, जो रिपोर्ट की गयी है उसमें धांधली की जा रही है, हमारी जुडीशियल इंक्वायरी की मांग को क्यों मंजूर नहीं किया जा रहा है, सतीया की हत्या के अन्दर इंसानियत का खून किया जा रहा है तब एस०एस० पी० कहता है कि हमें कासीक्वेंसेज फेस करने होंगे। सरकारी अधिकारी लगातार मुकदमें को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं और इस जनतन्त्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है इसलिये श्रीमान् जी उन अधिकारियों के खिलाफ अपनी व्यवस्था देकर सदन की मर्यादा को ऊंची करें।

श्री शिवराजसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यदि श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध यह सिद्ध हो जाता है कि राधेश्याम शर्मा ने जो धमकी दी है उसके परव्यू में विधान सभा के सदस्य भी आ जाते हैं तो निश्चित रूप से ही विधान सभा का अवमान हुआ।

श्रीमन, मैं आपका ध्यान उनके स्टेटमेंट के निम्न अंश की ओर दिलाना चाहता हूं---

"Mr. Radhey Shyam Sharma was commenting on the allegations that he along with the D. I. G. had tried to hush up the case in which the Deputy Chief Minister, Mr. Kamlapati Tripathi's son along with his friends, is alleged to have criminally assaulted Satiya in his Gopalpur Farm in Mirzapur District."

यह आरोप केवल इस सदन में लाया गया है और किसी कोर्ट आफ ला में इस प्रकार के एलीगेशन्स नहीं किये हैं। तो जो कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वह उस

एलीगेशन के संबंध में ही है और यह एलीगेशन केवल इस विधान सभा में पिछले २–३ दिनों में लगाये गये थे इसलिये स्पष्ट है कि जिस घटना के संबंध में यह स्टेटमेंट है वह यह घटना है जो इस सदन में हुयी । तो यह सिद्ध हो गया कि श्री राधेश्याम शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है वह इस सदन की बहस के संबंध में है । अब प्रश्न यह उठता है कि उनके स्टेटमेंट से थ्रेट जाहिर होती है या नहीं । इस संबंध में उनके स्टेटमेंट का निम्न भाग भी पढ़े देता हूं।

"The S. S. P. added that in case the allegations were proved false the persons accusing him should also be ready to face the consequences."

एक धमकी के साथ उन्होंने कहा है कि इसके उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से यह एक इंटिमिडेशन है और इस संबंध में मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह इस प्रकार से है—

"*Attempted Intimidation of Members*—To attempt to influence Members in their conduct by threats is also a breach of privilage."

Examples of this kind of misconduct are :

Publishing statements impugning the conduct of Members and threatening them with further exposure if they took part in the duties of the House"

तो श्रीमन्, स्पष्ट है कि श्री राधेश्याम शर्मा ने इस सदन की घटना के संबंध में स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट ऐसा है जिससे निश्चित रूप से इस सदन के सदस्यों को धमकाया गया है और उनके भाषण देने में अवरोध पैदा किया है । श्रीमन्, मेरी निश्चित धारणा है कि श्री राधेश्याम शर्मा ने इस सदन का अवमान किया है और हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, मेरा ऐसा खयाल था कि जो प्रश्न श्रीमन् ने उठाया उसी का उत्तर यदि दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा था । उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो कि श्रीमन् ने यहां पढ़ा जिसका एक मित्र ने यह अर्थ लगाया कि यदि इस प्रकार की बात होती तो जो लोग ऐसा करते हैं, उनको उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिये । मैंने भी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पढ़ी है। मेरे मित्र ने १२३ पेज का हवाला दिया । मैंने उसे भी पढ़ा है तो एक प्रकार से ऐसी बात हो सकती है जिसमें सदन के अवमान का प्रश्न उठे । एक तो यह कि सीधे तौर पर कुछ कहा और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कहा हो । तो सीधे तौर से यदि किसी हमारे मित्र को पत्र लिखा हो और यह कहा होता कि मैं आपके विरुद्ध यह काम करूंगा तो वह तो एक सीधा थ्रेट था। इसके अलावा कोई अप्रत्यक्ष हो, तो मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२३ से १२५ के अन्त तक दिलाऊंगा और यह प्रार्थना करूंगा कि कृपा कर के उसमें जितने उदाहरण दिये हैं उनमें से किसी एक को देखें और यदि किसी प्रकार से भी श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध इस प्रकार का कोई आचरण सिद्ध हो तो मैं उनके साथ होऊंगा। यदि हम लोग भावनाओं में बह कर ऐसी बातें करने लगेंगे जो सच न हों तो उचित न होगा । पेज १२३ में तो अप्रत्यक्ष रूप का जिक्र है और पेज १२४ में मोलेस्टेशन आफ मेम्बर्स आन एकाउन्ट आफ देयर कान्डक्ट इन पार्लियामेंट है । इसमें कुछ उदाहरण दिये हुए हैं। प्रत्येक में ज्यादातर यह है कि वहां पर सीधे कुछ पत्र लिखे गये कि तुमने यह कहा है, तुम्हारे विरुद्ध मैं यह करूंगा। फिर पेज १२५ में है रिफलेक्शन्स अपान मेम्बर्स ।

मैंने प्रत्येक उदाहरण को ध्यान से पढ़ा इसमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसका कहीं दूर भी संबंध इस बात से हो । इस बात को हम भूल जायं कि राधेश्याम शर्मा एस० एस० पी० हैं बल्कि वह इस प्रदेश के एक स्वतंत्र नागरिक हैं।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

(व्यवधान) उनको इतना तो अधिकार है और मुझे भी यह अधिकार है, चाहे मैं मेम्बर न भी होता, कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे संबंध में यहां चर्चा करता है, उन्होंने चर्चा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा यदि आयी भी तो मैं इतना तो कह सकता हूं अपनी रक्षा के लिए कि यदि किसी ने इस प्रकार की बात कही तो उसके लिये उनको भी तो तैयार रहना चाहिये कि इसका फल भुगतें। यदि मैंने यह कहा होता कि वह असेम्बली के बाहर निकलेंगे तो मैं उनके विरुद्ध यह कर डालूंगा या मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कोई धमकी दी होती तो बात समझ में आती। मुझे दुख है, मैं जरा सा विषयान्तर हो कर एक चीज कहना चाहता हूं, कि श्रीमन् को इस सदन को एडजर्न करना पड़ा। मैं दोनों ओर के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की कोई घटनायें हों तो हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न करें। इधर और उधर दोनों ओर जोशीले सदस्य हैं। उन जोशीले भाइयों का इस प्रकार का आचरण कि सदन को स्थगित करना पड़े बहुत अनुचित है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ओर से कभी इस प्रकार का आचरण नहीं होता और यदि होगा तो मैं उसको रोकूंगा। माननीय राजा साहब ने एक सवाल उठाया .....

श्री अध्यक्ष—

धमकी के बारे में जो बात है उससे आगे मत बढ़िये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने इस बारे में निवेदन किया कि इसमें कोई धमकी का प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसमें अवमान का प्रश्न पैदा हो।

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपने सदन के सामने यह प्रश्न रखा है कि एस० एस० पी० श्री शर्मा ने सदन का अवमान किया है और विशेषाधिकार की अवहेलना की है या नहीं। जो वक्तव्य उन्होंने दिया है और जो वक्तव्य आपने सदन में रखा है और जो बात सरकारी पक्ष ने रखा है उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने इस आशय का वक्तव्य दिया। इसके दो अंश हैं। एक अंश में यह है कि अगर यह साबित हो जाये कि मैंने इसमें दबाव डाला है या इसमें शामिल हूं तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय आचार्य जी ने जो बात कही है स्वतंत्र नागरिक के रूप में माननीय शर्मा जी को पूरा अधिकार है कि अगर कोई बात उनके विरुद्ध सिद्ध होती है तो वे त्यागपत्र दे देंगे। ऐसा वे कह सकते हैं। लेकिन सतिया के हत्या कांड का मामला जो विधान सभा में माननीय सदस्यों ने उठाना है और उनको उसे उठाने का पूरा अधिकार है, इस बात को लेकर शर्मा जी ने जैसा कि बाद के अंश में कहा है कि अगर माननीय सदस्य जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और वह झूठे साबित हो जाते हैं तो वे सदस्य उसके परिणामों को भुगतने के लिये तैयार रहें। सवाल यह है कि श्रीमन, जब वे यह बात करते हैं तो निश्चित रूप से वे माननीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना कर रहे हैं और सदस्यों को धमकी दे रहे हैं कि हम सदन के अन्दर भी कोई बात नहीं कह सकते हैं। मैं आगे एक बात और आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि कल का जो वक्तव्य है वह भी मुख्य मंत्री के इसी आशय को लेकर है कि पहले धमकीपूर्ण है कि यदि इस प्रकार की कोई बात नहीं सिद्ध होती है तो वह भी मुकदमे को..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस बात को सुना है कि उन्होंने यह कहा कि जो सदस्य मेरे ऊपर चार्ज लगाते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिये यदि साबित न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं भविष्य के लिये कहना चाहता हूं कि एस० एस० पी० जैसा जिम्मेदार आफिसर इस प्रकार की यदि चेतावनी भी देता है तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह आदमी कितना आतंक-पूर्ण होगा, जिसने सारा जिला चुप कर रखा होगा और उन पर अपने अत्याचार ढा रहा होगा। उस आदमी के जिले की क्या दशा होगी यह विचाराधीन है। आपको इस प्रश्न को स्वीकार करना चाहिये अन्यथा ८ करोड़ जनता का गला घुट जाएगा। इसलिये मैं कहता हूं कि आप को इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, यहां ३ दिन से इस पर बहस हो रही है। जहां तक कानून के इन्टरप्रेटेशन का सवाल है, आप स्वतः कानून के ज्ञाता हैं। इसमें ३ दिन की बहस क्या ऐसी जरूर है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज कांस्टीटयूट होता है या नहीं, उस पत्र के ऊपर यह इतने विवाद की बात नहीं है। श्रीमन्, इन्टीमिडेशन कुछ होता है। उस पत्र को आप देखें और उसको आधार मान लें, फिर भी कोई पत्र स्वतः ब्रीच आफ प्रिविलेज का आधार नहीं होता, यह निर्विवाद है। अगर उसके दूसरे पैराग्राफ को देखें—पहले तो इसमें है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही और यदि यह बात सही साबित हो तो मैं आफिस से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात यह है कि चार्ज लगाने वाले जो लोग हैं उनका भी सार्वजनिक जीवन में कुछ उत्तरदायित्व है। यदि वह अपने इस उत्तरदायित्व से फेल करते हैं तो उनको भी सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। यह न तो इन्टीमिडेशन है न वार्निंग है। क्या कोई एम० एल० ए० इस सदन के बाहर किसी भी आदमी को एक चपत मार दे तो क्या वह हाईकोर्ट में रिट दायर करेगा। वह यही करेगा कि आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह किसी भी कानून में ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बन सकता। इस पर आप आपनी निर्णय दें कि यदि इस प्रकार यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनता तो यह कैसे उठ सकता है?

*श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

मैं बहुत गौर से इसे सुनता रहा। मैं जहां तक जानता हूं अखबार की बुनियाद मानकर आजतक सदन में कोई चीज नहीं हुई। मेरी इस व्यवस्था को श्रीमन् ने टाल दिया। अख-बार हमेशा रिलायबेल नहीं हो सकता है। एक आदमी जो इस सदन में नहीं होता है उसकी बात का क्या विश्वास बाद में वह कह दे कि मैंने नहीं कहा। इस लिये सदन का समय बड़ा कीमती होता है, इससे पहले एक कोमी आवाज की कटिंग पर नोटिस दिया था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अखबार की कटिंग पर को अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता यह बात दूसरी है कि बहस चल रही है तो कुछ अर्ज करना है। हमारे लायक दोस्त एक से एक काबिल उस तरफ बैठे हुए हैं। चौधरी साहब से ज्यादा कोई लायक नहीं है, लेकिन मैं उस तरफ के लायक दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं कि दुनियां में कौन ऐसा होगा जो यह कहेगा कि अगर यह बात गलत साबित हो गई तो मुकदमा नहीं करूंगा। मान हानि का दावा नहीं करूंगा। आपको फूलों का हार पहनाऊंगा। हर आदमी यह कहेगा कि हमने नहीं किया, अगर यह साबित हो जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर नहीं साबित होता है, तो आपको भी इसके नतायत भुगतने पड़ेंगे, मान हानि का वादा होगा। टु, फेस दि कांसिक्वेंसेस के माने यही हैं। अदालत में जाकर चराजोई करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा। इसका इस तरह से मतलब लगाना कि वह कोई डंडा मारेगा, गलत है। इसका इन्टरप्रिटेशन इस तरह से नहीं हो सकता। हर शरीफ आदमी जो सदन में नहीं है, अगर उस पर चार्ज लागया जाता है तो यही कहेगा कि हमन नहीं किया है और अगर साबित हो जाता है कि नहीं किया है तो आप भी तैयार रहें उसके नतायत भुगतने के लिए। यही चीज जायज है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस सारी बहस से एक बात स्टेब्लिश हो गई, वह यह कि श्री राधे श्याम शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया वह इस सदन की प्रोसीडिंग के बारे में दिया और इस सदन के अन्दर सिवाय माननीय सदस्यों के किसी को कोई प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं है। इसलिये वह हमारे माननीय सदस्यों से संबंधित हो गये, जिन्होंने यह सवाल यहां उठाया। जो उन्होंने कहा है "इफ इट प्रूव्स फाल्स दे शुड बी रेडी टू फेस दि कांसीक्वेन्सेज।" जहां सवाल कांसीक्वेन्सेज का आता है कि "ह्वाट में बी दि कांसीक्वेन्सेज"। यहां सवाल कांसीक्वेन्सेज का आता है कि 'व्हाट मे बी दि कांसीक्वेन्सेज"। हर आदमी किसी भी मामले में या उसके जवाब में अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। अगर यह शब्द किसी ले-मैन की जबान से अदा होते तो ज्यादा से ज्यादा उसका मतलब यह होता कि कोई रिपोर्ट पुलिस में लाज करेगा कि ५०६ या ५०४ में धमकी दी या उससे ज्यादा होता तो इज्जत का दावा दायर कर देता। लेकिन यहां यह देखना पड़ेगा कि यह अल्फाज किसकी जबान से अदा हुए? यह अल्फाज श्री राधेश्याम शर्मा, सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की जबान से अदा हुए, उनके कमांड में पूरे बनारस जिले के थाने हैं। आज जब हम जानते हैं कि हजारों मुकदमें पुलिस वाले जगह जगह पर अपना बदला लेने के लिए झूठे सच्चे चालान करके अदालत में भेज देते हैं, जिसके बारे में हाई कोर्ट में इस्ट्रिक्चर होते हैं कि यह केस प्रासीक्युशन साबित नहीं कर सका। श्री राधेश्याम शर्मा, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस का यह कहना कि दे शुड बी रेडी टु फेस दि कांसीक्वेन्सेज के माने यह हैं कि अगर फाल्स साबित हुआ तो वह बैहसियत सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करेंगे। माननीय सदस्य के खिलाफ किसी भी थाने से झूठे सच्चे मुकदमें बनवा सकते हैं। गोली लगवा सकते हैं, केरल की तरह। उनकी शक्ति क्या है इसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं सदस्य होने की हैसियत से चाहूंगा कि आप रक्षक हैं, इस सदन के अधिकारों के। यह साफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बनता है।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वाराणसी के एस० एस० पी० ने जो वक्तव्य दिया है मैं अपने माननीय कांग्रेस दल के मित्रों से कहना चाहूंगा कि वह किसी एक नागरिक के नाते उनका यह वक्तव्य नहीं है। वह एक एस० एस० पी० होने के नाते है और वह इस सदन के एक केस को प्रभावित कर रहा है। इस बात पर जो चर्चा हुई थी वह उनके एस० एस० पी० होने के नाते हुई थी। क्योंकि वे एस० एस० पी० हैं और इस नाते ही उन्होंने सफाई दी कि उस दिन मैं यहां था, वहां नहीं था और उसमें मेरा हाथ नहीं था, आदि आदि। यह कहा गया कि भारत के नागरिक होने के नाते उसके नागरिकता के अधिकार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह अधिकार क्या उसके एस० एस० पी० होने के कारण सीमित नहीं हो गये? वह चौबीसों घंटे एस० एस० पी० है और यदि वह किसी प्रकार का कोई बयान देता है या विचार प्रकट करता है तो एस० एस० पी० होने के नाते करता है और व्यक्तिगत नागरिकता की बात कहना उसको वास्तविकता पर परदा डालना होगा।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि एस०एस०पी० श्री शर्मा ने जो बयान दिया है उसका एक अंश तो यह है कि हम उसमें नहीं थे और हमारे ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं वे गलत हैं, मिथ्या हैं। उसका एक पक्ष यह है किन्तु उसी वक्तव्य में यह भी शब्द लिखे गये हैं कि यदि यह गलत साबित हुआ तो उसके परिणाम भी उन लोगों को भुगतने होंगे जिन्होंने यह बयान दिये हैं। इसके अर्थ यह हैं कि या तो सदस्यों को त्यागपत्र देना चाहिये और यदि उन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ लगाया जाय तो उसमें उन्होंने धमकी की भावना भी प्रकट की है। श्रीमन्, मैं यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनकी यदि यह मान्यता हो कि एस० एस० पी० शर्मा निर्दोष हैं और यदि उनका यह विचार हो तो श्री शर्मा को अपनी बात कहने की जगह प्रिविलेज कमेटी है। वहां वे चाहें तो उनको चांस.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल सकता है, यहां हाउस में तो उनको कोई अवसर नहीं मिल सकता। इसलिये जो लोग समझते हों कि उनके साथ अन्याय हो रहा है उनको भी श्री शर्मा के लिये यह मसला प्रिविलेज कमेटी में भेज देना चाहिये। प्रिविलेज कमेटी यदि समझेगी तो एस० एस० पी० शर्मा को बुलवाकर उनसे पूछ सकती है और प्रिविलेज कमेटी में उनको अपनी सफाई देने का अधिकार प्राप्त हो जायगा।

यदि इस पर भी वे समझते हैं कि नागरिकता के अधिकार हैं और वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तो वह अधिकार प्राप्त करने के लिये हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जैसा आपने भी कल इंगित किया था कि उनको हाई कोर्ट में यहां की चर्चा पर किसी प्रकार का बयान देने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा और अगर नहीं होगा तो इससे साफ जाहिर है कि किसी भी माननीय सदस्य को यहां पर नागरिकता की बात कहने का अधिकार नहीं है। श्रीमन्, मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि श्री राधेश्याम जी शर्मा जो बनारस के एस० एस० पी० हैं उनके द्वारा इस प्रकार की चर्चा हुई इस नाते से अपने करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि सदन की मान मर्यादा उसकी प्रतिष्ठा आज आपके हाथों में है। इस सदन के सदस्यों की सुरक्षा आपके हाथों में सीमित है। शासनारूढ़ दल इस सदन के अन्दर बैठा हुआ भी इस सदन की मर्यादाओं की अवहेलना करने पर उतारू है और इसलिये इस सदन की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये मैं यहां आपसे भीख मांगता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कृपा से प्रति दिन सतिया कांड का यहां पर चर्चा होती है और सदन का अधिकांश समय इस कांड के सिलसिले में सदुपयोग हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल आपने विशेषाधिकारों के प्रश्न पर सदन में जो विवेचना की है, जो विशेष व्यवस्था दी है वह बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। मैं समझता हूं इसके लिये किसी पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की बड़ी किताब की आवश्यकता नहीं है। इस बात को आपने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई सदन की कार्यवाही पर टिप्पणी करता है तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी हो जाता है। धमकी के प्रश्न पर हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने पक्ष उपस्थित किया है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राधेश्याम शर्मा एस० एस० पी० ने इस सदन के अन्दर जो चर्चा हुई, जो कार्यवाही सदन में हुई, उसके ही सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुये अपना वक्तव्य दिया है। यदि उन्होंने हमारे सदन की कार्यवाही पर कोई वक्तव्य दिया है तो आपके निर्णय के अनुसार वह विशेषाधिकार की अवहेलना के दोषी हो जाते हैं।

एक बात यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह भी स्पष्ठ है कि सदन के अन्दर जो चर्चा हुई, उसमें एस० एस० पी० पर अभियोग लगाया। आप भी नित्य अखबार पढ़ते हैं। कहीं कोई शिकायत उनके विरुद्ध सदन की कार्यवाही के अतिरिक्त नहीं मिली है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष ने कोई अभियोग सदन के बाहर अभी तक श्री राधेश्याम शर्मा एस० एस० पी० पर नहीं लगाया। इससे यह स्पष्ट है कि एस० एस० पी० पर अभियोग इसी सदन में लगाया गया है। अतः इस सदन की कार्यवाही पर टिप्पणी हुई है और उन्होंने, अपना वक्तव्य सदन की कार्यवाही पर दिया है। मैं चाहता हूं आप कोई निर्णय देने के पहले इस पर विचार कर लें। मैं चाहता हूं आप इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को पुर्द कर दें। अभी वह समिति गठित नहीं हुई है पर इस सत्र में गठित हो जायगी। विशेषाधिकार समिति में बैठकर दोनों ओर के सदस्य ठंडे दिल से विचार कर लेंगे और अपना निर्णय देंगे। मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में बहस को समाप्त करें। एक सवाल जब उठ जाता है तो घंटों उस पर बहस होती है। व्यवस्था के नाम पर यह तांडव हो रहा है। जो बोलना चाहते हैं उनको समय आप नहीं देते हैं। मैं समझता हूं आप इस बात पर विचार करेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से यह सदन बहुत पुराना है और श्रीमान् भी बहुत वर्षों तक यहां की शोभा के स्थान पर बैठे हुए रहे हैं। माननीय सदस्य विपक्ष के यह कहते हैं कि अगर इस आदरणीय सदन के किसी भी सदस्य की मान की हानि होती है या उसकी रक्षा में कहीं थोड़ी सी आंच लगती है तो उसके रक्षक श्रीमान् हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्त सदन जो है कस्टोडियन है या रक्षक है इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता का। अगर किसी भी नागरिक की मानहानि होती है तो यहीं से नियम, कानून बन बना कर, छन छना कर प्रदेश में पहुंचता है और उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक अगर कहीं अपने आप को आरक्षित पाता है तो उससे उसकी सुरक्षा हो सकती है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई साधारण किसान हो, चाहे कोई मजदूर हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, चाहे श्री राधेश्याम शर्मा जी हों, चाहे हमारे वे भाई हों जो कि हमारे ही सामने माननीय सदस्य हैं। मुझे भी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस नामक पुस्तक को देखना पड़ा है इस पक्ष से और उस पक्ष से भी, कानून के जो बड़े पंडित और पारंगत रहे हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से अपने निर्णय लिये हैं और उसके बारे में उन्होंने अपनी राय प्रकट की हैं। लेकिन अगर कहीं कानून नहीं है, तब क्या होता है, तब जो नजीरें (प्रिसिडेंस) हैं वे पेश किये जाते हैं। राय कायम करने के लिये मुझे एक सन्देह पैदा होता है और मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मन में शंका है और अपनी उस शंका को मैं आपके सम्मुख और आदरणीय सदस्यों के सम्मुख रखना चाहता हूं कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि यहां हाइपोथेटिकली बहस चल रही हो? समाचारपत्रों में आपने भी देखा है कि कुछ बयान निकला, अगर बयान न भी कहें बल्कि यह कहें कि कोई सूचना निकली कि अमुक व्यक्ति ने अमुक बात कही है।

मुझे सन्देह नहीं हो सकता अगर हमारे पास कोई प्रमाण हो लिखित, और हमने इत्मीनान कर लिया हो, और सारे सदन को इत्मीनान हो जाय कि अमुक व्यक्ति चाहे बड़ा से बड़ा हो, चाहे एस० एस० पी० हो, चाहे माननीय उप मुख्य मंत्री हों, चाहे हमारे पुराने नेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, अगर उनकी बात कहीं लिपिबद्ध होती और प्रमाण होता तो उन पर भी दोषारोपण हो सकता है और उनको भी पेनलाइज किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समाचार-पत्रों को आधार बनाकर और उसे सही मान कर हम इस आदरणीय सदन का अमूल्य समय कहीं व्यर्थ तो नहीं खर्च कर रहे हैं? मेरे मन में यह शंका है इसलिये मैंने माननीय सदन से कहा। मैंने भी समाचार पत्र पढ़ा है और हमारे जो अंग्रेजी के पंडित हैं उन्होंने कांसी-क्वेंसेज का अर्थ लगाया है, उसके तरह तरह के अर्थ लग सकते हैं परिणाम भुगतना तो उसके ऊपर निर्भर करता है जो तथ्य हों। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कत्ल होते हैं, कत्ल नहीं होने चाहिये। पेनल कोड का सेक्शन है जिसके अनुसार फांसी भी होती है लेकिन एक पार्टिकुलर केस को लेकर मैं नहीं कहता कि उस पर यहां चर्चा न हो, जरूर चर्चा हो लेकिन अगर कोई निर्दोष बेगुनाह मार डाला गया हो, तो उसकी सजा भी होनी चाहिये लेकिन कोई ऐसा अंग न बन जाय जिससे स्पष्ट हो जाय कि उसके पीछे कोई भ्रामक भावना है। भावना भी तरह तरह की हो सकती है, कहीं दूषित भावना तो नहीं है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मन में कुछ शंकायें थीं जो मैंने आपके सामने रखीं। इस स्तर पर नहीं प्रदेश के स्तर पर मुझे जानकारी एक सेवक की हैसियत से है। आखिल भारतीय स्तर पर भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे और माननीय सदस्यों की बातों को स्टेटमेन्ट के रूप में लेना पड़ा है और उ पर बधाई ही दी गई है। अगर किसी समाचार पत्र का कोई एडीटर अथवा सम्वाददाता हो जो किसी से दुश्मनी रखता हो और उसने स्टेटमेंट को टेढ़ा मेढ़ा निकाल दिया हो तो बहुत से बेगुनाह गुनहगारों की गणना में आ जायेंगे.. (व्यवधान) यदि किसी माननीय सदस्य को धमकी दी हो तो म कहता हूं कि कहीं पर भी किसी की शान के खिलाफ़ अगर कोई कुछ कहता है तो वह गलत कहता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा ही इस प्रदेश के सब नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और इसी तरह से माननीय सदस्यों की भी। इसलिये खामखाह ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराना, आप कहते कि राधेश्याम शर्मा ऐसे हैं, वैसे

हैं और फलां मंत्री के साथ रहे हैं। समुचित आधार होना चाहिये। आपने स्वयं देखा हो तो प्रमाण दे सकते हैं। यहां जांच का भी प्रश्न नहीं उठता है। कोई स्टेटमैन्ट भी नहीं है। कोई बात भी हमारे सामने नहीं है। इसलिये यह बहस निरर्थक है।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय समाप्त हो गया। अब मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजरसिंह जी ने कहा कि आप दो दिन का ऐसे विषयों पर चर्चा का अवसर दे दिया करते हैं। तो ऐसे विषय पर चर्चा का अवसर न देना यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिखित दे दीजिये।

(व्यवधान)

आपने कोटेशन्स पढ़ लिये। मैं भी पढ़े लेता हूं। पढ़ भी चुका हूं। मुझे भी तो फैसला देने का समय होना चाहिये। अभी तो मैं जाऊंगा बाहर और बजट का काम शुरू हो जायेगा। आते ही इसको स्टडी करके इसका फ़ैसला सुना दूंगा कि प्राइमाफैसी केस बनता है या नहीं। इसलिये कृपा करके आप आगे का काम शुरू करें।

श्री शिवराजसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जब किसी विषय पर माननीय सदस्य बोलना चाहते है तो साधारणतया खड़े होते है। आप किसी को इजाजत भी नहीं देते तो भी वे बोलना प्रारम्भ कर देते है और आप उनको सुनना शुरू कर देते है। इस सदन में आप इस प्रवृत्ति को बल देते है कि सदस्य आपकी आज्ञा के बगैर बोलना शुरू कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं मना करता रहता हूं और वे बोलना शुरू कर दें तो यह उचित नहीं है।

राजस्व मंत्री द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २८ फरवरी, १९६६ को सभा सचिव, राजस्व ने विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत एक वक्तव्य देते हुये कहा था—

"बुलन्दशहर के ग्राम उस्तारा के श्री बहादुर सिंह स्वयं सैनिक नहीं हैं। इसलिये अधिभार उनके द्वारा देय है। उनका एक पुत्र सैनिक है जिनका नाम संयुक्त खाते में है। इस खाते में जो हिस्सा सैनिक का है उस पर अधिभार वसूल न होना चाहिये था, लेकिन हो गया है यह भूल हुई है। जो रुपया गलती से वसूल हो गया है वह वापस कर दिया जायगा।'

२—वक्तव्य के उपर्युक्त अंश में बताई गई स्थिति सही नहीं थी, जिसका बाद में पता चला।

[श्री चतुर्भुज शर्मा—]

३—इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

जिला बुलन्दशहर के ग्राम उस्तारा के श्री बहादुर सिंह सैनिक नहीं हैं। उनका कोई पुत्र भी सैनिक नहीं है। अतएव श्री बहादुर सिंह अथवा उनके पुत्रों से अधिभार की वसूली में कोई अनियमितता नहीं हुई थी।

४—जिस कर्मचारी की भूल के कारण सदन में गलत सूचना दी गई थी उसके विरुद्ध आवश्यक वैभागिक कार्यवाही की गई है।

५—२८ फरवरी, १९६६ को सभा सचिव, राजस्व द्वारा दिया गया वक्तव्य निम्नलिखित है—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक २८ फरवरी, १९६६ का उद्धरण सैनिक परिवारों से बढ़े हुये लगान का नियम विरुद्ध वसूली, नियम ५२ के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

श्री राम कुमार शास्त्री—

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६० की धारा ३ व उनके अधीन बनी नियमावली के नियम ३के अनुसार आपातिक अधिभार निम्नलिखित वर्ग के क्षेत्रपतियों द्वारा देय नहीं—

(१) ऐसे क्षेत्रपति जो देश की प्रतिरक्षा में लगे रहते हुये चीनी या पाकिस्तानी आक्रमण द्वारा आरोपित युद्ध के फलस्वरूप स्थाई रूप से आशक्त हो गये हैं।

(२) उक्त युद्ध में मारे गये क्षेत्रपतियों के उत्तराधिकारी, और

(३) ऐसे क्षेत्रपति जो भारतीय संघ को वैमानिक नाविक अथवा स्थल सेना की लड़ाकू सेवा में लगे हों, या लगे रहे हैं। इस प्रकार आपातिक अधिभार से छूट केवल उन खातों के संबंध में दी गई है जो किसी स्थायी रूप से अशक्त हुये फौजी का है। या जो किसी और गति पाये फौजी के उत्तराधिकारियों का है अथवा जो किसी वर्तमान फौजी के नाम दर्ज है, इन से अन्य किसी व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि के बारे में आपातिक अधिभार से छूट नहीं दी गई है।

२—माननीय रामचन्द्र विकल ने सदन में जो यह शिकायत की थी कि सैनिक परिवारों से भी आपातिक अधिभार वसूल किया जा रहा है उसकी मैंने जांच कराई है। जिला मेरठ की तहसील बागपत के गांव बावली के सर्वश्री सीताराम व टीकाराम ऊपर बताई गई श्रेणियों में नहीं आते और वे आपातिक अधिभार से मुक्त नहीं है। जिला अधिकारियों ने रिपोर्ट की है कि उनके जिले में ऐसे किसी फौजी से जो अधिनियम के अनुसार मुक्त हैं अधिभार की वसूली नहीं की गई है।

३—जिला बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के गांव सलामतपुर के निवासी श्री रघुबीर सिंह पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, अतः उनके नाम जो खाता है वह आपातिक अधिभार से विमुक्त नहीं है। श्री रघुबीर सिंह के बड़े पुत्र श्री मनवीर सिंह जिन्होंने चीन के युद्ध में वीरगति पाई थी, के उत्तराधिकारी से अधिभार की वसूली नहीं हुई है।

४—बुलन्दशहर के ग्राम उस्तारा के श्री बहादुर सिंह स्वयं सैनिक नहीं हैं इसलिये अधिभार उनके द्वारा देय है। उनके एक पुत्र सैनिक हैं जिनका नाम संयुक्त खाते में है। इस खाते में जो हिस्सा सैनिक का है उस पर अधिभार वसूल नहीं होना चाहिये था, लेकिन हो गया है। यह भूल हुई है। जो रुपया गलती से वसूल हो गया है वह वापस कर दिया जायगा।

१९६९-७० के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १--बृहत् जोतकर अनुदान संख्या २--भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष--

आप तीनों ग्रांट एक साथ मूव कर दें ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १--बृहत् जोतकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,३३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २--भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,२८,५७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,००,१६,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं अभी सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । पहले माननीय सदस्य अपनी अपनी बातें कटौती के प्रस्ताव के रूप में कह लें, उसके पश्चात्, मैं उनका जवाब दे दूंगा ।

दूसरे अनुदान से संबंधित दो चार बातें ही इस समय कह देना उचित समझता हूं । इसमें कुछ रुपये की बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है । इस बढ़ोत्तरी का कारण वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि है । इसके अतिरिक्त कुछ अस्थायी कर्मचारी भी स्थायी हुये हैं ।

इस बार एक और नया काम किया गया है, वह यह है कि १ जुलाई, ६९ से जिला टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी के ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में जमींदारी अबोलीशन और भूमि व्यवस्था कानून लागू कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त एक यह भी प्राविजन किया गया है कि अनुसूचित और आदिम जाति के जो भूमिधर और सीरदार लोग हैं या किसी तरह के असामी हैं वे अगर अपनी जोत को किसी प्रकार से ट्रांसफर करते हैं तो उसके पहले उनको कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी । बिना उसके बिक्री, दान, बंधक या पट्टा नहीं हो सकेगा । इसके अतिरिक्त जो और चीजें हैं उनमें से एक यह है कि नैनीताल जिले में भी जो गवर्नमेंट एस्टेट के हक थे, उन पर भी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून १ जुलाई से लागू हो गया है।

अब मैं माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहूंगा और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे सुझाव देंगे जो मेरे लिये बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे ।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रूप नाथ सिंह यादव--]

सम्पूर्ण अनुदान संख्या १ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सवा छः एकड़ तक की जोतों से लगान की समाप्ति के सम्बन्ध में चर्चा करना और सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। सम्पूर्ण अनुदान संख्या २ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सवा छः एकड़ तक की जोतों से लगान की समाधि के सम्बन्ध में चर्चा करना और सरकारी विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना। सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

इस सरकार से किसानों ने यह आशा की थी कि यह सरकार हमारी हालत को अवश्य सुधारेगी और इस कांग्रेस सरकार से तो अवश्य ही यह आशा थी कि वह किसानों की हालत को सुधारेगी और उसने इस बीस साल में दावा भी किया था कि हम किसानों की हालत को सुधारेंगे और जमीन की व्यवस्था में तब्दीली लायेंगे। इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को इस बात से इंकार नहीं है कि यह कृषि प्रधान प्रदेश है. . . .

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

और यहां के ८० प्रतिशत लोग किसानी के पैसे पर आश्रित हैं। रेवेन्यू के विभाग में भ्रष्टाचार तो बढ़ा है लेकिन इस कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भी कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं जिससे प्रदेश के किसानों को राहत मिली है। हमारा जो किसान है वह अनाज पैदा करता है, अगर उसकी दशा सुधारी जाय तो जो हिन्दुस्तान की गरीबी है, वह दूर हो जायगी। गांधी जी ने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले इस देश के लिये राष्ट्र के लिये एक संदेश दिया था जिसे मैं पढ़कर सुना देता हूं। वह इस प्रकार है:—

"आज एक सज्जन आये थे। उनका नाम तो मैं भूल गया। उन्होंने किसानों की बात की। मैंने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा। हमारा बड़ा वजीर किसान होगा। सब कुछ किसान होगा। क्योंकि वहां का राजा किसान है। मुझे बचपन में सिखाया था एक कविता है—"हे किसान तू बादशाह है"। किसान जमीन से पैदा न करें तो हम क्या खायेंगे। हिन्दुस्तान का सचमुच राजा तो वही है। लेकिन आज हम उसे गुलाम बना कर बैठे हैं। आज किसान क्या करे? एम० ए० बने बी० ए० बने वैसा किया तो किसान मिट जायगा। पीछे वह कुदाली नहीं चलायेगा। तो आदमी अपनी जमीन से पैदा करता है और खाता है तो जनरल बने प्रधान बने, तो हिन्दुस्तान की शकल बदल जायगी आज जो सड़ा पड़ा है वह नहीं रहेगा। मान्यवर, जुलाई, १९५२ के पूर्व जब कि जमींदारी अबोलिशन हुआ था इस प्रदेश के किसानों को १८ करोड़ ८४ लाख रुपया लगान के रूप में देना पड़ता था। और इसमें से जमींदार ७ करोड़ ६ लाख रुपया राज्य सरकार को देते थे लेकिन जमींदारी एबोलिशन के बाद १९६०—६१ में इसमें वृद्धि हो कर २१ करोड़ १९ लाख हो गयी, लेकिन जहां तक हमारे गरीब किसान हैं छोटे छोटे किसान हैं उनके बारे में सुधार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी। इनमें से ८० प्रतिशत किसान ५ एकड़ जोत वाले हैं, जिनकी कोई भी आमदनी नहीं है। जब यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि जिस खेत से कोई मुनाफा नहीं होगा तो कोई मालगुजारी नहीं लग पायेगी। चुनाव के जमाने में हमारे कांग्रेस के भाइयों ने जनता से वादा किया था कि वे अनएकोनामिक होल्डिंग्स की लगान माफ करायेंगे लेकिन शासन में आकर वे सब भूल गये हैं।

हमें आशा थी कि आप इस बजट में यह राहत देंगे कि कम से कम अलाभकर जोतों की मालगुजारी नहीं लेंगे और उसे खत्म करेंगे। हमारे माननीय मंत्री जी जब संविद की सरकार में इधर बैठे थे तो गेंदा सिंह जी का भाषण था कि प्रदेश में सवा छः एकड़ तक के किसान की मालगुजारी माफ हो जायगी लेकिन वह सब बातें भूल गये। कोई सरकार जब जनता का विश्वास

खो देती है तो वह चल नहीं सकती है। यह बहुत जरूरी है कि जो हमारे छोटे किसान हैं, वे पहले से भी गरीब होते जा रहे हैं और बड़े किसान जो हैं वे ही सरकार द्वारा प्रदत्त साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा इस प्रदेश की आज हालत क्या है। कहीं पर अकाल है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप है, यह सरकार कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं कर रही है जिस से इन आपदाओं का सामना किया जा सके और पीड़ित क्षेत्रों को राहत मिल सके।

जहां तक सिंचाई का संबंध है अगर ये लोग हर खेत को पानी की व्यवस्था कर दें तो हिन्दुस्तान की गरीबी मिट जाती और दूसरे देशों से जो हम गल्ला मंगा रहे हैं, वह मंगाना बन्द हो जाता। न तो हमारी सरकार ने सिंचाई के साधन बढ़ाने, न प्रदेश के निवासियों की आमदनी बढ़ाने की ओर कोई ध्यान दिया है बल्कि दूसरी ओर आप किसानों पर कर बढ़ाने जा रहे हैं। कर जांच समिति की रिपोर्ट से यह विदित है कि यह सरकार बहुत जल्दी किसानों पर एक और टैक्स लगाने जा रही है। मैं चाहूंगा कि कम से कम ८० प्रतिशत परिवार जिनके पास, आप की रपट के मुताबिक अलाभकर जोतें हैं उनकी घोषणा इस अनुदान पर बहस के समय आप अवश्य करें। आज लेखपाल खसरा खतौनी के सारे कागजात मेन्टेन करता है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में कलेक्टर और एस० डी० ओ० की यह ड्यूटी है लेकिन लेखपाल जो दाखिल करता है उसी को वह स्वीकार कर लेते हैं। नतीजा यह होता है कि असरदार लोग लेखपाल को मिला कर फर्जी इन्दराज करा लेते हैं जिस पर कलेक्टर और एस० डी० ओ० की मुहर लग जाती है और जब इन्दराज दुरुस्ती का कोई मामला जाता है तो वहां भी वही कलेक्टर और एस० डी० ओ० उसकी ताईद कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि माल मंत्री हर जिला अधिकारी को यह आदेश दें कि हर गांव में इन्दराज की वह खुद मौके पर जाकर पड़ताल करें ताकि फर्जी इन्दराज की मुकदमेबाजी समाप्त हो।

कल मुख्य मन्त्री और उधर के सदस्य कह रहे थे कि हम दबे हुए को, हरिजनों को ऊपर उठायेंगे। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जहां हरिजन ५० साल से बसे हुए हैं उसका इन्दराज भूतपूर्व जमींदारों के नाम दर्ज हैं और उसकी बेसिस पर हरिजनों के ऊपर अत्याचार होता है। लैंड रेकार्ड मैनुअल में आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई कि वह जमीन उनके नाम कर दी जाय। हरिजनों की व्यवस्था के लिये यह जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था की जाय। प्रदेश में आज चकबन्दी चल रही है। उस सम्बन्ध में कितना भ्रष्टाचार है इसकी शिकायतें शासन को दी गयीं। ए० सी० ओ० और सी० ओ० अपने बंगले में बैठ कर गांव के पूरे चक काट देते हैं। जो गरीब किसान हैं उनको रहने की जगह भी नहीं मिलती। मगर सरकार ने इन शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उन्हीं अफसरों के पास जांच के लिये भेज देती है जिनके खिलाफ शिकायत होती है। मैं सुझाव दूंगा कि वह इस तरह की शिकायतों की जांच के लिये एक अलग आयुक्त हो जो इनकी जांच करे।

आज चकबन्दी का जो उद्देश्य था उसका बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है। हर गांव में मुकदमे हो रहे हैं और भाई भाई तथा बाप बेटे लड़ रहे हैं। इसकी कोई व्यवस्था शासन की तरफ से नहीं होती और जनता त्राहि त्राहि कर रही है। यहां ८७ फीसदी लोग खेती करते हैं और गांवों में रहते हैं और गांवों के सुधार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज खेती, काश्त, सीर और बाग वगैरह जमींदारों के ही रह गये हैं और भूमिहीनों को जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं। एक गरीब जिसके पास ५ एकड़ से कम जमीन है उसके लिये दस गुना के लिये वायदा करलिया है कि ४० साल तक कोई कर नहीं बढ़ायेंगे और दसगुना देने पर लगान आधा हो जायेगा। लेकिन आर्डीनेंस जारी कर के बीस गुना कर दिया है। यह अनकांस्टीट्यूशनल और अल्ट्रावायरस है। इससे किसान परेशान हो रहा है। इस विभाग में वही पुराना ढांचा है जो अंग्रेजों के जमाने से चला आता है। इसमें कोई रेडीकल चेंजेज नहीं हुई हैं जिससे किसानों को राहत मिलती।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

आपने देखा कि खसरा खतौनी में गड़बड़ करने की गुंजाइश है इसलिये माननीय चौधरी साहब ने पटवारियों को खत्म किया और लेखपाल बनाये, लेकिन वे भी वही काम कर रहे हैं क्योंकि कानून में तब्दीली नहीं हुई। जो लेखपाल लिख देता है वही हाई कोर्ट तक माना जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि जहां छोटे किसानों के कब्जे के बारे में विवाद हो वहां कलक्टर से कम रैंक का आदमी न हो और वह जबानी शहादत को भी तरजीह दे। तभी उनकी दुरुस्ती हो सकती है वरना खसरा और खतौनी को ही माना जायेगा। इस से भ्रष्टाचार बिना किसी कठिनाई के खत्म हो सकता है। इसमें साधन का कोई सवाल नहीं है। लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि आज मुकदमेबाजी इतनी बढ़ गई है कि दाखिल-खारिज में लोग ५, ६ साल तक लड़ते रहते हैं। रेवेन्यू कोर्ट में लड़ते हैं बाद में सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। इस तरह से दुगना खर्चा होता है।

मैं सुझाव दूंगा कि अननेसेसरी विभाग और पदों को तोड़ दिया जाय। जैसे रेवेन्यू बोर्ड की जुडिशियल ब्रांच को एबोलिश कर दिया जाय। इस तरह से जो बचत होगी उससे किसानों को राहत होगी। आप ने देखा कि जहां तक प्रदेश का संबंध है सबसे ज्यादा यहां लैंड रेवेन्यू की दर ५ रुपया फी एकड़ है। इसी दर से दे रहे हैं, कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया। अगर दरअसल पिछड़े हुए लोगों को उठाना है तो मेरा सुझाव है कि सवा ६ एकड़ तक नहीं, बल्कि पूरी मालगुजारी समाप्त कर दें और केवल उन खेतों पर टैक्स लगे जिनकी आमदनी टैक्स देने के लायक है। क्या जस्टीफिकेशन है इस सरकार को जबकि इन्कम टैक्स में ३६ सौ रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन एक भूमिहीन, हरिजन अगर एक बीघा जमीन भी पट्टा लेता है तो उस को तुरन्त मालगुजारी देनी पड़ती है, चाहे वह भी बंजर हो या परती और उससे कोई नफा हो या नहीं। आपने मुजफ्फर नगर में प्रस्ताव भी पास किया था कि अलाभ कर जोतों पर मालगुजारी माफ होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से एक बात और कहना चाहता हूं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने कर्मचारी या आफिसर हैं उनके अभी वही पुराने तरीके हैं, उनका दृष्टिकोण नहीं बदला है, जो बदलना चाहिये। कम से कम जो पिछड़े और दबे लोग हैं, उनको उठाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आर्टिकिल १६ आफ दि कांस्टीट्यूशन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्राविजन के अन्दर उन सब का जो पिछड़े और दबे हुए हैं सरकारी नौकरियों में एग्जीक्यूटिव आर्डर से रिजरवेशन हो सकता है। "१६---(१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी।" आर्टिकिल १६ का क्लाज ४ इस प्रकार है :- "इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों का रक्षण के लिये प्रबन्ध करने में कोई बाधा नहीं होगी। मा यवर, आर्टिकिल १६(४) में १९६३-६४ में फैसला हो गया है कि स्टेट इग्जीक्यूटिव आर्डर से ही कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि विधेयक आये जो कि गांव का वर्ग अनरिप्रजेंटेड रह जाता है सर्विसेज में उन को कोई विशेष विधा हीं मिलती। उनका सर्विसेज में ऐडिक्वेट रिप्रजेंटेशन होना चाहिए। इस के मद्देनजर मैं चाहूंगा कि माल मंत्री इस ओर ध्यान दें, और इन आर्टिकिल के अन्तर्गत उनका रिजर्वेशन ६० और ४० के अनुपात से करें।

दुर्भिक्ष अकाल और सूखा में जब फसल खराब हो जाती है तो उस की कीमत बहुत कम आंकी जाती है। किसी को ५० रु० देते हैं किसी को दस। इस महंगी के जमाने में वह रिलीफ बहुत नाकफी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वह इस पर गौर करें और अकाल की धनराशि को बढ़ायें। इन लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उसमें भी लेखपाल, कानूनगो आदि की मदद से उनका काम होता है, तो इस स्तर के कर्मचारी रिश्वत ले लेते हैं। इसको दूर करने के लिये उनको नगद देने के बजाय काइन्ड में दे दें, बैल आदि खरीदने पर व्यय कर दें ताकि किसी को कमीशन आदि देने का प्रश्न न उठे। यह सिद्धांत की बात मैंने कही। जब सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान न दे और भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हो तो उस शासन को इस अनुदान में

कोई धन न दिया जाय। इस तरह से मैं आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इधर के और उधर बैठने वाले सदस्य भी इस कटौती का समर्थन करें।

श्री गोपालदत्त (जिला पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान के विषय में बोलने का अवसर दिया। मैं इस बारे में पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को रखने की कोशिश करूंगा। सब से पहले जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि कांग्रेस के अन्दर कांग्रेसी ही कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, मैं इसे नहीं मानता। यदि हम अपनी तीनो पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो हम पाते हैं कि सब से ज्यादा खर्चा कृषि पर किया गया है। पहली योजना में ६९.९९ करोड़ रुपया, दूसरी योजना में ९७ करोड़ रुपया तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में २१६.२२ करोड़ रुपया कृषि पर खर्च किया गया। जब कृषि में ज्यादा खर्च किया जा रहा है तो यह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने सब से ज्यादा ध्यान कृषि पर दिया है। जहां तक उत्पादन का सवाल है, उसे बढ़ाना चाहिये। सन् १९५१ में यह ११७.७५ लाख टन, सन् १९६६–६७ में ११७.७१ लाख टन तथा १९६७–६८ में १६६.२७ लाख टन उत्पादन बढ़ा है। आज के बजट में सिंचाई व्यवस्था में १०.६० प्रतिशत व जिला में ४२.५ परसेंट खर्च की व्यवस्था की गई है तो इस हिसाब से यह पूरे बजट का ५३ परसेंट है जो कि कृषि पर खर्च किया जायगा। अतः यह मानना पड़ेगा कि यह प्रोग्रेसिव बजट है। कृषकों को कृषि के साधन मुहय्या कराने का सरकार ने पूरा प्रयास किया है। यदि हम करों का अध्ययन करें तो भू-राजस्व से भी सरकार की आय होती है। यदि हम और प्रान्तों की तुलना करें तो यहां पर प्रति व्यक्ति कर भार बहुत कम है जबकि और प्रान्तों में ज्यादा है। पंजाब में प्रति व्यक्ति कर भार २९.९२ रु०, महाराष्ट्र में २६ रु०, बंगाल में २१.५३ रु०, मद्रास में २०.७३ रु०, केरल में १९.०९ रु० तथा उत्तर प्रदेश में सब से कम केवल १०.०६ रु० है। यहां पर प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से भी कर भार बहुत कम है। यह उत्तर प्रदेश में २.६९ प्रतिशत, मद्रास में ४.९२, केरल में ४.९०, प्रतिशत, मद्रास में ४.७५ प्रतिशत, पंजाब में ४.६६, उड़ीसा में २.७८ व बिहार में ३.४१ प्रतिशत है। कहने का मतलब यह है कि १९६०–६१ में जो कर भार प्रति व्यक्ति ७.८९ रु० था वह बढ़ कर १९६७–६८ में १२.७२ हो गया। अगर अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो वह १९६०–६१ में प्रति व्यक्ति १०.३९ था उससे बढ़ कर १९६७–६८ में २१ रुपया हो गया है। इस प्रकार अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर भार कम है।

यदि कृषि की आमदनी की ओर देखें तो वह उत्तर प्रदेश में केवल १.५१ प्रतिशत है, और यह भू-राजस्व के रूप में है जब कि आन्ध्र प्रदेश में २.५५ प्रतिशत, आसाम में २.०१, गुजरात में १.७९ तथा राजस्थान में २.६५ है। तो मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनका यह विचार कि कांग्रेस किसान विरोधी नीति अपना रही है वह किसानों के लिये कुछ नहीं कर रही है बिलकुल गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि गवर्नमेंट इस्टेट्स जो तराई भाबर में है उनमें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट उन्होंने लागू कर दिया है। टेहरी-गढ़वाल में भी उसको लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में जब से वहां बन्दोबस्त हुआ वहां तब ही से लागू है और काश्तकार भूमिधर हुआ है उनको गिला नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मैं राजस्व मंत्री जी से यह भी अर्ज करूंगा कि कुमायूं जमींदारी विनाश उन्मूलन कानून की जो दफा ९ है उसके अनुसार जो भी नाप जमीन का मालिक होता है उसके लिये नोटिस बेदखली का दिया जा रहा है जिसका १९०२ से कब्जा चला आ रहा है। वह हिस्सेदार था, उसके खेत थे, उसका बाग था लेकिन अब उसको बेदखल किया जा रहा है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि इसको देखा जाय कि क्यों ऐसी योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[श्री गोपाल दत्त]

राजस्व मंत्री जी से एक बात और कहूंगा कि पिथौरागढ़ जो हमारे प्रदेश का आखिरी जिला है जिसके एक तरफ नैपाल है और दूसरी ओर तिब्बत है वहां की समस्या विचित्र है। उसके निकट लोहाघाट और चम्पावत तहसील हैं इनको जिलों को पिथौरागढ़ में मिलाने की व्यवस्था कर दी जाय।

इसके अतिरिक्त जो सेटिलमेंट पिथौरागढ़ में हुआ है उसमें तलाऊ जमीन के बाबत बड़े गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। आबादी वाली जमीन १ लाख २० हजार एकड़ है और जो काबिल आबादी जमीन है १९ हजार एकड़ है। सिंचाई के लायक जमीन २१ हजार ३ सौ एकड़ है। लेकिन यह जो आंकड़े रेवेन्यू विभाग में बनाये गये हैं जिस भूमि में पानी ही नहीं है उनको भी उन्होंने तालाब दिखा दिया है। जब कि वहां न कोई गूल है न पानी है फिर भी उसे तलाऊ जमीन दिखाना कहां तक उचित है और इस प्रकार उसको दिखा कर उसका कुल परसेंटेज २० प्रतिशत कर दिया है। पहाड़ों में करीब सिंचाई की जमीन कुल ८ प्रतिशत है। तो मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो तलाऊ के आंकड़े दिखाये गये हैं वह बिलकुल गलत हैं और जो रेवेन्यू रिकर्ड्स तैयार किये गये हैं वे भ्रामक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा सैनिक परिवार है। भूतपूर्व सैनिक वहां २५ हजार हैं। इस समय करीब वहां २० हजार सैनिक हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इनका संरक्षण शीघ्र से शीघ्र किया जाय। उनके बच्चों के लिये फीस माफी की योजना को कार्यान्वित किया जाय। जो हरिजन करीब १० हजार भूमि हीन हैं उनके मकानों के लिये जमीन की व्यवस्था की जाय। ऐसे ही कुछ भोटिया लोग हैं उनके पास भी जमीन नहीं है। कभी-कभी वहां पर बड़ी सनसनीखेज बात हो जाती है जिससे लोग घबरा से जाते हैं। ऐसों के लिये आज भी रहने की व्यवस्था नहीं है। १० हजार जो हरिजन हैं उनके लिये जमीन दी जाय। तराई भावर में उनके लिये इन्तजाम किया जाय। हलद्वानी से लेकर हरद्वार तक उन लोगों को बसाया जाय। जितने वहां भूतपूर्व सैनिक हैं उनको बाग लगाने के लिये जमीन दी जाय। उनकी कोई कालोनी तराई भावर में बनाई जाय। जो रिजर्व सैनिक हैं और १० साल के बाद घर वापस आ जाते हैं उनके बच्चों के लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाय। हमारे यहां पिथौरागढ़ में सैनिकों की संख्या ज्यादा है जो वहां पर वर्षों से रह रहे हैं उनको जमीन दी जाय और उनके लिये कोई योजना बनाई जाय। जैसा कि इस बजट में आंकड़े दिये गये हैं वहां ५० हजार भोटिया पिथौरागढ़ में रहते हैं उनकी समस्यायें कई हैं। उनके पास जीविका का साधन नहीं है। उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। अगर हो सके तो उन लोगों की रकम को माफ करने की कृपा की जाय ताकि उनके अन्दर अच्छी भावना पैदा हो और वह आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

जनाबेसदर, मैं चाहता तो यह था कि मुझको कल मौका मिलता ताकि मैं जनरल डिबेट में हिस्सा ले सकता मगर बोलने वाले ज्यादा और वक्त कम जिससे मुझे मौका न मिल सका। मुझे आज रेवेन्यू ग्रान्ट के मुताल्लिक ज्यादा नहीं कहना है। दो-चार बातें कहूंगा और मुझे उम्मीद है कि शर्मा साहब उन पर गौर करेंगे। मैं किसी पार्टी से एफिलियेटेड नहीं हूं। कुछ मेरे खयालात हैं जिनका मैं इजहार कर रहा हूं।

पहली बात मुझे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में यह कहना है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू में हजारों अपील पेंडिंग है आज से नहीं बल्कि वर्षों से पेंडिंग है। उनके डिस्पोजल न होने की वजह से कन्ट्री साइड में बहुत काफी अनरेस्ट है। यह कहा जा सकता है कि पहले २ मेम्बर वहां होते थे अब हमने ४ कर दिये हैं। लिहाजा यह तरीका अख्तयार किया गया है कि ये अपीलें जल्द से जल्द डिस्पोज हो जायं। मगर मैं बहुत अदब से शर्मा जी से कहूंगा कि आपने जिन लोगों को इस काम पर मुकर्रर किया है वे इसके अहल नहीं हैं। अफसर मुझे कुछ मेम्बरान

बोर्ड आफ रेवेन्यू के अपीलेट जजमेन्ट को देखने का इत्तफाक हुआ और मैं इस हाउस को यकीन दिलाता हूं कि उन जजमेन्ट्स को पढ़ के मुझे अन्दाजा हुआ कि ये मेम्बर साहब जो चार हजार रुपये तनख्वाह पा रहे हैं ए० बी० सी० आफ रेवेन्यू ला से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। हालत यह है कि इनका प्रोमोशन बोर्ड आफ रेवेन्यू का आई० ए० एस० आफिसर्स से किया जाता है। आई० ए० एस० आफिसर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उनमें बहुत से उम्दा ब्रिलिएन्ट लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छा लिख और पढ़ भी सकते हैं। मगर यह काम एक टेक्नीकल-सा काम हो गया है और मैं समझता हूं कि इसमें अगर जूनियर मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू को सेलेक्शन किया कि वह उन एडीशनल कमिश्नर्स से किया जायेगा जो जुडिशियली एक्स्पीरिएन्स्ड होते हैं तो अपीलें जल्द से जल्द खत्म हो जायगी। बहुत से आज भी ऐडीशनल कमिश्नर्स हैं जिनका जुडिशियल एक्स्पीरिएंस है जो जुडिशियरी से एडीशनल कमिश्नर किये गये हैं और मैं समझता हूं और मैं शर्मा साहब से अर्ज करूंगा कि इसको गौर से समझने की कोशिश करें। अगर इस तरह के आफिसर्स जिनको प्रीवियस रेवेन्यू एक्सपीरियन्स होगा अगर ऐसे लोग बोर्ड आफ रेवेन्यू में बैठ जायं तो शायद यह जो एरियर आपके पास है और जो गवर्नमेंट के वास्ते कोई नेकनामी का बायस नहीं है बहुत ज्यादा हल हो सकता है। शायद एस० वी० डी० गवर्नमेंट के जमाने में या उससे पहले एक मर्तबा इस तरह का प्रपोजल हुआ भी था कि बोर्ड आफ रेवेन्यू जूनियर मेम्बर्स आफ बोर्ड आफ रेवेन्यू या वे एडीशनल कमिश्नर किये जायेंगे जिनको जुडिशियल एक्सपीरिएन्स हो। मगर उसके बाद मालूम नहीं कि सेक्रेटेरिएट में क्या दाल पकी कि उसके बाद वह प्रोपोजल खत्म कर दिया गया। मैं यकीन करता हूं कि शर्मा जी इस पर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह जो तकलीफ बिना कुछ खर्च बढ़ाये हुए रफा हो सकती है तो जरूर रफा की जाय।

दूसरी बात जिस पर मैं शर्मा जी का अटेन्शन दिलाऊंगा वह है लेखपाल का मामला। लेखपाल पटवारी की जगह मुकर्रर हुए। जाहिरा यह बताया गया कि लेखपाल के एप्वाइन्टमेन्ट से और बैटर एडमिनिस्ट्रेशन होता जायेगा। मगर मैं समझता हूं कि लेखपाल गांव वालों के लिये एक मुसीबत की चीज हो गये हैं। एक तो हर गांव में लेखपाल मिलता नहीं है। उसका सर्किल इतना बड़ा होता है। आज शायद अगर किसी लेखपाल को एकदम पूछा जाय कि तुम्हारे सर्किल में कौन-कौन से गांव हैं तो शायद वह बता भी न सके। उसके बाद वह लेखपाल कुछ ऐसे कामों में रक्खा जाता है कि वह अपने सर्किल में रहने नहीं पाता। आज तक मैं दो साल से हिन्दुस्तान वापिस हुआ हूं जिसमें दो-चार बार मुझे इसका इत्तफाक हुआ कि मैंने चाहा कि लेखपाल साहब से मुलाकात हो सके। डिप्टी कमिश्नर और कप्तान साहब से मुलाकात आसान है मगर लेखपाल बहादुर से मुलाकात नहीं हो सकी। लेखपाल साहब या तो कहीं पर अपनी कमाई पर निकल गये या तहसील में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शाम को मिलेंगे। मैंने पूछा कि आप तहसील में क्या-क्या करते हैं तो उन्होंने कहा कि तहसील में स्टाफ कम है और तहसीलदार साहबान के पास मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं और ये उनको अपने काम में लगाये रहते हैं।

यह वाकया है कि लेखपाल अपने सर्किल में नहीं रह पाते और लेखपाल की जरूरत जब काश्तकार को पड़ती है तो लेखपाल उनको नहीं मिल पाते। लेखपाल से कागजात की हर वक्त जरूरत रहती है। कोई भी रेवेन्यू केस हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट में हो, चाहे सिविल कोर्ट में हो, उसे खसरा खतौनी की जरूरत पड़ती है। अदालत से वह खसरा खतौनी ले सकता है, कलेक्टरेट से खसरा खतौनी वह ले सकता है लेकिन लेखपाल से लेने में उसे बहुत दिक्कत होती है। मैं नहीं जानता कि मैं इसका क्या साल्यूशन सजेस्ट कर सकता हूं। जो साहब इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के बड़े तजुर्बेकार हैं उनको इसके लिये कोई ऐसी सूरत निकालनी चाहिये कि काश्तकारों को लेखपालों से समय पर उनके जरूरत की चीजें जल्द से जल्द मिल सकें और जिस वक्त उनको नकल की जरूरत हो आसानी से उनको नकल मिल जाय। नकल लेने में हिन्दुस्तानी अब तो

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

आदी हो गये हैं कि उनको कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता ही है, तो मुझे इसमें एतराज नहीं हो सकता कि अगर कोई अहलकार १०० रुपये पा रहा है तो वह इस तरह से भी एक आध रुपया कमा ले। लेकिन पैसा खर्च करने के बाद भी काश्तकार का काम न होवे तो बड़े अफसोस की बात है और खास तौर से ऐसी गवर्नमेंट के जमाने में जो कहती है कि हम जनता की बहबूदी के वास्ते ही हुकूमत को अपने हाथ में लिये हुए हैं।

तीसरी बात जो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा वह यह है कि जमींदारी खतम होने के बाद तमाम परती लैण्ड, बाजार व तालाब वगैरह तमाम चीजें जो थीं वे सब पंचायतों में वेस्ट हो गयीं और पंचायतों के कर्ताधर्ता प्रधान हो गये। अब अगर गांव वालों की बदकिस्मती से वह कर्ताधर्ता पुराना जमीदार हो गया तो उसने तमाम आराजी, परती लैण्ड, तालाब वगैरह की, अपने अजीजों व दोस्तों के नाम पट्टे कर दिये। और जिलों की बात तो मैं नहीं जानता हूं क्योंकि न मुझे दौरे करने का इत्तफाक हुआ है और न मुझे इसका शौक ही है, लेकिन एलेक्शन के सिलसिले में दो चार गांवों में जाने का मुझे इत्तफाक हुआ तो मैंने देखा कि वे जमींदार जिनके पास पहले इतनी परती आराजी नहीं थी, अब उनके पास बहुत ज्यादा परती आराजी हो गयी है। वे प्रधान जिनके पास न चार बीघे की ही आराजी थे, अब उनके कब्जे में बड़े-बड़े रकबे हो गयी हैं। तालाब बहुत से थे और वे जिस तरह के थे उसी तरह के हैं, लेकिन जमींदारों के जमाने में काश्तकारों को हक होता था इन तालाबों से मछली मारने का, पानी लेने का लेकिन अब पंचायत के जरिये एक ऐसे साहब ठेकेदार हैं जो उन्हीं खानदान के हैं, या कोई अफसर भी इसमें शामिल है, वहां पर काश्तकार न उनसे पानी ले सकते हैं और न मछली ही मार सकते हैं। तो इस तरह की तमाम तकलीफों को हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ही रफा कर सकते हैं। ये तजुर्बेकार लोग हैं, और उन्हें यह जानना चाहिये जिस बात का मैं इजहार कर रहा हूं, यह बहुत सख्त तकलीफ है, बहुत सख्त नाइन्साफी हो रही है, और जमींदारी के बाद से इस मामले में कोई फर्क नहीं हुआ बल्कि हालत और बुरी हो गयी है। फिर एक शरीफ खानदान का ऐसा मुत्तमव्वल आदमी काबिज होता था जिसका कुछ ट्रेडिशन का लिहाज करना पड़ता था और वह बाखुशी अपने काश्तकारों को अपने खेतों के लिये पानी देता था। आज प्रजातन्त्र ने भांति-भांति के कर्ता-धर्ता बना रखे हैं। उनको मछली भी मारने देते थे। लेकिन अब ऐसे-ऐसे लोग हो गये हैं जो यह समझते हैं कि ईमान भले ही चला जाय लेकिन पैसा न जाय। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बात पर गौर करें। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री करनसिंह (जिला खीरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय माल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनका ध्यान पहली बार प्रदेश के राजकीय उपनिवेशन क्षेत्रों की ओर गया और उन्होंने उन उपनिवेशों में बसे किसानों को भूमि संबंधी अधिकार दिये। न जाने किस भूल से अथवा किसी कारण से मेरे जिला खीरी में सम्पूर्णानगर और पीलीभीत के उपनिवेशन क्षेत्र इससे वंचित ही रह गये। वहां के किसानों की भी वही समस्यायें हैं जो दूसरे उपनिवेशन के किसानों की हैं। वहां के किसानों को बीज, खाद, ट्रैक्टर लेने या सिंचाई के साधनों के विस्तार के लिये सरकार से लोन लेने की आवश्यकता होती है। तो भूमि पर अधिकार न होने के कारण उनको कर्जा मिलता ही नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे खीरी के संपूर्णनगर और पीलीभीत उपनिवेश क्षेत्रों को इनमें शामिल करने की कृपा करेंगे और दूसरे उपनिवेशनों की तरह से वहां वालों को भी उनकी भूमि पर अधिकार दिलायेंगे।

मैं इसलिये भी मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने जमीन की छीना-झपटी और गलत इन्दराज की ओर ध्यान दिया। एस० वी० डी० की सरकार ने भी उस ओर ध्यान दिया था। उन्होंने उसका दोषी गांव सभा के सभापतियों को ठहराया था और एक आर्डिनेंस निकाल कर गांव सभा की भूमि के पट्टे बंद कर दिये गये थे, लेकिन मर्ज घटने के बजाय बढ़ता

ही गया और लगातार गांव समाज की जमीन की छीना झपटी होती रही। इस सदन में आज माननीय मंत्री जी ने लेखपाल के लेखों को जांच करने की व्यवस्था की घोषणा की है और हमें आश्वासन दिया है लेकिन वह काफी नहीं होगा। जिस प्रकार का ढांचा है, खास कर तराई और खीरी का वहां की हालत बहुत गंभीर है। लोगों के वहां पर एक एक हजार एकड़ के फार्म हैं। परगना पलिया में दस हजार एकड़ भूमि सीलिंग में प्राप्त हुई है। लेकिन गरीबों के नाम पर कहीं एक इंच भूमि भी नहीं आई।

बहुत से बड़े-बड़े लोग जिनके पास बहुत सा पैसा है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, उन्होंने २००–२००, ४००–४०० एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनकी देखा देखी कहीं गरीबों ने १–२ एकड़ भूमि पर भी यदि कब्जा कर लिया है तो लेखपाल और गांव के गुन्डों ने मिल कर उनको तो नेक्सेलाइट डिक्लेयर कराते हैं ताकि किसी तरीके से १–२ एकड़ वाले लोगों को वहां से निकाला जा सके। इस प्रकार की हालत सबसे ज्यादा खीरी जिले की है और उसका गलत प्रचार इतना काफी किया गया जिससे ऐसा मालूम होता था कि खीरी जिले में कोई इन्कलाब आने वाला है। दिल्ली के अखबारों ने उसका वह नक्शा खींचा मानो वहां से लेकर पूरी तराई की सारी भूमि नक्सलवादियों की ही बेल्ट है। लेकिन अब सरकार की सतर्कता से उसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी नाम स बड़ लोग छोटे लोगों को दबाते हैं। इसमें लेखपाल तो उनका सहयोगी होता ही है। अगर कोई आदमी जमीन पर कब्जा करता है तो उस पर दफा ११५-डी में क्यों नहीं मुकदमा चलाया जाता है। जबकि पहले तुरन्त उसकी सूचना लेखपाल को हो जाती है। अब कुछ सख्ती कर दी गयी है कि इस प्रकार से कोई कब्जा करेगा तो लैंड रेवेन्यू का ५० गुना तक उन पर जुर्माना और हरजाना हो सकता है। क्या वह काफी है? गन्ने के इलाके और तराई के इलाके में जमीन इतनी अच्छी और उपजाऊ हैं कि वहां पर एक-एक एकड़ जमीन से १–१ हजार और डेढ़-डेढ़ हजार रुपया तक प्राफिट हो जाता है और जो ५० या १०० एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो उन्हें देने में क्या हानि होगी। वैसे वे लेते भी रहते हैं और वे किसी न किसी को श स ही कब्जा किए हैं। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि जमीन पर अनधिकार कब्जा समाप्त हो तो आपको ठोस कदम उठाने होंगे और ऐसे कब्जा करने वाले को अनैतिक अपराधी घोषित करना होगा जिन्हें लाजमी तौर पर उसे जेल की सजा दी जानी चाहिए। एक सौ एकड़ क फार्म पर कब्जे के लिये कई फर्जी नाम लिखाये जाते हैं। न वहां पर उनके बैल होते हैं, न ट्रैक्टर होते हैं, न बंगले होते हैं। एक आदमी इन फार्मों को मेनटेन कर रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर कहीं पर इस प्रकार के गलत नाम से कब्जे पाये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित लेखपाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर इस किस्म की बातें हों तो गांव समाज की जमीन की छीना-झपटी बच सकती है वरना साधारण तरीकों से वह रुकने वाला नहीं है।

यही हालत हमारे सीलिंग के लैंड की है। पलिया परगने में एक केवल पटिहन फार्म में ढ़ाई हजार एकड़ भूमि सीलिंग में निकली जिस में से एक हजार एकड़ भूमि उसके पुराने मालिक को यांत्रिक खेती के नाम पर वापिस कर दी गई है और उसने महाराजा पटियाला (पंजाब) के लड़के को जो कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का दामाद है, को सब लिट कर दिया है। उस भूमि पर वहां के ३० हरिजन परिवार बहुत दिनों से काबिज थे। जब सीलिंग का कानून बना था तो वे भी आशा कर रहे थे कि कब स्वाति की बूंद उनक मुख में पहुंच पायेगी। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हुआ।

संविद की सरकार में माल अधिकारियों को फेमिली प्लानिंग का कुछ कोटा मुकर्रर किया गया था उन्होंने प्रचार किया कि जो लोग आपरेशन करायेंगे उनको हम भूमि देंगे। चूंकि जमीन की बहुत भूख थी तो उन व्यक्तियों ने भी जिनकी शादी भी नहीं हुयी थी, अपनी नसबन्दी करायी। उनको पट्टे दिए गये। वे लगान आज तक देते हैं लेकिन जमीन पर उनको आज तक अधिकार नहीं दिया गया है। मैं जब खुद कलेक्टर के पास ऐसे पट्टों को लेकर गया तो उन्होंने कहा कि

[श्री करन सिंह]

वह चाहें तो सरकार के ऊपर मुकदमा चला दें, उनको कब्जा मिल जायगा। अगर मुकदमा चलाने की शक्ति ही उसमें होती तो वह भूमिहीन कैसे होते। यह तो उनकी गरीबी का उपहास मात्र है। और फिर खाली गांव समाज और सीलिंग लैंड के साथ ही यह तमाशा नहीं हुआ। पूज्य विनोबा जी को भूदान में जो जमीन मिली उसके साथ भी ऐसी ही छीना झपटी हुई। कुछ जमीन जंगल को दे दी गयी और कुछ गांव समाज को जिस पर बाद में दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और जब आवाज उठायी जाती है तो कह दिया जाता है कि कोई पंचमांगी है। इस विस्फोटक स्थिति का दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं उनकी सार चेष्टा है कि ला ऐंड आर्डर भंग हो। हम लोगों ने, चाहे इधर के हों या उधर के कभी गांधीजी के चरणों में बैठ कर देश को आगे बढ़ाने की शपथ ली है। पार्टी का प्रोग्राम और मैनिफेस्टो से अलग हम सब का एक ही कर्त्तव्य होना चाहिये कि हम गांवों में ऐसी फिजां पैदा करें कि जमीन के सवाल को वर्ग सहयोग और सर्वोदय के बल पर हल कर सकें ताकि वर्ग संघर्ष का दानव हमारा सब कुछ न निगल जाय। इसके लिये जरूरत है कि शासन कठोर से कठोर कदम उन लोगों के खिलाफ उठायें जो सीलिंग और गांव समाज तथा भूदान की जमीन पर अनधिकार कब्जा किये हुये हैं। आज हम देखते हैं कि सारी व्यवस्था ऐसे ही लोगों के हक में है और जो गरीब हल जोतता है वह उपेक्षित समझा जाता है। यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। हमारे प्रदेश की हालत भी बहुत ज्यादा विस्फोटक होती चली जा रही है। हमको और आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, अपने मित्र द्वारा कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे प्रदेश के राजस्व का जो सबसे बड़ा साधन है वह यहां की भूमि है। केवल राजस्व का साधन नहीं, हमारे प्रदेश के जीवित रहने का आधार भी यहां की जमीन है। हमारे प्रदेश का किसान ही एक मात्र ऐसा है जिसकी तरफ न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की निगाहें उठी हैं। इसलिये सबसे अधिक ध्यान हमें किसान की ओर देना चाहिये। मुझे ध्यान है कि १९३१ में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसमें यह बात कही गयी थी कि किसान का लगान आधा कर दिया जायगा। लेकिन मुझे दुःख है कि अभी तक कोई भी राहत किसान को नहीं दी गयी। इतना ही नहीं, उसका लगान बढ़ाने की भी साजिश की जा रही है।

यह बिलकुल सर्वविदित है कि पहले कहा गया था कि दस गुना लगान देकर किसान अपनी जमीन का मालिक हो जायेगा और ४० साल तक लगान नहीं बढ़ाया जायेगा। लेकिन अब क्यों बीस गुना लगान बढ़ाया जा रहा है भूमिधरी अधिकार लेने के लिए। कल मंत्री जी ने कहा था कि जो बयनामा वगैरा करते हैं और भूमिधरी अधिकार प्राप्त करते हैं उनमें गरीब लोग नहीं होते बल्कि बड़े लोग ऐसा करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि ९० परसेंट लोग ऐसे गरीब हैं जो मजबूरी में अपनी जमीन का बयनामा कर देते हैं। आज जमीन का मूल्य बढ़ गया है और किसान सब से ज्यादा महत्व अपनी भूमि को ही देता है और कोई भी किसान बिना मजबूरी के अपनी जमीन का कभी भी बयनामा नहीं करेगा। जब कर्जे के कारण गरीब आदमी जमीन बेचना चाहते हैं तो उनको बीस गुना देना पड़ेगा।

जनसंघ ने घोषणा की है कि किसान का लगान आधा होना चाहिये। जब जमींदारी खत्म हुई थी तो ७ करोड़ लगान जमा होता था। लेकिन अब २१ करोड़ वसूल किया जाता है। अगर इसे आधा कर दिया जाय तब भी डेढ़ गुना लगान वसूल होगा न यह कहा जाता है कि यहां अन्य प्रदेशों से लगान कम है इससे स्पष्ट है कि आप लगान बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसान को अपनी जमीन से मोह हो, पैदावार अधिक हो तो लगान बजाय बढ़ाने के और कम होना चाहिये। अवध और पहाड़ी इलाकों में लगान ज्यादा बढ़ा दिया गया था इसलिये वहां और भी अधिक राहत मिलनी चाहिए।

पहले संविद के जमाने में भी और अब भी लोगों ने कहा है कि किसानों को पास-बुक मिलनी चाहिये। आज मंत्री जी की बात से अचम्भा हुआ जो उन्होंने कहा कि सब लोगों को मिलनी चाहिये या कुछ लोगों को दी जानी चाहिये। मैं नहीं समझता कि किसी किसान ने इसका विरोध किया हो। जब किसान के पास पास-बुक होगी तो उसको लेखपाल के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। जल्दी-जल्दी किसानों को पास-बुक दी जांय। फार्म लेने के लिये ८ आना फीस है लकिन लेखपाल इसमें अपना अपमान समझता है और जो वह मांगता है वह किसान को देना पड़ता है क्योंकि वह तो लेखपाल को बड़ा अफसर समझता है। आज होता यह है कि गरीब किसान के खेत के पास अगर किसी बड़े आदमी का खेत होता है तो वह लेखपाल से कहकर उससे अपना कब्जा उस खेत में लिखा लेता है। २-३ वर्ष बाद जब उसे मालूम होता है कि उसके खेत पर दूसरे का कब्जा है तो दफा २८ में मुकदमा करता है और गरीब आदमी की जमीन जालसाजी से छिन जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पास बुक उनको दी जांय। इसमें सोचने-विचारने का कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। वे आकार-पत्र और जगह-जगह कब्जे के पर्चे बांटा करते हैं, उसके साथ-साथ किताबें भी काश्तकारों को दी जा सकती हैं। इसलिये मैं जोरदार आग्रह करूंगा कि कोई भी समय न लगाकर हर काश्तकार को पास-बुक दी जाए, जिससे कि जमीन का मालिक अपनी जमीन के बारे में आश्वस्त हो सके।

चकबन्दी के बारे में भी बहुत सी बातें कहनी हैं जो विवश कर देती हैं कि सदन में यह विषय उठाया जाए। चकबन्दी के बाद हमने सोंचा था कि उससे हम सबको राहत मिलेगी, लेकिन हुआ यह कि जो जमीन ग्रामसमाज की छोड़ी गई वह कहीं न कहीं जोत ली गई। जब इस पर सी० ओ० को दरख्वास्त दी जाती है तो कहा जाता है कि थाने में चले जाओ, वह कोई कार्यवाही नहीं करता है। सरकारी जमीन लोग दबाये बैठे हैं। छोड़ी हुई जमीन यदि कोई जोतने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ चकबन्दी अधिकारी की तरफ से कोशिश होनी चाहिये और यदि वे कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके भी खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। गरीब किसान को जबरदस्ती अदालत में जाने के लिये मजबूर करना ठीक नहीं है। इसमें जब गरीब किसान की बातें सुनी नहीं जाती हैं तो बड़ी अड़चनें पैदा हो जाती हैं।

यह भी एक बड़े अफसोस की बात है कि चकबन्दी के समय में हरिजनों की, जो दलित रहे हैं आबादी दर्ज नहीं की गई है। हमारे यहां ग्राम जैथेरा में थाने के किनारे कंजर लोग आज करीब ५० वर्षों से झोपड़ियों में रह रहे हैं यह सब अधिकारियों को मालूम है। वहां ३ वर्ष पूर्व चकबन्दी हो चुकी है, लेकिन यहां पर आबादी उनकी दर्ज करने का प्रयास नहीं किया गया। दिखाया यह गया है कि यह जमीन खाली पड़ी हुई है, जबकि इसमें कभी खेती नहीं हुई, लेकिन ५० वर्ष पहले जिनके नाम जमीन थी उनके नाम से अब भी चली आ रही है। जमीन जिसमें आबादी बनी हुई थी उसका बैनामा दूसरे सज्जन के नाम कर दिया गया। उनका जिन्होंने बैनामा कराया था उन्होंने अपना मकान उस पर बनवाना शुरू कर दिया तो गरीब लोग भागे थाने में गये। लेकिन थानेदार उनसे दबे हुये थे, इसलिये उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये हरिजनों की आबादी को तुरन्त आबादी दर्ज किया जाए और चकबन्दी अधिकारियों को इसके लिये खास करके हिदायत कर दी जाए।

सूखे और गर्की का जहां तक प्रश्न है, जो किसानों के खेत डूब जाते हैं वहां पर ड्रेनेज की स्कीम चालू करनी चहिये। मेरे क्षेत्र में जलेसर और सिढ़पुरा दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर गर्की हो जाती है, उसके बारे में मैं विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

इसके अलावा जहां तक टेस्ट वर्क का सम्बन्ध है, इसमें १० आना प्रति व्यक्ति की मजदूरी बहुत कम है। जब हम उनको राहत देते हैं तो उनको मजदूरी कुछ तो मिलनी ही चाहिये

[श्री सतीश चन्द्र]

जिससे वह किसी प्रकार अपना गुजर कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दो रुपये कम से कम मजदूरी रखी जाए।

मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं और अन्त में फिर निवेदन करता हूं कि किसानों का लगान आधा हो, उन्हें पास-बुक्स जल्द बांटी जाएं, सी० ओ० को किसानों की आबादी दर्ज करने की हिदायत दी जाए और टेस्ट वर्क पर दो रुपये मजदूरी की जाय, यह सब बातें की जायंगी तो प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। जय भारत।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व पर बोलने का अवसर दिया। इस अनुदान के समय ही हमें प्रदेश के राजस्व के ढांचे पर बोलने का अवसर मिलता है और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करते हैं कि किसान और सरकार का क्या संबंध है। किसानों के क्या हुकूक हैं। इन सब प्रश्नों पर विचार करने का मौका मिलता है। यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिससे प्रदेश के हर एक किसान का संबंध रहता है। हमारे प्रदेश की मौलिक आवश्यकता कृषि उत्पादन की है। हमारे कृषकों को कितना बीज चाहिये कितनी खाद चाहिये इस पर यह विभाग विचार करता है। साथ ही साथ कहीं सूखा पड़ जाय कहीं बाढ़ आ जाय या अग्नि काण्ड हो जाय, इन सब प्राकृतिक आपदाओं में यह विभाग सहायता करता है। इसलिये मैं इस विभाग को बधाई देता हूं और साथ ही साथ माल मंत्री जी को भी बधाई देता हूं।

हमारे कर्णधारों ने प्रदेश में बहुत भूमि सुधार कानून पास किये हैं। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बनाया गया, उसमें जो आर्डर आफ सक्सेशन है उसके संबंध में मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। ऐसा कानून बनाया गया था कि अगर कोई लैंड टैन्योर होल्डर मर जाता है और उसका कोई लड़का नहीं है तो उसकी विधवा औरत को उसकी जायदाद पर अधिकार मिलता है। चूंकि विधवा माताओं को इससे पहले अधिकार नहीं था तो हमारे कर्णधारों ने सोचा यह बड़ा अन्याय हुआ कि विधवा माताओं को अधिकार नहीं दिया गया, जिसके कारण १९५८ में संशोधन पेश किया गया। उसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि लैंड टेन्योर होल्डर के अगर कोई संतान नहीं है और वह अगर मर गया तो उसके तो विधवा माता और औरत दोनों को अधिकार मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने उन विधवाओं पर ध्यान नहीं दिया जिनके बच्चे १९५८ के पहले ही निस्संतान मर गये उनकी दशा वैसे ही रह गई जैसी मूल अधिनयम में थी। मैं राजस्व मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि जो १९५८ का संशोधन है उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट (retrospective effect) दें दें तो ऐक्ट की जो अनामिली है, वह दूर हो जाय और वह विधवाएं जो दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, उनका संरक्षण हो जाय।

मुझे क्षमा किया जाय, छोटी जातियों में ऐसी व्यवस्था होती है कि अगर किसी नवयुवती का पति उसके यौवन काल में मर जाता है तो उसकी पत्नी इसके भूमिधरी या सीरदार की प्रापर्टी को इनहेरिट करती है। उसके बाद वह बेच देती है और दूसरी शादी कर लेती है। ऐसी स्थिति में १९५८ के पहले की विधवा माताएं अनाथ ही जाती हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन अभागी माताओं को भी राहत देने के लिये तत्पर हों। उसका मूलाधार क्या है क्योंकि रेवेन्यू विभाग पर इतने करप्शन का दोष मढ़ा जाता है। उसका कारण यह है कि जब जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बना उसमें दफा २१० बनी कि अगर कोई आदमी किसी के खेत पर ६७ तक काबिज है या वर्गनी है तो उस अवधि के समाप्त होने के बाद वह सीरदार हो जाता है। इससे जो विधवाओं के खेत हैं जो मिलिटरी में काम करते हैं या जो बहुत सीधे सादे हैं और कानून के प्रति जिनकी

जानकारी नहीं है उनके खेतों पर जो चालाक आदमी हैं पटवारी से मिल कर वर्गनी या काबिज लिखा लेते हैं। अगर दफा २१० डिलीट कर दी जाय तो यह भ्रष्टाचार हमेशा के लिये समाप्त हो जाय। अदालतों में भी अगर देखा जाय तो माल के मुकदमें ज्यादातर ७५ फीसदी २१० के होते ह और इसके कारण कृषक वर्ग मुकदमेबाजी से त्रस्त है। अगर यह न रहे तो भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी से उनको हमेशा के लिये फुरसत मिल जाय।

तीसरी बात यह है कि हमारे विरोधी पक्ष ने भी आवाज उठायी है कि लगान माफ होना चाहिये। मैं जानता हूं कि देहातों में कोई भी किसान भी नहीं चाहता कि उसका लगान माफ हो वह सिर्फ यह चाहता है कि उसको खाद, बीज, पानी की सुविधायें समय पर और ठीक ठीक मिलें ताकि उत्पादन बढ़े लेकिन हमारे भाई जब सदन के बाहर रहते हैं तो उन किसानों को बरगलाते हैं कि अगर हमारा शासन होगा तो हम लगान माफ कर देंगे। सौभाग्य से दुर्भाग्य से शासन सत्ता उनके हाथों में आयी लेकिन "आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास"। शासन सूत्र हाथ में आया लेकिन लगान न माफ करके भूमि भवन कर माफ कर दिया। क्या भूमि भवन कर गरीब काश्तकारों पर लगा था। वह तो बड़े-बड़े रईसों पर, राजा महाराजाओं पर लगा था जिन्होंने हजारों मकान बनवाकर हजारों रुपया कमाया है और कमा रहे हैं उन पर लगा था। लेकिन गद्दी पाते ही लगान माफ करना भूल गये। शासन-सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने कुछ जिम्मेदारी महसूस की कि बिना पैसे के कार्य कैसे चलेगा और कहा कि हमारे मान का लगान माफ करना नहीं है। लगान के सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आजकल हमारे प्रदेश के अन्दर एक ही प्रकार की जमीन पर चार तरह का लगान लागू है। एक वह है जो भूमिधर देता है, दूसरा वह है जो सर्किल रेट के अनुसार सीरदार देता है। तीसरा वह जो जमींदारी उन्मूलन के पहले सीर के शिकमी थे देते हैं और चौथा वह जमींदारी के पहले जो जमींदारों और काश्तकारों में तस्दीक था। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे प्रदेश में दो तरह की लगान व्यवस्था हो।

श्रीमन्, एक जरूरी बात यह है कि जो रेविन्यू का ऐकुमुलेशन होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। उसमें कुछ हिस्सा गांव सभाओं का है उसको आप नियत कर दें और वह उनको मिलना चाहिये, क्योंकि उनकी अपनी निजी जिम्मेदारी होती है, निजी समस्यायें होती हैं, उनके समाधान के लिये उनको पैसा चाहिये। उसके अभाव में उनका काम नहीं हो पाता है। इसलिये गांव सभाओं को मंत्री जी उसमें से कुछ अनुदान दिलाने की कृपा करें।

श्रीमन्, मैं बस्ती जिले के नौगढ़ क्षेत्र से आता हूं। वहां एक इलाका बर्डपुर का है। उसमें तमाम फारेस्ट्स हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया है? पता नहीं कब, एक नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। न उसमें यही बतलाया गया है कि कितनी भूमि गांव में वन विभाग को मिली है और उसके कारण वे बनवाले वहां जाते हैं और सीरदार तथा भूमिधर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वहां पर आये दिन झगड़े होते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उसके लिये कोई ऐसा उपाय करें जिससे माल विभाग की जमीन और वन विभाग की जमीन अलग अलग हो जाय। एक यह भी कहना है कि रेवेन्यू विभाग का जो कलेक्शन होता है उसमें जमीन भोले-भाले किसनों से पैसा लेकर तहसील में जमा नहीं करते जिसका परिणाम यह होता है कि किसानों को फिर से लगान देना पड़ता है। इसकी ठीक रूप से व्यवस्था होनी चाहिये। जो तकावी मिलती है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि १ या २ या ३ साल तक छूट मिलेतो चौथे साल यह किया जाता है कि वह एक ही मर्तबा वसूल कर ली जाती है जिससे किसानों को परेशानी होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को कष्ट न हो।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने अपने अनुदान में कहीं भी ६। एकड़ जमीन पर लगानमाफी की व्यवस्था नहीं दिखाई है। ६७ में जब भू० पू० राजस्व मंत्री जी ने अपनी मांग पेश की थी तो तब उस बेंच पर बैठने वाले हमारे नेता गेंदासिंह जी ने राजस्व मंत्री की मांग पर कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये पत्रे, साइत, शुभ, अशुभ, भाग्यवान चेहरा व कम्बख्त चेहरे का, चौधरी साहब की ५८ में लिखी हुई पुस्तिका, "उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रान्ति" तथा मुजफ्फ़रनगर में पास हुये प्रस्ताव का हवाला दिया था और खुद जी भर के संविद सरकार को कोसा था लेकिन तब वह विरोधी बेंचों पर बैठते थे और उनके बहुत से साथी सदस्यों ने सोशलिस्टों से कहा था कि ६। एकड़ की बात तुम्हारी मंजूर नहीं हो रही है इसलिये सोशलिस्टों तुम संविद सरकार को छोड़ कर इधर आ जाओ हम तुम्हारा साथ देंगे तुम सरकार बनाओ और ६। एकड़ का लगान माफ़ करो। मैं गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जब उनका दल उनकी बात को नहीं मानता है जिसके लिये उन्होंने संविद सरकार को पानी पी पी कर गला भारी कर के आंखों में आंसू भर कर कोसा था तो उन बेंचों को छोड़ कर और कांग्रेस से त्याग-पत्र देकर सोशलिस्ट बेंच पर क्यों नहीं बैठ जाते सोशलिस्ट पार्टी उनका स्वागत करेगी। जहां तक ६। एकड़ की बात है यह सरकारी रिकार्ड कहता है कि वह बिना मुनाफ़े की जमीन है। शहरों में जब ३,६०० रु० पर कोई टैक्स नहीं है तो ६। एकड़ बिना मुनाफ़े की भूमि है तो फिर बिना मुनाफे की भूमि से टैक्स सरकार क्यों लेती है। सरकार कहती है कि हम गरीबों का जीवनस्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। गांवों में एक बीघा जमीन पर टैक्स लगाते हैं तो फिर किस प्रकार से गरीबों और किसानों की हालत को सुधारेंगे। यदि ६। एकड़ से लगान माफ़कर दिया जाय तो इससे १२ करोड़ रुपये का नुकसान होगा और ८५ परसेंट किसानों को राहत मिलेगी। मन्त्री जी यदि ६८ की आडिट रिपोर्ट को देख लेते तो इससे इस घाटे की पूर्ति हो सकती थी। उसमें लगभग ४० करोड़ रुपये की जो अनियमित ढंग से धनराशि खर्च की गई है न तो उसके वाउचर हैं, न रसीद है और न कोई हिसाब ठीक ढंग से रखा गया है तथा कुछ धन बकाया पड़ा हुआ है। यदि उक्त रिपोर्ट पर जागरुकता बरती जाती तो इस घाटे को पूरा किया जा सकता था। लेकिन सरकार का मन गरीबों के जीवन स्तर को उठाने की तरफ़ नहीं है। जिस दिन यह सरकार मन से विचार करेगी उस दिन गरीब का भला हो सकता है।

कांग्रेस, अवाड़ी कांग्रेस १९५४ से समाजवाद का नारा देती चली आ रही है परन्तु आज तक कौन-सा कदम समाजवाद की ओर उठाया गया, गरीब किसानों के लिये लगान माफ तक नहीं कर सके, कैसे समाजवादी समाज का निर्माण करेंगे? थोथे नारों ही का कुछ अमल भी करेंगे। लेकिन आज तक सवा ६ एकड़ जमीन का लगान माफ़ नहीं कर पाये। क्या ये समाजवाद लायेंगे, क्या ये समाजवादी समाज का निर्माण करेंगे? अवाडी प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में इन्होंने इस तरह से डाल दिया है जैसे कोई पान खाकर उसमें लपेटे हुए कागज को अपने हाथ से मसल कर फेंक देता है। एक तरफ़ ये सवा ६ एकड़ की बात करते हैं, एक तरफ़ समाजवादी समाज की बात करते हैं, यदि ये सवा ६ एकड़ जमीन का लगान माफ़ करना चाहते हैं, और देश के विकास के लिये समाजवादी समाज कायम करना चाहते हैं तो इनको मैं ऐसे आंकड़े दे सकता हूं, ऐसे उपाय बतला सकता हूं जिससे सरकार की आमदनी लगभग एक अरब रुपये बढ़ जायेगी, वगैरह टैक्स लगाये, बगैर गरीबों पर कर का बोझ बढ़ाये हुये मन बना कर बढ़े हुये धन से गरीबों की खुशहाली की योजना बनाया। यदि सरकार का मन बने तो गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है, यदि सरकार का मन बने तो सवा ६ एकड़ जमीन का लगान माफ़ हो सकता है, और भूमिधरी के लिये जो अब बीसगुना लिया जाता है वह दसगुना लिया जा सकता है जैसा कि पहले लिया जाता था। यदि सरकार का मन बने तो १५० रु० से कम किसी का वेतन ही न रहे यदि सरकार का मन बने तो १०वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क हो सकती है, यदि सरकार का मन बने तो वह बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, उन मकान विहीनों को मकान दे सकती है, जिनको अपना सर छुपाने के लिये कोई झोपड़ी भी नहीं है। यदि सरकार का मन बने तो वह उन बेचारे खेतिहर मजदूरों को राहत देने के लिये उनकी मजदूरी तय कर सकती है जो आज तक

नहीं तय कर पायी है, यदि सरकार का मन बने तो सस्ती, सुलभ एवम् व्यापक सिंचाई दे सकती है, यदि इन सबकी तरफ़ सरकार का मन हो, तो इस तरह से गरीबों का जीवन स्तर चाऊं हो सकता है। सरकार कहती है कि इन सब के लिये हमारे पास धन नहीं है। मैं सरकार को धन के साधन बतला सकता हूं।

सरकार हर साल सैकड़ों मोटर लारियों के परमिट पैसे के बगैर लोगों को देती है। मोटर के परमिट कोई मामूली आदमी नहीं लेता है, जिसके पास ५०–६० हजार रुपये मोटर खरीदने व उसमें लगाने के लिये हों, वही मोटर परमिट ले सकता है और लेता है। कोई गरीब आदमी मोटर परमिट लेने की जर्रत नहीं करता। ऐसे सभी मोटर परमिटों को नीलाम किया जाय तो उससे करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच एक एक मोटर परमिट की कीमत दो दो लाख रुपये है, इसके अलावा यू० पी० के और हिस्सों में भी एक मोटर बस परमिट की कीमत ६०–६० और ७०–७० हजार रुपये से कम नहीं है। यदि सरकार इन सब को नीलाम करे तो करोड़ों रुपये की आमदनी इससे बढ़ सकती है। सरकारी नलकूपों में प्रतिवष साढ़े ६, ७ करोड़ रुपये का घाटा पड़ता है। यदि सरकारी नलकूपों का ठेका किसानों को दे दिया जाय तो उससे ६–७ करोड़ रुपये का घाटा भी पूरा हो जायगा और २–३ करोड़ रुपये और भी किसानों से ठेके की रकम के रूप में मिल जायेगा। इस तरह से ९-१० करोड़ रुपये सरकारी नलकपों को ठेके पर देने से सरकार का बच जायगा तथा ९-१० करोड़ की आय बढ़ेगी।

अगर सरकार आमदनी बढ़ाना चाहती है तो बढ़िया शराब जिसे कहा जाता है, या जिसे अंग्रेजी शराब कहते हैं, उनकी दूकानों स्प्रीट की दूकानों, बारों होटलों को भी देशी शराब के ठेके की तरह नीलाम करने से सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है। इसी तरह से सेल्स टैक्स भी ठीक ढंग से लगाये जाय और कड़ाई के साथ वसूल किया जाय और उसमें किसी तरह की ढील न हो तो इससे ३० करोड़ रुपये का इजाफ़ा आमदनी में हो सकता है। ऐसे बहुत से मुहकमे हैं, जैसे कामदिलाऊ दफ्तर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेमली प्लानिंग, ब्लाक, आटोइंडस्ट्रीयल कारपोरेशन आदि जो सफ़ेद हाथी की तरह से पल रहे हैं। गरीबों का खून पीने वाले एवं परेशानी बढ़ाने वाले मुहकमे है। इनको समाप्त कर दिया जाय तो सरकार करोड़ों रुपये बचा सकती है। एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन कहने के लिए तो किसानों की सहायता करने के लिए है लेकिन समय पर इससे किसानों को ऋण मिलने में भी बड़ी दिक्कत पड़ती है और यदि ऋण मिलता भी है तो उसके लिए बहुत रिश्वत देनी पड़ती है। साथ ही इनसे खेती के सामान, ट्रैक्टर्स, पंपिंग सेट वगैरह भी नहीं मिल पाते। इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने एग्रीमेंट रजिस्ट्री करने के बाद भी ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट आज तक नहीं दिये हैं। कुछ मंत्रालयों का पुनर्गठन करें जैसे स्वायत्त शासन, पी० डबल्यू० डी०, प्लानिंग विभाग आदि को एक कर दिया जाय क्योंकि तीनों मुहकमें का कार्य एक जैसा है। एक करके करोड़ों रुपये की बचत की जा सकती है। इसी तरह से खाद और कृषि का मुहकमा भी एक हो सकता है। इस में भी करोड़ों रुपया बचाया जा सकता है। बिजली एवं सिंचाई एक मंत्री परन्तु दो-दो चीफ़ इंजीनियर बेकार ही लगा रखे हैं, एक चीफ़ इंजीनियर से ही काम चल सकता है। उससे बहुत सा खर्चा बचाया जा सकता है और जो आदमी वहां से बचें उनको ट्रेनिंग देकर खेती की उन्नति के काम में लगाया जा सकता है। उससे प्रदेश की कृषि बढेगी तथा जनता की बहुत ही ज्यादा भलाई होगी।

एक ओर तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने चकबन्दी के लिए बहुत बड़े धन के अनुदान की मांग की है परन्तु चकबन्दी की सब लोग जानते हैं कि पिछले २२ सालों में किस प्रकार की चकबन्दी हुई है। चकबन्दी का नाम गांवों के किसान सुनते ही कांप जाते हैं जैसे प्लेग

[श्री प्यारेलाल]

की बीमारी आ गई हो । किसान अपने जेवर बेंचकर और हर तरह से रुपया खर्च करके, जमीन को गिरवी रख कर भी अच्छे चक नहीं प्राप्त कर पाता है । ३–३, ४-४, चक बना दिये जाते ह । अच्छा तो यह होता कि १ या दो ही चक बनाये जाते । बिना रिश्वत के इतने ज्यादा चकों के बनाये जाने से क्या लाभ हुआ ।

मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मास्टर प्लान के अधीन गाजियाबाद में किसानों की बहुत सी जमीन ले ली गयी। बहुत से गांव कला, मिर्जापुर, मवई, कोट, दौलतपुर, नासरपुर, जरवाड़ा तथा नौजा आदि उसमें आ गये। १९६३–६४ से अब तक उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। उनकी जमीन लेकर बेरोजगार बना दिया गया है। किसान और उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं । कहां से बच्चों को पढ़ायें दवा, कपड़े व मकान की व्यवस्था करें मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वे तनख्वाह न लें और उनके महकमे के अधिकारी तनख्वाह न लें तब पता पड़ेगा कि किस प्रकार से बिना रुपया के काम चलाया जाता है। कृपया नियम में कानून में ऐसा संशोधन करें जिससे कि मुआवजा कब्जा लेने से पूर्व मिले ।

इसके साथ ही साथ मैं किसानों की पासबुक वाली बात को ज्यादा महत्व देना चाहता हूं। कोई भी किसान अपनी भूमि का बयनामा करना चाहता है या उसके ऊपर कोई मुकदमा चलता है तो उसमें उसे भूमि की फ़र्द की जरूरत होती है। जब वह पटवारी के पास जाता है तो उसे २५ रुपया से लेकर १०० तक रिश्वत देनी पड़ती है ? तब कहीं फ़र्द मिलती है। राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि यह पास-बुक वाली बात विचाराधीन हैं। क्या रिश्वतखोरी को बढ़ावा की बात विचाराधीन नहीं है। दिल्ली में पास बुक दी गयी है ? पंजाब में दी गयी ह और कई प्रांतों में भी दी जा चुकी हैं तब यहां कौन-सी आफत बरपा हो गई है जो आप पास बुक नही दे सकते ह । क्या लेखपाल की रिश्वत समाप्त करना नहीं चाहते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि किसानों को पासबुक देकर उनको रिश्वत से बचाया जाय । मैं इन शब्दों के साथ श्री रूपनाथ यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का समथन करता हूं।

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी के बजट के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उस क्षेत्र में आधा क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है। मेरे ही क्षेत्र में दर्याबाद, फतेहपुर, रामनगर, रुदौली क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हैं। उस क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को बचाने के लिये जो बांध सरकार की ओर से बनाया गया है उसके बन जाने से ३–४ सालों से बराबर बाढ़ आ रही है मेरा ऐसा ख्याल है कि हजारों गांवों की भूमि इस बांध के बन जाने से बेकार हो गयी है और काश्तकारों को भूखों मरने की नौबत आ चुकी है।.

चार महीने वह दुर्दशा होती है उसको मान्यवर जिस दुर्दशा को दौरा करके मैंने स्वयं देखा है। मान्यवर, सांप और बिच्छुओं के साथ किसान रहते हैं। उनके लिये न नाव की व्यवस्था हो पाती है और न उनके भोजन की और न ही रहने की व्यवस्था हो पाती है। जानवर और इंसान एक चारपाई के साथ सटकर के रातों और दिन काटा करते हैं । मान्यवर, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस एरिया का सरकार द्वारा निरीक्षण किया जाय और उपयुक्त बांध बनाने की योजना बनाई जाय जिससे ये हजारों गांवों की जो तकलीफ़ है उसका निवारण हम कर सकें।

मान्यवर, इसी संबंध में कुछ हमारे जिले में और कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां बहुत बड़ी झीलें और तालाब पड़े हुए हैं । अगर उन तालाबों और झीलों का पानी निकाल दिया जाय और उसको नदी की सतह पर गिरा दिया जाय तो मेरा ख़याल है कि हजारों एकड़ जमीन जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेकार पड़ी हुई है उसे हम काम में लगा सकते हैं । मान्यवर, न इन तालाबों से हमको लाभ हो पाता है और न इन झीलों से हमको लाभ हो पाता है । मछली तो कुछ हो जाती है, मगर मछली पालन का उद्योग भी नहीं चला पाते हैं । मछली जो कुछ अपने आप पैदा हो जाती है वह सरकार की तरफ़ से या ग्राम सभाओं की तरफ से मामूली पैसे में नीलाम हो कर के उसको कुछ ऐसे लोग जो शासन से या ग्राम पंचायत से सम्बन्ध रखते हैं उसको खरीदकर लाभान्वित होते हैं ।

मान्यवर, इसी घाघरा नदी के कटाव से जो अलग जमीन है उसमें चकबन्दी नहीं कराई गई है, जो जमीन कटाव से अलग है और चकबन्दी एरिया से निकाल दी गई है। आज किसान को चकबन्दी का महत्व मालूम हो गया है । वहां काश्तकार इस बात को चाहता है कि चकबन्दी की जाय । मेरी प्रार्थना है कि जो जमीन नदी कटाव से अलग हो गई है उस पर चकबन्दी करा दी जाय और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के इलाके में मान्यवर छोटा पुल पड़ जाता है, छोटी-छोटी एक-एक दो-दो मील की सड़कें पड़ जाती हैं जिससे आवागमन का साधन बरसात के चार महीनों में खराब हो जाता है । मेरी प्रार्थना है कि जो योजना बनाई जाय उसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाय और ऐसी सड़कें और पुल निर्माण करने में सरकार जागरूक हो ।

मान्यवर, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज शासन के बीस साल के अन्दर कुछ ऐसी ग्राम सभायें मिली हैं जहां पर दो-दो जिले के लोग लगान वसूल करते हैं । मैंने इस संबंध में राजस्व मंत्री जी को पत्र भी दिया और उनसे अनुरोध भी किया है लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । अब मैं आपके द्वारा यह बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि उन गांवों में जहां बाराबंकी और गोंडा दोनों के तहसीलदार लगान वसूल करते हैं वहां का काश्तकार त्राहि त्राहि करता है । यदि ऐसा है तो उस पर तुरन्त नियन्त्रण किया जाय और ऐसे अमीनों और तहसीलदारों को रोका जाय और निर्णय किया जाय कि क्या वे गांव बाराबंकी से या गोंडा से सम्बन्धित हैं । मान्यवर, चार महीने के बाद जब पानी खत्म हो जाता है, बरसात नहीं होती है और अगर बरसात होती भी है तो वहां के काश्तकार फसल नष्ट होने के बाद, उनके पास सिंचाई का प्रबन्ध नहीं होता है । हम उस एरिया में न नहरें निकाल सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं । मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे फ्लड एरिया के स्थानों पर हमारी सरकार द्वारा नलकूपों का निर्माण करना चाहिये और इन क्षेत्रों की विशेष योजना बनानी चाहिये । जिस योजना के अन्दर हमको लघु उद्योग, बड़े उद्योग और चल चिकित्सालय, हरिजनों की सहायता, पानी पीने के कुएं आदि रखने चाहियें ।

आज भी ऐसे गांव बाराबंकी जिले में हैं, आजादी के बीस और २१ साल के शासन के बाद भी मान्यवर, हम उनको स्वच्छ पानी भी न दे पाये । मान्यवर, कुछ ऐसी छोटी-छोटी सड़कें ह जिनको हमारे लिये बनाना आवश्यक है और उन छोटी सड़कों को हम को बड़ी सड़कों के साथ जोड़ना चाहिये । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को मकान बनाने के लिये अनुदान, कर्जा आदि की व्यवस्था हमको करनी चाहिये । मान्यवर, सीलिंग की जमीनें तो ग्राम समाज की आज उन लोगों के हाथ में हैं जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में गुंडागिरी है और जो शक्तिशाली हैं और जो शासन में लगे हैं और उन लोगों से सम्बन्ध स्थापित करके उन जमीनों पर नाजायज कब्जा किये हुए हैं। मेरा माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि इन जमीनों को फौजियों को जो हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं और देश की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करते हैं, दिये जाने के आदेश हैं । यदि उनको यह भमि दी जायगी तो उनके परिवार को सहायता मिलेगी और उनका उत्साह बढ़ेगा । मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि फौजियों को सहायता देने के काम में जल्दी होनी चाहिये ।

[श्री गिरजा शंकर]

चकबन्दी के बाद हमारे गांव में चक रोड्स का निर्माण हुआ था। जब ऐसा हुआ था तो ऐसा अनुभव हुआ था कि अब गांव में हम आसानी से पहुंच जाया करेंगे लेकिन आज वे चक रोड्स समाप्त हो गयीं और जहा मैंने कहा वे वैसे ही लोगों के हाथ में पहुंच गयी हैं जिन्होंने जरबदस्ती और डंडे के बल पर कब्जा रखा है। कई प्रधाना ने लिख कर दिया और मैंने एस० डी० एम० और डी० एम० को लिखा। आज हमारे प्रधान बेबस हैं, उनके खिलाफ मुकदमें चलाने के लिये। ऐसे भी प्रधान मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि गांव समाज में एक पैसे का भी फायदा नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अगर हम मुकदमें लड़ते हैं तो हमारी जान-माल को भी खतरा है। ऐसी चक रोड्स जिनक कब्जे में हों, उन्हें, उन सड़कों की पैमाइश की जाय और फिर से चक रोड्स का निर्माण किया जाय।

कुछ जमीनें ऐसी हैं जो संस्थाओं की और स्कूलों की हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सहकारी संस्थाओं और स्कूलों की जो जमीनें ऐसे लोगों के हाथ में हैं, उनको दिलाया जाय। यदि इन स्कूलों की जमीन उन्हें मिल जायंगी तो सरकार को लाभ के साथ-साथ उन स्कूलों के निर्माण में बच्चों को आर्थिक साधन में सहायता मिलेगी।

दाखिल खारिज के मामले में २-२ और ३-३ साल तक मुकदमें चला करते हैं। इसकी कोई अवधि निश्चित होनी चाहिए। २-२ साल तक हमारे मैजिस्ट्रेट साहब के पेशकारों को ये लोग २-२ रुपये देकर चले आते हैं। उनसे घूस दिलायी जाती है। यदि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो तो दाखिल खारिज की अवधि निश्चित कर देनी चाहिए।

हम जब विकास समितियों में तकावी या खाद लेने जाते हैं तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। लेखपाल का एक निश्चित स्थान नहीं रहता है और न वह लेखपाल ढूंढ से ही मिलता है। हमारे कार्यकर्ताओं क सामन यह दिक्कत होती है कि हम उससे कैसे मिलें। इसलिए मेरी राजस्व मंत्री जी स प्रार्थना है कि जब बी० डी० सी० की मीटिंग हो और जहां पर पंचायत मंत्री होता है, बी० एल० डब्ल० होता है तो उस क्षेत्र के लेखपाल को भी आदेश दिया जाय कि वह इसमें सम्मिलित हों। इस विभाग में १५-१५ साल से कर्मचारी एक स्थान पर काम कर रह हैं और जब जिलाधीश से शिकायत की जाती है तो वे इधर उधर-घुमा फिरा कर उस अधिकारी को वहीं रख देते हैं। मेरा अनुरोध है कि यदि ३ साल या ५ साल की कैद लगा कर सख्ती से अमल किया जाय और उनको अलग किया जैसे तहसील के कर्मचारी हैं या लेखपाल हैं उससे भ्रष्टाचार खत्म करने में आपका योगदान हो सकता है। मंत्री जी मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे और बाराबंकी में योजना बना कर हरिजनों, मजदूरों और ३० हजार जनता को रोजी-रोटी देने की कृपा करेंगे। जय हिन्द।

श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, इस वक्त ऐसे विभाग का बजट प्रस्तुत है जिससे सूबे के ८७ परसेंट लोगों का सीधा संबंध है। सबसे पहला काम इस विभाग का किसानों के इंदराज को दुरुस्त करने का होता है। जो काम अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था वह अब हो रहा है। रिकार्ड रूम में से केवल १०० रुपये खर्च करने पर पुराने रिकार्ड को निकाल कर खराब किया जा सकता है और यह चीज आये दिन हो रही है। इसकी तरफ मैं माननीय शर्मा जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके क्या परिणाम हो रहे हैं। देवरिया जिले में कप्तानगंज के अन्दर ग्राम फरदहा है जहां के लेखपाल ने एक इन्तखाब दिया कि इस खतौनी में दो हिस्सेदार हैं। फिर लेखपाल ने उस खतौनी के इन्तखाब को दफ्तर से निकाल लिया और दूसरे पक्ष से १,२०० रुपया लेकर ३ हिस्सेदार बना दिये। यह झगड़ा एस० डी० एम० के सामने रखा गया है। इस तरह की चीजें आये दिन होती रहती हैं। हमारे जिले में एक दलीपनगर स्टेट है जिसके पास ४ हजार एकड़ का फार्म था। उसने दलीपनगर चैरिटेबिल ट्रस्ट बनाया। कुछ जमीन इस प्रकार चुरा ली गयी। बाकी जमीन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में नीलाम पर चढ़ गई। कुछ जमीन को किसानों से ८/८ हजार रुपये नजराने लेकर द दी गई और लेखपालों न किसानों का कब्जा वर्ग ९ में लिखा और

उसको खारिज करने के लिये तहसीलदार पड़रौना ने १० हजार रुपये की जीव दलीप नगर स्टेट से ली है। इसकी इंक्वायरी कमिश्नर कर रहे हैं।

दूसरे यह कि अगर इंदराज में गड़बड़ी होती है न्यायालय ठीक रहता है तो न्याय मिल सकता है। एक रेवेन्यू कोर्ट है जहां पर श्री ए० एन० पांडे, रेवेन्य अफसर हैं उनके कोर्ट की बात सुन रहा हूं। अभी ४–६ महीने के अन्दर अजीबो गरीब तरीके से फैसला हुआ है। जहां कायदे के मुताबिक उस कोर्ट से समन जारी होने चाहिये और तहसील में जानी चाहिये और तहसील से नजारत के पास जानी चाहिये और नजारत से चपरासी को दी जानी चाहिये कि तुम जा कर तामील करो। लेकिन ऐसा न करके उस कोर्ट में सम्मन निकाला गया, उस कोर्ट के अहलकारों ने अपना ही निशानी अंगूठा बना कर तामील किया और ठीक १५ दिन के अन्दर एक तरफा फैसला हो गया। ऐसे एक, दो केस नहीं, हजारों केसेज का फैसला हुआ। इसके अलावा मैंने तो आज तक नहीं सुना और शायद आप ने भी न सुना हो कि साइक्लोस्टाइल करा कर एक तरफा फैसला करके अधिकारी रखते हैं। जब कोई मुकदमा जाता है तो अहलकार उस मुकदमे का नम्बर और तारीख चढ़ाकर दे देते हैं और अधिकारी उस पर दस्तखत कर देते हैं।

जमींदारी आप ने समाप्त की। लाखों लोगों को आशायें बंधी कि अब हमें भी भमि जोतने के लिये मिलेगी। आपने सीलिंग ऐक्ट भी बनाया। लेकिन क्या गरीबों को जमीन मिली। अभी एक हमारे साथी जो खीरी लखीमपुर के थे उन्होंने वहां का एक उदाहरण दिया। वहां क्लैक्टिव फार्म्स ऐंड प्राइवेट फारेस्ट्स लिमिटेड, पटहन फार्म है जिसमें दस हजार एकड़ जमीन थी। पंजाबी लोगों ने उसको बनाया। जमींदारी एबालिशन की खबर सुन कर उसम से पांच हजार एकड़ जमीन तो उसके डायरेक्टर ने अपने घर वालों के नाम से कर ली। बाकी ५ हजार में से ४ हजार एकड़ जमीन सीलिंग में निकल गयीं। उसमें से कुछ जमीन सम्भवतः दूने लगान पर मेकेनाइज्ड वे में खेती करने के नाम पर उन्हीं मालिकान को दी गयी। गोरखपुर जिले के कुछ लोग भी उस फार्म में हिस्सेदार हैं। वहां से करीब ४०–५० हरिजन परिवार १९४८ में हल-वाहे का काम करने के लिये वहां बसाये गये जिनको ३, ४, ५ एकड़ तक जमीन दी गयी। वैसे तो जमींदारी खत्म हो गई लेकिन वहां अब भी जमींदारी कायम है। वे लोग उन हरिजनों से लगान वसूल करते हैं और बाकायदा रसीद देते हैं और ये हरिजनों की दरख्वास्तें हैं जो वहां पर करीब २१ साल से खेती करते हैं लेकिन पड़ताल पुराने मालिक के नाम से होती है।

इसी तरह से देवरिया की बात मैं बताऊं। वह ताल्लुकेदारों की एक जंजीर थी। उन्होंने सीलिंग से बचने के लिये जितने भी तौर तरीके चोरी के हो सकते थे अपनाये। रामकोला में एक चेरिटेबिल ट्रस्ट कायम कर लिया है। उसके कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ कानूनी पाबन्दी होगी उसका आब्जेक्ट क्या है कि जो लड़का फारेन पढ़ने जायगा उसको उससे जो आमदनी होगी वह दी जायगी। एक आब्जेक्ट उन्होंने दिखाया लेकिन किसी लड़के को भी एक पैसा नहीं मिला बल्कि हो यह रहा है कि ट्रस्ट की जमीन ५–६ हजार एकड़ पर बेची जाती है। जबकि ट्रस्ट को बेचने का अधिकार नहीं है। इस तरह से सीलिंग की जमीन के साथ सरकारी कर्मचारियों ने होली खेली है।

हाटा से कैपटेनगंज १४ मील की दूरी पर है आज से २० वर्ष पहले १४ मील लम्बी सड़क का निर्माण हुआ। लेकिन उसका मुआवजा देना तो दरकिनार किसान का नाम खतौनी से नहीं कटा। और वह बराबर २० साल से लगान दे रहा है। गंडक नारायणी केनाल निकली १० साल हो गये लेकिन उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला।

एक सुझाव है। हमारे यहां गंडक प्रोजेक्ट चल रहा है जो करोड़ों रुपये का है। वह चले उसके लिये जो जमीन की जरूरत पड़ती है हम लोग किसानों को समझा बुझा कर जमीन

[श्री मंगल उपाध्याय---]

दिलवाते हैं ताकि यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कामयाब हो जाय। एक सुझाव देना चाहता हूं चीज बहुत लम्बी है। लेकिन जिस किसान का सम्पूर्ण खेत निकल जाता है तो उसके लिए वह प्वाइजन (जहर) हो जाती है। अगर किसी गांव में ५ एकड़ जमीन नहर में निकले तो ५ एकड़ जमीन सब किसान की जमीन से छांट ले ताकि एक किसान को नुक्सान न उठाना पड़े और जो आप मुआवजा देते हैं वह गांव समाज को दे दें। जिससे वह अपने गांव की तरक्की कर सके। अच्छा होता कि आप इस काम के लिये एक कमेटी मुकर्रर कर देते। जिस समय गांव समाज का निर्माण हुआ उस समय एक रजिस्टर था गांव समाज प्रापर्टी रजिस्टर। उसमें आप देखें कि जो गांव समाज को मिलकियत मिली थी। वह मौजूद है या नहीं। जमींदारों के अपने जमाने में गांव की आबादी के आस-पास जमीन छोड़ रखी थी जिससे गांव वालों का निकास होता था, लेकिन आज गांव समाज वालों ने गैर कानूनी तरीके से जमीन बांट दी है। न चरागाह रह गया है न पोखरा रह गया है। इस ओर आप अपना ध्यान दें।

एक चीज और कह कर अपनी बात बंद करता हूं। आप जानते हैं कि देवरिया में ४ तहसीलें हैं। देवरिया सदर, सलेमपुर पड़रौना और हाटा। जब देवरिया गोरखपुर जिले में था तो उस वक्त केवल ३ तहसीलें थीं। देवरिया में हाटा तहसील का नक्शा आप देखें तो हाटा हेडक्वार्टर पर आने के लिए आधी आबादी को गोरखपुर जिले से हो कर आना पड़ता है। १९६२ में सरकार ने यह निर्णय ले लिया था कि वहां का सदर मुकाम कप्तानगंज में होगा लेकिन तब तक चाइना की लड़ाई छिड़ गई और यह सोचा गया कि जो रुपया उसमें खर्च होने वाला है वह बचाया जाय। नतीजा यह है कि बारह मील की दूरी की जगह पर बासठ मील की दूरी किसान को तय करनी पड़ती है, इसलिए आप कप्तानगंज में तहसील बनाने का आदेश कर देंगे।

श्री डूंगरसिंह (जिला नैनीताल)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी के द्वारा आज इस सदन में राजस्व, सहायता एवम् पुनर्वास का बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सर्वप्रथम तो मैं माननीय राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नैनीताल जिले के तराई और भावर के हिस्से में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू करके भूमिधरी अधिकार वहां के निवासियों को देने की कृपा की। श्रीमन्, २० साल से यह मांग बराबर चली आ रही थी और उत्तर प्रदेश में यही ऐसा स्थान था जहां पर लोग भूमिधरी अधिकार के अधीन में नहीं हैं। कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुरूप ही यह कदम राजस्व मंत्री जी ने उठाया है। किन्तु कैथोलिक सोसायटी, लखनऊ की जमींदारी फिर भी नैनीताल तहसील मे मौना, बाना, व वैचुसानी आदि ग्रामों में बनी हुई है राजस्व मंत्री जी वहां भी जमींदारी विनाश कानून लागू करने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी का विशेष ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यद्यपि यह स्वागत योग्य है कि २० गुना लगान देकर भूमिधरी अधिकार दिये जा रहे हैं, फिर भी अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन को माननीय मंत्री जी को हल करना है। सरकार द्वारा नियमित एलौटी के अलावा २-३ श्रेणी के लोग और हैं कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बिना एलाट की हुई जमीन पर कब्जा कर रखा है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने एलाट की हुई जमीन दूसरों से ले कर अपने कब्जे में कर रखी है। इस तरह के लोगों का भी माननीय राजस्वमंत्री द्वारा निर्णयात्मक रुप में। उल्लेख हो सके, यह बहुत जरूरी है। इस प्रकार की श्रेणियां तराई भावर में बहुत ज्यादा हैं। श्रीमन्, वहां पर इस तरह के किसानों की जमीन को सरकारी कागजों में जिम्मन १० और २० में दर्ज किया जाता है। मैं चाहता हूं कि उनके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की सरकार कृपा करे। तराई भावर में जहां छोटे-छोटे थारू बोक्से आदि लोग हैं, उन्हें अपनी जमीन बेचने का अधिकार बिना जिला-अधिकारी की आज्ञा से नहीं होगा इसलिये नियम कड़ाई के साथ पालन कराया जाय। इन

२० सालों में बड़े-बड़े जमींदार जिनको वहां की भाषा में फार्मर कहा जाता है आकर बस गये हैं जिन्होंने एकड़ों से लेकर हजारों एकड़ तक जमीन सरकार द्वारा ऐलौट तथा बिना ऐलौट अपने कब्जे में कर रखी है। और बहुत से ऐसे कैसेज हैं, जिनमें जो नियमानुकूल ऐलौटी हैं उससे उन्होंने कई गुना ज्यादा जमीन नाजायज तरीके से दबायी हुयी है और उसके लिये वह कोई रकम वे सरकार को नहीं देते है जिससे सरकार को लाखों रुपये का घाटा होता है। इसलिये मैं आप के मारफत राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां आपने भूमिधरी अधिकार देने के लिए उतनी बड़ी कृपा की, वहां बिना ऐलाटी जमीन कड़ाई से छुड़ाई जाय और तुरन्त सीलिंग ऐक्ट भी बहुत कड़ाई के साथ लागू किया जाए। इससे लाखों एकड़ जमीन आपकी निकल जाएगी और उससे सरकार की योजनानुसार हरिजनों व पिछड़े लोगों तथा कुमायूं के भूमिहीनों को जमीन दी जा सकेगी। इस तरह उनको जमीन देने के लिये वहां पर हजारों एकड़ जमीन निकल सकती है। श्रीमन्, यहां भूमि बांटने का प्रश्न भी आता है उसको भी सही रूप से देखना है।

बहुत वर्ष पहिले भूमि को बांटने के लिये एक कमेटी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाई गई थी। श्रीमन्, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह से भूमि जो बंटने के लिये तराई भावर के इलाके में तथा और जहां कहीं भूमि निकले उसके लिये भेद न ऐक्ट के अधीन जिस तरह से नियम हैं उसके अन्तर्गत भूमि बांटने का प्रबन्ध किया जाय। गांव समाज और गांव पंचायत वालों से पूछा जाय कि कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग भूमिहीन हरिजन हैं, उससे उन लोगों को जमीन मिल सकेगी जो दर असल में भूमिहीन हैं, जो भूमिहीन हरिजन हैं और जो खेतिहर मजदूर हैं और कुमायूं के भूमिहीन हैं।

श्रीमन्, इतना निवेदन और करना ठीक होगा कि इधर जहां तराई के हिस्सों को आबाद किया गया है वहां दूसरी तरफ से तराई में बड़े-बड़े बांध कई बनाये गये हैं जिनसे लाभ तो नैनीताल जिले को बिलकुल नहीं होता लेकिन उससे नैनीताल जिले की हजारों एकड़ खेती लायक भूमि बांधों के अन्दर आ गयी है। भविष्य में नये बांध या वर्तमान बांधों के प्रसार के लिये भूमि न दी जाय नानकसागर बांध के अन्दर जो जमीन गांव वालों की आयी थी उनमें से कुछ लोगों को उसके ऐवज में जमीन अभी भी नहीं दी गयी है, उनको जमीन दी जाय। इसी तरह से शक्ति फार्म एक बंगाली कौलोनी है जो नैनीताल जिले में है और वहां ईस्ट बंगाल से आये करीब १५ हजार शरणार्थी बसाये गये हैं। पर जिस जगह पर सूखा नदी का बहाव होता था उसी पर आबादी हो जाने के बाद उस सूखा नदी के हर साल बाढ़ से चार पांच गांव रेतीले बन गये हैं। आठ साल से लगातार वहां के निवासी बंगाली शरणार्थी लोग पुनर्वास के लिये प्रार्थना करते चले आ रहे हैं लेकिन इस ओर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि राजस्वमंत्री जी इसे शीघ्र हल कराने की कृपा करें और इन गावों का तुरन्त पुनर्वास किया जाय।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। राजस्व मंत्री का विभाग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। अन्य राज्यों की तुलना में हम करों में जहां सबसे आगे हैं वहां उपज में सबसे पीछे हैं। इसका कारण है कि हमारे किसानों के लिये खेती में सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसके कारण आये दिन सूखा और अकाल पड़ता रहता है। मिर्जापुर, वाराणसी इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और जौनपुर के क्षेत्रों में भीषण सूखा का प्रकोप रहा है। अगर सिंचाई की समुचित व्यवस्था होती तो असम्भव नहीं है जब सूखा सदा के लिये समाप्त हो जाय। इन जगहों में उपमुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी गये थे। उनके समक्ष वहां के लोगों ने

[श्री सूबेदार प्रसाद--]

यह प्रस्ताव रखा था कि सोन लिफ्ट योजना अगर लागू कर दी जाय तो इन क्षेत्रों का सूखा सदा के लिये समाप्त हो जाय। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री डा० के०एल० राव भी पधारे थे। फिर भी वहां इस योजना को लागू नहीं किया गया। इसलिये अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माल मन्त्री यथासम्भव इस सोन लिफ्ट योजना को कार्यान्वित करने की कृपा करें। यदि इस योजना को कार्यान्वित कर दिया जाय तो इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर के सूखा पीड़ित क्षेत्र को सदा के लिये रिलीफ मिल सकती है। इसी तरह से चोपन क्षेत्र के पच्छिमी तथा पूर्वी कोल, देवाटन, लौंगा आंच सोन योजना को कार्यान्वित करना आवश्यक है। कोन क्षेत्र में पांडु नदी तथा वकिया और भाखवा, नाला को बान्ध देने से उस क्षेत्र की पूरी सिंचाई हो सकती है। नलकूप राक बोरिंग करके किये जाने चाहिये। भूमि पर किसानों का अधिकतम भार है। उस भार से भूमि को मुक्त किया जाय क्योंकि भूमि ही बहुत समय से राजस्व का स्रोत रही है। राजस्व का भार किसान पर पड़ता है। उन पर नये टैक्स लगाये जा रहे हैं। सूखा, बाढ़, बेकारी, भुखमरी महंगाई और बीमारी से जनता कराह रही है। वृत्ति और भवन कर को समाप्त कर दिया जाय पिछले समय में जो सूखे की तकावी दी गई थी उसको भी माफ कर दिया जाय।

भू-राजस्व के इतिहास के अनुसार बन्दोबस्त ऐक्ट तथा जमींदारी प्रथा से किसान त्रस्त रहे। विदेशी चले गये और जमींदारी भी समाप्त हुई। १९५२ से जमींदारी ऐक्ट को प्रदेश में लागू किया गया परन्तु जमींदारी विनाश के उपरान्त १३७२ के पूर्व तक राबर्ट्सगंज का परगना अगोरी अगोरी व विजयगढ़ क्षेत्र गैर पैमायश के रह गया। इस क्षेत्र में सर्वे सैटिलमेंट अधिनियम लागू न कर रेकार्ड आपरेशन लागू करके किसानों की मुद्दती पुरानी जोतों को काश्त के खाते से अलग कर वर्ग ४ भूमि की संज्ञा देकर बन विभाग को सौंपा जा रहा है। इस वर्ग ४ की भूमि पर किसानों के मकान बाग तालाब बने हुये हैं। बिना जांच कराये बन विभाग के कर्मचारीगण अन्याय के साथ अगोरी के किसानो पर अत्याचार कर रहे हैं। वर्ग ४ की भूमि से बेदखल करने के लिये सहायक भूलेखाधिकारी मिर्जापुर तथा असिस्टेंट कलेक्टर राबर्ट्सगंज के न्यायालय में मुकदमा दायर करके २५ हजार काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस जमीन को उनकी काश्त घोषित की जाय मुकदमों को तत्काल रोका जाय। यदि उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वहां की जनता क्रान्ति के लिये उठ खड़ी होगी। नगर क्षेत्र से जमींदारी विनाश १९५६ के अन्तर्गत राबर्ट्सगंज में जमींदारी समाप्त नहीं की गई। वहां अब भी जमींदारी चल रही है। वहां के जमींदार हरिजनों को परेशान कर रहे हैं। वहां जमींदारी समाप्त करके लोगों को कष्ट से मुक्त किया जाय जो वहा चकबंदी हुई उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। जिस प्रकार से १० गुना लेकर अब २० गुना जमा कर भूमि का मालिक बनाने वाली बात कही गयी है। वैसा न करके बिना पैसे के उनको मालिक बनाया जाय। उनको प्रोत्साहन देने के लिये कृषि यन्त्रों के मूल्यों में कमी की जाय। अब किसानों को परिचय-पत्र दिया जाय ताकि वे लेखपालों के अत्याचार से बच सकें। प्रदेश में ६० प्रतिशत अलाभकर जोत हैं, उनको लाभकर जोत बनाया जाय। सन् १९३१ के कांग्रेस प्रस्ताव और सन् १९५३ के प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि किसानों का लगान आधा कर दिया जाय क्योंकि इस प्रदेश में लगान सबसे ज्यादा है, इसको कम किया जाय। अमीन और तहसील के कर्मचारियों से जनता परेशान है, उससे जनता को बचाया जाय।

जहां तक नहर कर की व्यवस्था है, आज हालत यह है कि किसानों से बिना पानी पाये ही टैक्स वसूल किया जाता है, इसलिये उसकी जांच कराये और नहर कर तय करावें। सूखा और अकाल के मौके पर टेस्ट वर्क की व्यवस्था की जाती है लेकिन टेस्ट वर्क के लिये जो मजदूरी दी जाती है वह अत्यन्त कम है। टेस्ट वर्क की मजदूरी सन् १९२९ की फेमिन ऐक्ट के अनुसार दी जाती है, इसलिये उसे रिवाइज किया जाय और बच्चों को जो दस आने, स्त्रियों को ८५ पैसे और पुरुषों को एक रुपया दिया जाता है, उस एक रुपये को रिवाइज करके दो रुपया कर दिया जाय। जहां सूखा होता है वहां पेय जल की व्यवस्था की जाय और जगह-जगह ट्यूबवेल्स, तालाब

और बांध बनाये जांय। साथ ही हमारे यहां की राबर्टसगंज टाउन एरिया में एक-एक फर्म के हर पार्टनर पर टैक्स लगाया जाता है जब कि एक फर्म पर एक ही टैक्स होना चाहिये जिससे वहां की जनता परेशान है। मिर्जापुर जनपद में जो गांव समाज की भूमि है वह भूमि गरीब हरिजनों को नहीं प्राप्त हो रही है। खाता नं० ९५ ग्राम गोपालपुर में एक आदमी ने ३३३ बीघा पर वर्ग ९ में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी तरह से पिथौरा गांव सभा में भी गांव सभा की ४०० बीघा जमीन को कुछ लोगों ने अपने नाम दर्ज करा लिया है। राबर्टसगंज पीपरखाउ मौके की जमीन को बड़े-बड़े काश्तकारों ने अपने नाम दर्ज करा लिया है और वहां के आदिवासी लोगों को आसाम भगा दिया है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वहां की भूमि भूमिहीन किसानों को दी जाय और उनके साथ उचित न्याय की व्यवस्था की जाय।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से-इत्तफाक ऐसा है कि इस समय हमारे रेवेन्यू मंत्री नहीं हैं लेकिन कुछ बातें उनके सामने रखना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री जी उन पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न यह था कि हरिजनों की समस्या को हल किया जाय। लेकिन उसके लिये बजट में कोई बात नहीं आयी है। मैं समझता हूं कि इस राजस्व बजट के सिलसिले में जो बात आयी है, उसकी बात इस समय आपसे कह दूं। प्रदेश में आजादी के बाद हमारे सामने हरिजनों की समस्या एक बड़े विकट रूप में खड़ी है। आज भी प्रदेश के अन्दर हरिजनों की आबादियां ऐसी हैं जो आबादी में दर्ज न होकर, कागजों में बंजर बाग आदि के रूप में दर्ज हैं। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर हम हरिजनों की आबादियों की समस्या हल नहीं करते तो निश्चय आगे चल कर बड़ी भारी समस्या पैदा हो सकती है। जिला फैजाबाद में ही हरिजनों की आबादियां जहां पचासों सालों से वे आबाद हैं, लेकिन कागज में वे आबादियां आज भी आबादी दर्ज न होकर बाग के रूप में दर्ज है। इसी तरह से बहुत सी आबादियां बंजर, भीटा आदि के नाम से दर्ज हैं। जबकि हकीकत में मौके पर वे आबादी ही हैं, कोई बाग या बंजर नहीं है। इसी तरह से अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति, श्री अकबर हुसैन बाबर का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने तमाम ऐसी जमीन अपने नाम दर्ज करा ली है। मैंने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में भी इस बात का प्रस्ताव रखा था कि इस पर तवज्जह किया जाय लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष--

जो आदमी यहां पर नहीं हैं, उनका नाम आप कृपया न लें।

श्री प्रियदर्शी जेटली--

वे हमारे जिले के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं तथा मेरे क्षेत्र के हैं, वे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। वहीं के रहने वाले हैं और एक जमींदार हैं, तो मैं एक जमींदार की बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी का नाम न लें। किसी तथ्य के लिये किसी का नाम लेना बहुत जरूरी नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेटली--

इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो हरिजनों की आबादी है, वह लेखपाल के कागज में बंजर और बाग के रूप में दर्ज है। अगर मौके पर जाकर देखा जाय तो वहां आबादी ही आबादी है। हमारे यहां के जो कम्युनिस्ट नेता हैं वे बाजारों में नारे लगाते फिरते हैं कि धन धरती लेकर रहेंगे, लेकिन खुद अपने गांव के अन्दर हरिजनों की आबादी को अपनी

[श्री प्रियदर्शी जेटली]

जमीन दर्ज करा रखी है। श्रीमन्, मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि वे या तो कोई अध्यादेश निकालें या कोई ऐसा कानून बनावें जिससे अविलम्ब हरिजनों की जो आबादियां हैं वे आबादी में दर्ज हो जायं और इसप्तरह से प्रदेश के लाखों हरिजनों को लाभ हो सके। वरना आज जहां-जहां भी हरिजन आबादियां हैं वे सबके सब एक दिन उजड़ जायेंगी। चकबन्दी में मैंने देखा है कि जो हरिजन आबादियां ह, जहां मकान बने हुये हैं उनको भी चक में काट दिया गया जो कि कागज में वह आबादी नहीं दर्ज है। नतीजा यह है कि उनके जानवरों क बैठन तक को जगह नहीं रह जा रही है कि उन लोगों के निकलने तक को जगह नहीं बच रही है। चकबन्दी जैसा कि जानता हूं कि सरकार चाहती है छोटे काश्तकारों को जमीन उनकी आबादी के पास दी जाय लेकिन मौके पर ऐसी बात नहीं है। मौके पर अगर देखा जाय तो बड़े-बड़े काश्तकार अपना चक अपनी आबादी के पास पाते हैं और छोटे-छोटे काश्तकार जिसमें हरिजन अधिक हैं, जो छोटी जोतों के काश्तकार हैं उनको जमीन आबादी से बाहर मिलती है। मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अविलम्ब अपने सरकारी अधिकारियों को आदेश दें कि अगर यह कानून है तो फौरन उस पर अमल होना चाहिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो हमारी संविद सरकार के जमाने में हुआ था जो उस समय गवर्नमेन्ट में बैठे हुए थे यह कानून बनाया कि सन ६४ के पहले के पट्टों को रद्द कर दिया जाय और उन जमीनों को गांव समाज की जमीने बनाकर पट्टे दुबारा किये जांय। श्रीमन, उन पट्टों में भूमिहीनों के भी पट्टे हैं। मैं इस बात से इतफाक करता हूं कि ग्राम समाज के पट्टों में बड़े-बड़े किसान भी रहे लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसमें गरीब भूमिहीन भी रहा। पट्टा प्राप्ति के लिये उसने प्रधान, रजिस्ट्रार, लेखपाल या अमीन को घूस दिया। लेकिन आज वह पट्टा फिर खारिज हो रहा है और खारिज होने की सूरत में उस पर क्या गुजरती है इसको भी देखें। पट्टा रद्द की कार्यवाही डिप्टी साहब के यहां होती है बीसों पेशी के बाद १९८ की कार्यवाही के लिये वे तहसीलदार के यहां वापिस भेज दिये जाते हैं। इस तरह न वह पट्टा रद्द होता है और न ही बहाल होता है। उनकी सूरत क्या होती है पता नहीं चलता।

श्रीमन, हमारी तहसील में पांच हजार पट्टे ऐसे हैं जिनको रद्द करने का आदेश हुआ है। श्रीमन मैंने इजलास पर गरीब विधवा औरतों को रोते हुए पांच और दस विस्से के लिये देखा है। आज उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। यह संविद सरकार का बना हुआ कानून है। मैं नहीं समझ सका कि जब इन पट्टों को रद्द करने की बात तय की गई थी तो उसका कोई आखिरी इन्तजाम भी करना था लेकिन वह बात नहीं की। आज भी उन पट्टों की समस्या हमारे सामने है। जो पट्टे भूमिहीनों को मिले हैं उनको बेदखल करने के लिये तहसीलदार व परगनाधीश के यहां प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं। गरीब भूमिहीन उन पट्टों को बचाने के लिये वकीलों को मेहनताना देता है। पेशकार को घूस और अहलमद को घूस देता है और उसका नतीजा क्या होता है कि बीस बीस पेशियां के भुगतने के बाद भी उनके पट्टे खारिज हो जाते हैं लेकिन परगनाधीश बीसो पेशियों के बाद १९८ की प्रोसीडिंग्स की कार्यवाही का आदेश देता है। फलतः उसका हाल यह है कि वह किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात मैं अपने राजस्व मंत्री महोदय से माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह लेखपाल के बारे में, अगर इनका जिक्र किया जाय तो कहते नहीं बनता कि उनके क्या हाल चल रहे हैं। कब्जे की बात किसी तरीके से थोड़ी बहुत खत्म है लेकिन वरासत का मसला मैं जानता हूं और सभी सदस्य जानते हैं कि वरासत के लिये गरीब किसानों से एक एक सौ रुपया लिया जाता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जो मैंने माननीय मंत्री महोदय को लिखकर भी दिया है कि जहां पर चकबन्दी चल रही है वहां विशेष ध्यान दें। श्रीमन, मैं फैजाबाद जिले की बात कर रहा हूं कि फैजाबाद जिला पूर्वी छोर पर ज्यादा लम्बा है।

पश्चिमी भाग जहां फैजाबाद का सेन्टर है वहां से बीस मील पश्चिम फैजाबाद जनपद खत्म हो जाता है। लेकिन एस० ओ० सी० का दफतर फैजाबाद में है जब कि अकबरपुर और टांडा

तहसीलों में चकबन्दी हो रही है। वहां से आने वाले किसानों को अस्सी मील और सौ सौ मील चल करके आना पड़ता है। अगर एस० ओ० सी० के दफ्तर को मरकूज पर या सेन्टर पर रक्खा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जिन तहसीलों के अन्दर चकबन्दी हो रही है वह टांडा व अकबरपुर तहसील हैं। जहां से फैजाबाद एस० ओ० सी० का दफ्तर ३६ मील की दूरी पर है। अकबरपुर और टांडा का पूर्वी भाग यानी सरहद ७० व अस्सी मील की दूरी पर है। इस प्रकार एस० ओ० सी० का दफ्तर १०० मील की दूरी तक पड़ जाता है। श्रीमन्, अगर अकबरपुर और टांडा तहसील के केन्द्र स्थान पर इस दफ्तर को कायम किया जाय तो किसान वहां असानी से पहुंच सकेंगे। जबकि उनको मौजूदा हालत में वहां पहुंचने में तीन दिन लगते हैं। और अकबरपुर आने में १ दिन ही लगेगा। इन बातों की कार्यवाही करके मंत्री जी उनको अमल में लाने की कृपा करें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ६ दिन के बाद और ५० बार उठा-बैठी के बाद आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। १४ जुलाई, १९६७ को हमारे मित्र, माननीय गेंदासिंह जी ने एक कटौती का प्रस्ताव पेश किया था और उस दिन उन्होंने यह मांग की थी कि सवा छै एकड़ पर से लगान माफ किया जाय। उन्होंने उस दिन प्रस्ताव किया था। "साढ़े छै एकड़ मालगुजारी माफ हो जायगी, दुर्भाग्य से एक साहब ऐसे मिल गये जो मेरे और पंडित जी दोनों के मित्र हैं। मैं खुश हुआ और खुशी-खुशी घर लौटा तो उनको मिठाई खिलायेंगे।" यह गेंदासिंह जी ने उस दिन कहा था। आज मैं माननीय गेंदासिंह जी को निमंत्रित करता हूं कि संविद सरकार तो उसको माफ नहीं कर सकी, कांग्रेस सरकार जो उन दिनों विरोधीदल में बैठी थी, वह आज सरकार में है, अगर उससे माननीय गेंदासिंहजी माफ करा देंगे तो मैं उनको मिठाई जरूर खिलाऊंगा। उन्होंने उस दिन यह भी कहा था—"सन् १९४६ में जमींदारी उन्मूलन के लिये इस सदन में एक फैसला हुआ, एक उपसमिति बनी थी जिसके स्वर्गीय माननीय पंत जी अध्यक्ष थे, माननीय हुकुमसिंह जी, माननीय कमलापति जी त्रिपाठी और चौधरी चरण सिंह जी उसके सदस्य थे। उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि १० एकड़ से कम वाली जोतों को अलाभकर मान कर उनको छूट दे दी जाय।" माननीय गेंदासिंह जी आज सरकारी बेंचों पर बैठे हुए हैं वे, आज कांग्रेस सरकार से उनको कार्यान्वित करायें।

मेरा क्षेत्र बस्ती जिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। रानीपुर से लेकर कलवारी, मुखलिसपुर तक घाघरा नदी में बाढ़ सदा आती ही रहती है, उधर अधिकारियों और गुंडों का वहां बोलबाला रहता है। कुछ लोग वहां मुद्दत से जमीन जोत रहे थे और अपनी जीविका निर्वाह कर रहे थे और वह कटान से फैजाबाद में चली गयी। उस जमीन को बड़े-बड़े लठैतों के नाम कर दिया गया। वहां अवसयानपुर नाम का कोई गांव ही नहीं था और देवारा गंगावर गांव का कुछ रकबा घटा कर एक नया गांव ही पैदा कर दिया गया और पहले से लगान देने वालों को उनकी भमि से बिलकुल वंचित ही कर दिया गया। उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। अवसानपुर गांव का नाम बस्ती जिले में राजस्व अभिलेख में दर्ज भी नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

१९२३ फसली में फैजाबाद का बन्दोबस्त हुआ और १९३० में फसली बस्ती का। फिर श्री राजस्व मंत्रीजी का विभाग रिकार्ड आपरेशन्स में एक फर्जी गांव बना कर गांव के लोगों को लूट रहा है। एक पी० सी० सी० के मेंबर हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने रिकार्ड आफीसर से मिलकर १००-२०० बीघा जमीन की फर्जी पड़ताल करा ली। जब एक विधायक ने लिखित शिकायत की तब जाकर रिकार्ड आपरेशन रद्द हुआ। लेकिन गलत पड़ताल करने वाले को उसके उपलक्ष्य में पदोन्नति कर दी गयी, अच्छे स्थान पर पहुंचा दिया गया इसलिये कि

[श्री सुखपाल पाण्डेय—]

किसानों को गरदन काटकर दलाली करने वाले लोगों का उसने साथ दिया था। इस कटान के कारण हरैया तहसील की सारी जमीन बरबाद हो जाती है। यह हमेशा फैजाबाद के जिले में चली जाती है और उसके जाने से हमारे यहां के किसानों की हालत बड़ी खराब है। अभी २०० मडैयां फैजाबाद जिले में जला दी गयी। मैं जिलाधीश से मिला और लिखकर शिकायत भी की लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। १८ जून, १९६६ को सरकार का एक आदेश गया कि जो जमीन जिसकी हो, या जिसके नाम दर्ज हो, कटान के उपरान्त भी उसको मिलनी चाहिए लेकिन आज वहां के किसानों को नहीं मिल पायी है।

फैजाबाद जिले में रिकार्ड आपरेशन हो रहा है। उसमें गंगापुर और कई गांव उसमें हैं। उस गंगापुर का रकबा घटा दिया गया है। सन १३६० फसली में यह २४७५ था। उसे १३७६ में घटाकर २४२५ कर दिया गया। रिकार्ड आपरेशन में वहां के अधिकारियों ने लाखों रुपया कमाया है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। आज हमारे उस जिले में और तहसील में कटान लगा हुआ है। वहां का किसान आज बड़ी परेशानी में है। कोई उनका आज पुरसां हाल नहीं है। अगर हमारे प्रदेश की सरकार कुछ रुपया खर्च करके वहां पर १० या २० पत्थर की ठोकरें बनवा देती तो वहां के लाखों लोगों की रक्षा हो सकती है। आज ७ अरब रुपया दिल्ली को सजाने आदि में दिल्ली की सरकार लगा सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कटाव क्षेत्र के पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिये सरकार के पास कोई पैसा नहीं है।

हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने बड़ी लच्छेदार बातें कहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ४० दिन में हम मुकदमों का निपटारा करायेंगे। लेकिन इस दिशा में भी कुछ नहीं हो रहा है।

आज सीलिंग की जमीन, गांव समाज की जमीन अधिकारीगण इस्तेमाल कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत कीजिए तो कोई सुनवाई नहीं होती है। गोरखपुर तालनदोरा का जो पट्टा माननीय राजस्व मंत्री के रिश्तेदार के नाती के नाम से नहीं किया गया है इसलिए लेखपाल और कानूनगो का मंत्रीजी के द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सारी बातों की जांच होनी चाहिये। हरैया तहसील में आज फर्जी पड़ताल इतनी अधिक हो गयी है कि एक कानूनगो को नायब तहसीलदार बना दिया गया परन्तु वह नहीं गये जिसने बेईमानी से काफी पैसा कमाया है। हरैया के तहसीलदार और सब लोगों ने काफी पैसा कमाया है।

अध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो इस राजस्व के अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत राजस्व संबंधी अनुदान की मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ सुझाव राजस्व मंत्री जी के संमुख रखना चाहता हूं जो बहुत ही आवश्यक हैं। मैं भूमि व्यवस्था संबंधी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा संबंध एक ऐसे क्षेत्र से है जो बड़ा पिछड़ा हुआ है और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। वह तराई का इलाका है। अगर मैं यह कहूं कि वहां भूमि से बढ़ कर भूमि व्यवस्था की ही प्राबलम है तो असत्य न होगा। वहां सीलिंग और चकबन्दी की कार्यवाही में बचत की भूमि तथा गांव सभा की सार्वजनिक भूमि की, अगर ठीक व्यवस्था कर दी जाय, तो उस क्षेत्र के अधिक भूमिहीनों को संरक्षण मिल सकना संभव हो जायेगा। वहां हजारों एकड़ सीलिंग की सार्वजनिक भूमि कुछ लोगों ने जबर्दस्ती अपने कब्जे में कर ली है। जब अधिकारियों से कहा जाता है तो कोई कार्यवाही करने में वे अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। सीलिंग से निकली हुई जमीन के संबंध में स्थिति यह है कि जो पहुंच वाले लोग हैं विभिन्न तरीकों से अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें पहुंचा लेते हैं उनको जमीनें एलाट कर दी जाती हैं।

इसी प्रकार गांव समाज की जमीनों की स्थिति भी चिन्तनीय है । उस पिछड़े क्षेत्र में जो गांव पंचायतें सचमुच काफ़ी पिछड़ी हुई हैं जिसका नाजायज फ़ायदा भूतपूर्व जमींदार या उनके कारिन्दे कुछ अधिकारियों से साठगांठ करने आज वर्षों से उठा रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है । देखा है कि सीलिंग की जमीनों के बारे में अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये राजस्व मंत्री जी एक स्थायी व्यवस्था का अधिनियम प्रस्तुत करने जा रहे हैं । इस संबंध में नियमों का परिपालन ठीक से हो इसके लिये कम से कम भूमि एलाटमेंट किये जाने की व्यवस्था में ग्राम स्तरीय जन प्रतिनिधियों की राय को भी महत्व प्रदान किया जाना चाहिये । साथ ही भूमि एलाटमेंट किए जाने में प्राथमिकता गांव के ही भूमिहीनों को प्रदान की जानी चाहिये । नतीजा यह होता है कि गांव के भूमिहीन पहुंच के अभाव में रह जाते हैं और जिला और तहसील के स्तर पर पहुंच वाले अपने पक्ष में जमीन का एलाटमेंट करा लेते हैं । इसी तरह ग्राम समाज की जमीन के लिये भी आवश्यकता है कि सब डिवीजनल, मैजिस्ट्रेट अनुमोदन से पूर्व या कोई जिम्मेदार अधिकारी कार्यस्थल पर पहुंच कर व्यवस्था की सही जानकारी कर लें, अव्वल तो अभियान के तौर पर शीघ्र भूमि की व्यवस्था करनी चाहिये । जैसा कि देखा जा रहा है कि ८० परसेंट गांवों में व्यवस्था नहीं की जा सकी है । अवैध कब्जे से जमीन निकालने के संबंध में गांव सभा की अजीब स्थिति है । अगर गांव सभा का प्रधान रिपोर्ट कर भी दे तो गांव समाज के वकील इस तरह से मुकदमे की पैरवी करते हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है । गांव सभा का प्रधान सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है । वर्षों तक तारीखें पड़ती रहती हैं और फ़ैसला नहीं हो पाता है । अगर सौभाग्य से गांव सभा के पक्ष में कभी फ़ैसला हो भी जाता है तो अनधिकृत कब्जे वाले से जमीन खाली नहीं हो पाती इस प्रकार फैसला कागज पर ही रखा रह जाता है ।

दूसरी बात यह है कि कुछ पहुंच वाले तिकड़मबाज २२९ के अन्तर्गत मुकदमा दाखिल करके एक तरफ़ा फ़ैसला करवा कर जमीन पर सीरदारी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं । इस तरह से तमाम जमीनें हड़प कर ली जाती हैं और वह गांव समाज के अधिकार क्षेत्र से निकल जाती हैं, इस तरह हजारों एकड़ जमीन एक तरफ़ा फ़ैसला से चली जाती है जिससे बचाकर भूमिहीनों को दी जा सकती है ।

तीसरी बात यह है कि नागर क्षेत्र अधिनियम के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि और अकृषि क्षेत्र बनाकर जमींदारी एबालिश की गई है । नौतनवा टाऊन एरिया में आज भी वहां के भूतपूर्व जमींदार हर साल २५ ३० हजार रुपया अकृषि क्षेत्र से वसूल करता है जहां पर मकानों और सार्वजनिक सड़कों के अलावा कोई व्यक्तिगत ऐसी खाली भूमि नहीं है जहां उसका स्वामित्व हो । मैं नहीं समझता कि वह कैसे वसूल करता है । पिछले महीने में स्वायत्त शासन मंत्री वहां गये थे । उन्होंने राजस्व मंत्री जी से इस आश्चर्यजनक स्थिति के संबंध में बातचीत कर, इसको समाप्त करने की बात कही थी । इसी तरह से दाखिल खारिज और विरासत के मुकदमों की स्थिति भी बड़ी चिन्तनीय है । सालों दौड़ने के बाद भी फ़ैसला नहीं हो पाता है । किसान दौड़ दौड़ कर मर जाता है और हम लोग भी मदद करने में असमर्थ रहते हैं । इसके लिये ठोस व्यवस्था होनी चाहिये । चकबन्दी के बाद कुछ आबादी की जमीन ऐसी है जिस पर २०-२५ साल से लोगों के मकान बने हुए हैं । लेकिन जमीन पर नाम दूसरे का है । नाम वाला आदमी झगड़ा करता है पुलिस में रिपोर्ट होती है । आए दिन रेकार्ड की गलती के कारण विवाद होता है । इसको भी दूर किये जाने की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि माल विभाग की जो अदालतें हैं उनके तरीकों में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । जहां

[श्री रामपाल सिंह—]

तक मुझे अनुभव है न्याय विभाग की अदालतों में न्याय न सस्ता मिलता है और न शीघ्रता पूर्वक मिलता है। तहसील में दो प्रकार के मुकदमें आते हैं। वह मुकदमें जो एकतरफ होते हैं और वह जो कंटेस्टेड होते हैं। यह तो ठीक है कि उनके अन्दर एकतरफा मुकदमें रखे जायं लेकिन उनके लिये भी समय मुकर्रर होना चाहिये। बहुत सी शिकायतें इस बात की हैं कि मुकदमें साल-साल दो-दो साल तक चलते रहते हैं। मैं माल मंत्री महोदय को बधाई देता हूं मैंने पढ़ा उन्होंने कहीं-कहीं जाकर केस रजिस्टर चेक किया और आदेश दिया कि जो लोग समय के अन्दर मुकदमें नहीं करेंगे उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी। तहसील में मुकदमा पहुंच नहीं गया—हमारे पास लोग आते हैं, मुझे यहां तक अनुभव है कि एक साहब थे उनका इन्तकाल हो गया, उनकी बीबी मौजूद थी, बीबी को महरूम कर दिया गया। और फ़र्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। मेरी गुजारिश है कि कंटेस्टेड केसेज तहसील में नहीं होने चाहिए वह एस० डी० एम० के वहां जायं। मैं माल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह शीघ्रतापूर्वक इस संबंध में कार्यवाही करें।

दूसरे यहां यह बहुत जिक्र किया गया कि ग्राम समाज की जमीनें जो हैं पर्ती चरागाह, तालाब लगातार खत्म होते जा रहे हैं और लोग नाजायज कब्जा करते चले जा रहे हैं। एम० एल० ए० होने से पहले मैं जब प्रमुख था, तो तिलक हाल में एक सेमीनार बुलाया गया था, उसमें मैंने कहा था कि क्रिमिनल सजा कर दीजिए, और प्रासीक्युशन कर दीजिए तो रुक जायेगा। मैंने इस संबंध में माननीय माल मंत्री का एक वक्तव्य पढ़ा कि वह यह करने जा रहे हैं। अगर यह सही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। वर्ना एक बैलगाड़ी जाने की भी जगह नहीं रहेगी। जानवरों के पानी पीने के लिये तालाब नहीं रहेगा, चारागाह नहीं रहेगा, लोग भूमि-हीन को अपने जानवर दूसरे खेत में नहीं ले जाने देंगे, इसलिये उसको बहुत तकलीफ़ हो जायेगी। संविद सरकार के जमाने में नाजायज पट्टों को तुरन्त रद्द करने का एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया था। मगर आदेश तो अदालत दे देगी कि जमीन पर गासिबाना कब्जा खत्म कर दिया जाय लेकिन माल विभाग के जो अधिकारी दखल दिलाते हैं, वह दखल दिलाने नहीं जाते बावजूद इसके कि अदालत का आर्डर है। इसलिये तुरन्त एक किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाय जो दखल दिलाये। इन सब सुझावों पर माल मंत्री गौर करें।

सिंचाई के संबंध में और खाद के संबंध में जो लोन दिये जाते हैं उनके कागजात तहसीलों से गुजरते हैं। लोन सवा ८ परसेंट पर जमीन गिरवीं रख करके मिलता है। इसके लिये भी एक समय मुकर्रर कर दिया जाय कि खाद के लिये या सिंचाई के लिये कोई लोन लेना चाहे और कोई प्रापर्टी उसके लिये गिरवीं रखी जाय तो तीन चार दिन के अंदर या एक हफ्ते के अन्दर तहसील में उस पर कार्यवाही कर दी जाय। लोन के सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूंगा, खासकर लैंड डेवलपमेंट बैंक के मामले में मुझे इत्तला है कि जो शख्स मिस्त्री था २०० रु० माहवार का, दो लाख रुपये का आदमी हो गया है। जो उसकी पहली किश्त थी, डाइरेक्ट दी जाती है, दूसरी किश्त दफ़ादार को दी जाती है जिससे उसे अनुचित लाभ होता है। तो मैं माल मंत्री से कहूंगा कि उनका अनचित लाभ तुरन्त उनको खत्म कर देना चाहिये। किसान कहीं से भी अपना सामान ले सके। आज किसान खूब ट्यूबवैल आदि लगा रहे हैं, जिसमें उन्हें एक एक हजार रुपये का मुनाफ़ा हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझ से भी कहा कि इसमें काफ़ी मुनाफ़ा हो रहा है आप भी मेरे नाम से एक एजेंसी ले लीजिए, मुझे एजेंसी दिलवा दीजिये, काम हम करते रहेंगे। जब नीचे से ऊपर तक इस प्रकार से कमीशन लिया जायेगा तो अवश्य बड़ी गड़बड़ी होगी। जमीन गिरवी रखने के बाद भी यदि किसान को इस प्रकार का भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़े तो उससे उसका क्या लाभ। सरकार को इस कानून को तुरन्त बदल देना चाहिये।

दूसरी कैम्प सिस्टम की बात जिसे विंटर कैम्प कहते हैं। ब्रिटिश जमाने में कैम्प का मतलब तो यह था कि एक अफ़सर जाये और गांव वालों से खुले तरीके से मिल सके, वहां की परेशानियों को जान सके। वह एक रात या दो रात रहे, लेकिन अब इसका दूसरा मतलब हो गया है और

अब आपको इस पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहिये। अब जब अफ़सर आते हैं तो कई दिन पहले से सारा कार्य रुक जाता है सब उनके इन्तजाम में लग जाते हैं, ५००–५०० रुपया उनके ऊपर खर्च होता है, उनके साथ पूरी की पूरी फ़ौज चलती है। उन अफ़सरों को सोचना चाहिये कि सरकार का बहुत सा रुपया इसमें खर्च होता है और काश्तकारों को कोई फ़ायदा भी नहीं होता है तो ऐसे कैम्प से क्या फ़ायदा। मैं अपने गांव में गये एक एस० डी० एम० के बारे में बताना चाहता हूं कि वह सुबह के वक्त अपनी मोटर पर आए और शाम को चले जाये, बस कैम्प की हाजिरी हो गई। जो एस० डी० एम० हमारे यहां आए वह अपने साथ घर से खाना लाए तथा उनका खाना टिफ़िन कैरियर में था, वह टिफ़िन कैरियन काठ के बक्शे में बन्द था। उनके काठ के बक्से को सफ़ाई करने वाले को सफ़ाई करते समय झाड़ू छू गया, इस पर उन्होंने उसको बुरी तरह से पीटा। तो क्या वह अनटचेबिलिटी में नहीं आता। इस प्रकार की जो चीजें हैं वह खत्म होनी चाहिये जिसकी माल विभाग में काफ़ी गुंजाइश है, अदालतों के मामले में, लैंड पब्लिक यूटीलिटी में और लोन के मामले में।

जहां तक वसूली की बात है आप जब उसकी रिकवरी करते हैं तो जो अपना कर्ज चुका देता है उससे भी वसूली की जाती है, वारंट ईश्यू हो जाता है। जिन बेचारों के पास रसीदें भुगतान की खो जाती हैं उनको बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है और उनकी बात नहीं मानी जाती है और उनसे जबरदस्ती वसूली की जाती है। यदि मैं माल मंत्री से भी पूछूं तो वह भी कई वर्ष पुरानी किसी भुगतान की रसीदें नहीं दिखा सकते। और जब पुराने रजिस्टर में उनके ऊपर कर्जा लिखा हुआ है तो उनके ऊपर वारंट जारी हो जाता है। इस किस्म की ज्यादती न हो तो अच्छा है जो छोटे किसान हैं वे रिकार्ड नहीं रख पाते उनके साथ इंसाफ हो। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझावों के साथ माननीय राजस्व मंत्री द्वारा रखे गये अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राजस्व मंत्री के पद का कुछ अधिक महत्व हुआ है क्योंकि गरीब जनता और भूमिहीन किसान यह सोचने लग गया है कि कुछ क्रांतिकारी कदम जिनका कि कांग्रेस जिक्र करती रही है अपने अधिवेशनों में उस तरह चलने का प्रयास आरंभ किया गया है तो शायद हम पर भी नजर जाय। ऐसा विचार कर और राजस्व मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि भूमिहीनों की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो मैं अपने मन की बात कहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन के बाद हमें बड़े आश्वासन दिये गये थे उन पर किये गये प्रयासों से भूमिहीनों का कोई लाभ नहीं हो सका है। अब इन आश्वासनों को क्या कहें।

तगाफुल की कोई हद है, लहद पर फातिहा पढ़ने,
वह आये तब, निशां भी मिट गया जब मेरी तुरबत का।

फिर भी हम राजस्व मंत्री जी के आश्वासन का स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बहुत से लोग जो गरीब काश्तकारों और भूमिहीनों के पक्ष में अपनी राय दिया करते हैं उधर के साथी ने कहा कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य ने दो ढाई सौ बीघा जमीन किसानों की ले ली है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं इस यकीन का हूं कि न कांग्रेस वाले, न सोशलिस्ट न कोई हम भूमिहीनों पर रहम करता है।

मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की बात कहता हूं। हमारे जिले में वह साहब जो विधान सभा का चुनाव लड़े हैं उनके ही परिवार में सैंकड़ों बीघा जमीन भूमिहीनों की है, वह जमुना के किनारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वाला प्रसाद कुरील---]

का गांव है और उनका परिवार उस जमीन को जोते हुए है। उस जमीन को भूमिहीन नहीं पा सकता। मैंने इस सदन में देखा है कि इस मामले में न कांग्रेसी हमें बख्शता है, न सोशलिस्ट हमें छोड़ता है, न जनसंघी का दिल पसीजता है और श्रीमन् कम्युनिस्ट भी हम पर रहम नहीं करता है। जब स्वार्थ का टक्कर होता है जनहित से तो वह अपने असली ध्येय से नीचे गिर जाता है।

नक्सलपंथियों की बात सुनते हैं। मैं अपने यहां देखता हूं कि पिछले साल भूमिहीनों का प्रदर्शन हुआ था और मैंने कहा था कि यह प्रदर्शन केवल उस वक्त तक के लिये नहीं है जबतक कि संविद सरकार चलती रहेगी बल्कि हमने अखबारों में भी कहा था कि यह प्रदर्शन कांग्रेस हुकूमत के समय में चलेगा और अगर प्रदर्शन से भी नहीं होगा और जरूरत पड़ेगी तो इससे आगे भी क्रांतिकारी कदम उठाया जायगा क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे गांव समाज की जमीन हो चाहे किसी की हो उस पर हम भूमिहीनों का दखल नहीं हो पाता। इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता चाहे कोई हो, चाहे किसी पार्टी के लोग हों मैं यह निष्पक्षता के साथ कहता हूं :

"बदी तैनत की छिप नहीं सकती शीरीं जबानी से।
दिल अच्छा हो तो निभ जाती है शायद बदजबां होकर।"

आश्वासन चाहे जिस पार्टी की तरफ से हो लेकिन जब तक दिल भूमिहीन किसानों की तरफ नहीं होगा तो फिर वही बन्दर वाली बात होगी जो अपना दिल जामुन के पेड़ पर टांग आया था। तो मैं कहता हूं कि कि इस तरह की बहानेबाजी को छोड़िए। इससे काम चलने वाला नहीं है। तो नक्सलपंथियों का बहाना लेकर भूमिहीनों को दबाने से काम चलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि जमुना नदी के किनारे की जमीन जमुना के बाढ़ से बनी है। गरीब उसमें नहीं पनप पाया है। रेवेन्यू अधिकारियों की तरफ से कहीं भी ऐसा इन्तजाम नहीं हुआ है कि थोड़े दिनों के लिये पट्टा कर सकें। असामी के तौर पर भी वह नहीं हो पाता है।

हमारे यहां विनोबा जी की कुछ जमीन पड़ी हुई है जिस पर ३, ४ कत्ल हो चुके हैं। अब की बार फिर विनोबा जी की जमीन के कुछ हिस्से का पट्टा हुआ है लेकिन वहां पर जमींदार लोग कहते हैं कि हरिजनों का हम हल नहीं चलने देंगे। कानपुर जिले में हजारों बीघा जमीन एक-एक आदमी ने अपने कब्जे में की हुई है। सरकार को इसके लिये सख्त कदम उठाना चाहिये। हम यह देखते हैं कि रेवेन्यू अफसर का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक रेवन्यू अफसर चकबन्दी के थे। उनसे हमने टकराने की कोशिश की। वह एक फौजी की जमीन पर कब्जा करके हड़पना चाहते थे। हमने उनसे कहा कि वह तो बेचारा नेफा और लद्दाख में लड़ रहा है और आप उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। उसकी शिकायत की और उनका ट्रांसफर हुआ। ६७ के चुनाव में उन्होंने मेरे विरोधी से मिलकर मुझे हराने की बहुत कोशिश की। वह पिथौरागढ़ गये। वहां भी कांग्रेस और सोशलिस्टों का उन्होंने विरोध किया। जिसने उनकी मुखालफत की उसका ही उन्होंने विरोध किया। वहां से उनको लखनऊ लाकर बिठाया गया है। मैं निवेदन करूं कि चकबन्दी में एक दो बात कर दी जाय तो उससे बड़ा लाभ जनता को हो सकता है। मैं बहुत संक्षप में निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष---

अब ४॥ बज गये हैं। मैं दूसरा काम लूंगा।

साहू केमिकल्स, वाराणसी में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने एक विषय पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया है। साहू केमिकल्स वाराणसी के संबंध में १२,०० मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। उसके बारे में मंत्री जी ने मुझे लिखा है कि वह १ अगस्त को इस पर अपना बयान देंगे। इसलिये उसके आज नहीं लिया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

दूसरा कामरोको प्रस्ताव जो है उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। वह संपूर्ण प्रदेश लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली तथा पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में कहा गया है कि वहां पर नक्सलपंथियों की गतिविधि बढ़ती जाती है। वह स्पष्ट नहीं है। एकदम कई जिलों के बारे में कहा गया है। अगर कोई उसमें निश्चित बात कहते तो मैं विचार करता।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, वहां पर नक्सलपंथियों की गतिविधि बहुत बढ़ रही है वह जंगलों में छिपे हुए हैं और वहां पर गांवों में आतंक पैदा कर रहे हैं। इसलिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अवश्य विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह समझा है कि यह निश्चित नहीं है। आप अगर इसमें कोई बात निश्चित करके बता दें और जानकारी इस तरह की दे दें कि यह निश्चित है तो यह स्वीकार हो सकता है।

सीनियर सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैं आज तैयार नहीं हूं। बहुत सी जगह से पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को यहां पढ़कर सुनाया गया है। उसके बारे में जो डिबेट्स हैं मैं उसको पढ़ कर रहा हूं। आपने भी उसको सुनाया, वित्त मंत्री ने भी सुनाया। मैं कल उसका फसला दूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह सीरियस मामला है। इसकी जानकारी करने का जरूर मौका होना चाहिये माननीय सदस्यों को।

श्री अध्यक्ष—

निश्चित रूप से विचार करने के उपरान्त इस पर कल मौका मिल जायेगा। आज बजट की जो चर्चा है वह जारी रहेगी साढ़े पांच बज तक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दो मिनट का समय उनका बाकी रह गया था।

कार्य स्थगन-प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं (क्रमागत)

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था नियम ५१ के अन्तर्गत प्रयाग नगर के सफाई मजदूरों की हड़ताल के संबंध में। यह बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय यदि उत्तर दे दें तो बड़ी पा होगी।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसे मंत्री जी के पास भेज दिया है। केवल एक स्वीकार किया था...

(व्यवधान)

श्री राम गोपाल सण्ड---

श्रीमन्, यह एक बड़ा अहम मसला है। सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। आप माननीय मंत्री महोदय से कहें कि वे इस पर वक्तव्य दें। श्रीमन्, तीन हजार मेहतर हड़ताल पर जा रहे हैं। जनसंघ, समाजवादी दल सभी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

पहले आप प्रश्न कराइए।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था कानपुर के बारे में। वहां पर एलाटमेंट कमेटी ने प्लाट्स के संबंध में जनता से ७० हजार रुपये लिये हैं लेकिन उन्हें प्लाट नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

ये नोटिस १०-१० आ रहे हैं। कानून के अनुसार मैं एक रोज में एक ही ले सकता हूं। उसे मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेजा है। वे कहते हैं कि आज नहीं ले सकते हैं। इसलिये अब यह समाप्त हो गया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, इलाहाबाद के बारे में मैंने एक प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष---

कल आप इसे मेरे पास भेज दें।

श्री सुखपाल पांडेय---

श्रीमन्, वह मैंने साढ़े ९ बजे दिया था।

श्री अध्यक्ष---

मैं देख लूंगा (व्यवधान)।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, तय हुआ था कि दफा ५१ में जितने नोटिस आयेंगे उनका उल्लेख आप यहां सदन में करेंगे। अगर यह हो जाय तो यह हल्ला न हो। सदन में यह भी बता दिया जाय कि आपने उनको क्यों अस्वीकार कर दिया है ?

श्री राम गोपाल सण्ड—

श्रीमन्, इलाहाबाद के संबंध में मैंने भी एक नोटिस दिया था कि वहां पर ३ हजार मेहतर हड़ताल पर हैं। वहां पर बीमारी फैलने का डर है।

श्री अध्यक्ष—

जो मैं अस्वीकार करता हूं, उनको भी संबंधित मंत्री के पास भेज देता हूं ताकि वे उन पर भी कार्यवाही कर लें और सदन को बता दें। अब अगर आप चाहते हैं कि बजट पर चर्चा हो और सदन का समय नष्ट न हो तो बैठने की कृपा करें अन्यथा मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत जोत कर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि चकबन्दी में जो शामिल खाते होते हैं एक दूसरे से अगर अलग हो जायं तो किसानों के परिवार वालों को कार्य करने में अत्यन्त असुविधा होती है। इसलिये जरूरी है कि पास-पास खत हों।

श्रीमन्, हमारे गांव में वहां के लोग लेखपाल से बहुत परेशान थे। जब ए० डी० ओ० से कहा कि इसका तबादला होना चाहिये, यह बहुत बेईमान आदमी है तो उन्होंने कहा कि पंचायतराज ऐक्ट की धारा २२ के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि अपने यहां के कर्मचारियों को हटाने के लिये पंचायत राय दे सकती है। पंचायत ने वह प्रस्ताव पास कर के ए० डी० ओ० के पास भेज दिया। ए० डी० ओ० ने एस० डी० ओ० के पास भेज दिया। वह बहुत नाराज हुये। उन्होंने कहा यह पंचायत तो मेरे ऊपर सवार होने लगी। तो उन्होंने नाराज हो कर एक ऐसे पटवारी को भेजा जो कानपुर में सब जगह हो आया था और चरित्रहीन था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। मैंने एस० डी० ओ० से कहा कि क्या आप सजा दे रहे हैं। तो मैं माल मंत्री जी से कहूंगा कि जरा इसे देख लें। हमारे यहां जब कभी चर्चा होती है तो सोशलिस्ट पार्टी से यह कहा जाता है कि सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ करो। मैं कहता हूं कि लगान चाहे दूना कर दो लेकिन भूमिहीनों को जमीन दो।

*श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लगान की वसूली में जो सख्ती होती है उससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है। बड़े-बड़े लखपती और करोड़पती व्यापारियों के ऊपर तो लाखों रुपये का टैक्स बाकी रहता है और वर्षों तक उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होती है किन्तु छोटे-छोटे किसानों पर २, ४, १० रुपये की मालगुजारी अगर बकाया है तो उनको हवालात में बन्द कर दिया जाता है। यह कहां का न्याय है। दूसरे कभी कभी ऐसा होता है कि उनके विभाग के अधिकारी अपनी अपनी अदालतों में कोई चन्दा या नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट ले कर बैठ जाते हैं और अगर आप उनके पास किसी काम से जायं तो वे कहते हैं कि पहले चन्दा दो या सर्टिफिकेट खरीदो तब तुम्हारा काम होगा। इसके अलावा अब लेखपाल भी परिवार नियोजन के काम में घसीट लिये गये हैं। वह बराबर काश्तकारों को इस बात की धमकी दिया करते हैं कि अगर तुम नसबन्दी नहीं कराओगे या लूप नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारे खाते में दूसरे का नाम चढ़ा दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाकान्त वाजपेयी—]

आज किसान से इन्तखाब के लिये १०–१५ रुपये तक मांगे जाते ह। इसके लिये दूसरा तरीका तहसील में दरख्वास्त देने का है। लेकिन दरख्वास्त देने के बाद भी वहां उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती और महीनों पड़ी रहती है और अन्त में गायब हो जाती है। इसलिये राजस्व मंत्री जी कृपा करके ऐसा कानून बनावें कि प्रति वर्ष जब किसान से लगान की वसूली की जाय तो उसे खसरे की नकल दे दी जाय नहीं तो काश्तकार चिन्तित रहता है। हम यह मानते हैं कि किसान ही जमीन का असली मालिक है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जमींदार तो भूमिधर हो गया मगर किसान अभी सीरदार ही बना हुआ है और उससे आप बीस गुना मांगते हैं। उसके पास इतना पैसा होता तो उसे किस बात की चिन्ता थी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अधिवासी और सीरदार वगैरह को हटा कर केवल एक वर्ग के किसान का निर्माण करें। बगल में बिहार प्रान्त है। वहां तो किसान ही जमीन का असली मालिक है। उसे कुछ भी जमा नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में रामगंगा नहर का निर्माण हुआ है। उसमें मुआवजा इतना कम दिया गया है कि बाजार में तो जमीन की कीमत एक हजार रुपया बीघा है और मुआवजा दिया गया है १०० रुपया या ५० रुपया बीघा। इससे किसान को बहुत नुक्सान हुआ है। मैं चाहूंगा कि मुआवजे के लिये एक न्याय का अधिकारी नियुक्त किया जाय और जो जमीन की कीमत हो उस हिसाब से मुआवजा दिया जाय।

इसके अलावा लेखपाल लोग इन्तखाब नहीं देना चाहते और मौके पर तो वे कभी जाते ही नहीं हैं। वे तो अगर एक वर्ष में खरीफ की फसल बोयी है तो रबी की कर देते हैं और दूसरे साल में रबी की जगह खरीफ की कर देते हैं। आजकल चकबन्दी हो रही है उसमें भी यही हाल है। असरदार लोगों के अच्छे चक बन जाते हैं और गरीबों के खराब। अगर बीच में आबादी है तो उसको नहीं मानते, रास्ता है तो उसको नहीं मानते। नतीजा यह होता है कि कागज पर तो एक ही चक होता है लेकिन वैसे ५–५, ६–६ हो रहे हैं। इस तरह से चकबन्दी से कोई लाभ नहीं हुआ।

जो सबसे मुख्य बात है वह यह कि काश्तकारों को एक पास बुक बनवा दी जाय जिसमें उनकी जमीन की मालियत लिखी हो। क्योंकि ऐसे अगर उन्हें तकावी की जरूरत होती है तो वह दौड़ा-दौड़ा फिरता है तहसील में और ब्लाक में और उसे जितना रुपया मिलने वाला होता है उतना ही घूस में देना पड़ता है।

इन बातों की ओर आप का ध्यान दिलाते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला–खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो मांगे रखी हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। माल विभाग के बारे में मेरा पहला सुझाव तो यह है कि जिलों के अन्दर दाखिल खारिज की हजारों दरख्वास्तें पेंड़िग पड़ी हैं। काश्तकार परेशान हैं। हम चाहते हैं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इधर ध्यान दें। बहुत से मुकदमे तहसीलों से हटा कर परगनाधीशों की अदालतों में पड़े हैं अगर मुकदमे तय हो जायं, तो जनता का और सरकार का दोनों का फायदा हो। दूसरी बात जिसे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं भी इस राय का हूं कि चकबन्दी के फलस्वरूप जो जमीन बचत की शक्ल में जनता के हित में छोड़ी गई है, उसके ऊपर जो ऐडवर्स पजेशन अनधिकार किये पड़े हुए हैं, यह बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने है। जब तक सही आदमी को कब्जा न दिलाया जाय तब तक चकबन्दी के बाद वह समस्या हल नहीं होती। भूमि सुधार के नाम से जो काम किया गया वह काम पूरा नहीं हुआ बल्कि वह एक समस्या बन गया, यह ठीक नहीं है, कब्जा उनको दिलाया जाय। बहुत से ऐसे मामले हैं कि जिस गरीब को चक मिल गया वह उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। उसके बदले में जो असली नम्बर थे, वह जिसको मिला वह भी ले लिया और जो उसको मिलने चाहिए था वह भी उसको नहीं मिली। कब्जा गांसिबाना हटाना चाहिए।

इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सीलिंग के अन्दर जो जमीन निकली है और गांव समाजों को मिली है, या राज्य सरकार में चकबन्दी से निहित हुई है वह जमीन भूमिहीनों को नहीं मिल रही है। मैं अदब के साथ आप के द्वारा निस्संकोच कहना चाहता हूं कि हमारे खीरी जिले के अन्दर कुछ बड़े फार्म्स हैं, जो दो सबसे बड़े मिल हैं, हिन्दुस्तान शुगर मिल्स गोला और अवध शुगर मिल्स हरगांव। हिन्दुस्तान शुगर मिल्स का जमुना-बाद फार्म है और अवध शुगर मिल का पिपरा फार्म है। इनकी हजारों एकड़ आराजी जो सीलिंग से हासिल हुई है, न्याय संगत बात यह है कि वहां के भूमिहीनों को वह मिलनी चाहिए जो वहां के निवासी हैं, जो पुस्तह.पुस्त वहां रह रहे हैं। लेकिन पंजाब, गोरखपुर, देवरिया से आये हुए बाहर के लोगों को बसा दिया गया। जिनसे जमीन ली गई है उन्हीं को दी जा रही है। मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय राजस्व मंत्री जी से कि वह भूमि गरीबों को दी जाय।

यहां पर माल विभाग और वन विभाग का बहुत झगड़ा जिला खीरी के अन्दर है। कुछ भूमि जो खेती के योग्य है, बीसों वर्षों से यहां का काश्तकार गाढ़ी कमाई करके जोतता है और उसकी मालगुजारी दे रहा है। जंगल विभाग कानूनी पेचीदगी से उसको हासिल कर रहा है और चकबन्दी के दौरान उजुरदारियां कर रहा है। जो आप के जंगल हैं वह कटा जा रहे हैं, उन पर बड़े आदमी कब्जा कर रहे हैं लेकिन जो गरीबों की जमीन है वह ली जा रही है। जिसमें जंगल पैदा नहीं हो सकता है उस जमीन को लेकर गरीबों को दी जाय, यह जरूरी है। हमारे जिले के अन्दर आज नक्सलबाड़ी के नाम से बहुत काम चल रहा है। अगर गरीबों को जमीन मिल जाय तो यह बात नहीं हो सकती है। राजस्व विभाग का इन बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जंगल विभाग हमारे किसानों की आराजी को लेता है। तमाम मिनजुमला नम्बरान गजट के अन्दर छाप देते हैं काश्तकारों को पता नहीं चल पाता है। मेरा यह सुझाव है कि जिस गांव के अन्दर जिस काश्तकार की जमीन ली जाय उसका नाम, पता, वल्दियत, गांव, परगना, खेत का रकबा लिख कर अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाय ताकि उसको उजुरदारी करने का मौका मिले और जब सेटलमेंट अफसर के यहां तय हो जाय कि आराजी बन विभाग में गई यह काश्तकार को मिले तो उस समय डिमारकेशन का मौका मिले तो उस वक्त खयाल रखना चाहिये कि उस समय वन विभाग और माल विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर रहें ताकि हद बन्दी जो हो वह सही तरीके से हो, जिससे कि वन विभाग के अधिकारियों को वहां के किसानों को परेशान करने का मौका न मिले, अपनी मनमानी करने का मौका न मिले। इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि इस सुझाव पर वह ध्यान दें तो काश्तकारों को फायदा होगा। इन सुझावों को देकर मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा जो मांग पेश की गई है, उसका हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, मैं साथी रूपनाथ सिंह यादव के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। भू-राजस्व के बजट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंग्रेजी संस्करण के पांचवे पेज पर लिखा है कि २३ लाख बेकार होंगे जिसमें साढ़े पन्द्रह लाख ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और साढ़े सात लाख शहरी क्षेत्र में होंगे। इस समस्या को हल करने के लिए एक मात्र उपाय है, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी कृषि की जमीन है, उसे भूमिहीनों में बांट दिया जाए। चौथी पंच वर्षीय योजना के पृष्ठ २६ पर लिखा हुआ है कि ५६ लाख एकड़ जमीन कृषि योग्य है और इसी प्रकार से फारेस्ट जिस पर पेड़ नहीं हैं, १२ लाख एकड़ हैं, २० लाख एकड़ सीलिंग ऐक्ट की जमीन है और ४० लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जिसपर सरकारी फार्म्स हैं, एक गांव सभा की जमीन हैं। इस प्रकार से पूरे उत्तर उत्तर प्रदेश में कुल १२५ लाख एकड़ कृषि योग्य जमीन हैं। यदि इसे भूमिहीनों में ३ एकड़ के हिसाब से बांटा जाय तो ४० लाख परिवारों को जमीन मिलेगी। इससे उत्तर प्रदेश

[श्री हरिबंश--]

के बेकारों की समस्या कुछ हल हो जाएगी। और जब भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, तो गांवों में खेत मजदूर मिलेंगे जिसके फलस्वरूप जो बेकार खेतिहर लोग नगरों में नौकरी की तलाश में मजबूरी में चले गये वे गांवों में लौटकर आएंगे और अपने खेत पर काम करके अपनी बेकारी हल कर लेंगे। इससे प्रदेश की खाद्य समस्या और बेकारी की समस्या दोनों दूर हो सकती हैं। मैं सरकार का ध्यान सन् १९६७ के उनके पूरक चुनाव घोषणा-पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, जब गुप्ता जी की सरकार गिरी थी तो वह कुछ सही बात सोचने के लिये विवश हुए थे बल्कि चुनाव घोषणा-पत्र में पहले नम्बर पर लिखा था कि अलाभकर जोतों से लगान हटाने के सिद्धान्त को कार्यान्वित करेंगे लेकिन ज्योंही गद्दी पर बैठे, इस बात को भूल गये। यानी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस बात का जिक्र तक वे इस बजट में नहीं लाये।

मैं आप का ध्यान रेवेन्यू विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं। बोर्ड आफ रेवन्यू के अध्यक्ष या सदस्य वे ही लोग बनाये जाते हैं जो कलेक्टरी में असफल रहे और कमिश्नरी का काम करने की क्षमता जिनमें नहीं है। इसके कारण वहां बराबर धांधली होती रहती है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की दफा ३४ के अन्दर जितने मुकदमें होते हैं खुल्लमखुल्ला उसके लिये सरकार ने छूट दे रखी है कि तहसीलदार केवल रिकमेंड करें तथा एस० डी० एम० फैसला करें। इसलिये इस कानून को भी सरकार को दुरुस्त करना चाहिये। इसके अतिरिक्त कुछ मुकदमे माल के ऐसे हैं जिनमें तीन तारीख लगातार पड़े और कार्यवाही न हो तो उसमें मैजिस्ट्रेट को कारण लिखना पड़ता है कि क्यों तीन तारीखें डालनी पड़ीं और उनमें कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन अब मजिस्ट्रेट वकीलों से मिलकर ऐसा सेटिलमेंट कर लेते हैं और वकीलों की मौजूदगी में ही मुकदमों में एकतरफा डिग्री दे देते हैं और पुनः दुबारा दरख्वास्त लेकर रिइंस्टेट करते हैं। इस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। मैं रेवेन्यू विभाग के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव यह है कि मालगुजारी अथवा भू-राजस्व की समाप्ति। आय कर के दायरे में आने वाले किसानों से आय कर लिया जाय, किन्तु मालगुजारी पूरी तरह से समाप्त हो।

दूसरा सुझाव यह है कि सात वर्ष की योजना बनाकर सब सिंचाई योग्य जमीन को सिंचाई से पानी दिया जाय। सिंचाई का पानी सब किसानों को मिलना चाहिये। बिजली तथा अन्य साधनों पर सिंचाई की प्राथमिकता लादी जाय। जो जमीन जिस सिंचाई के लायक हो उसे उपलब्ध कराया जाय।

तीसरा सुझाव यह है कि खेतिहर तथा उद्योगी दामों में संतुलन कायम किया जाय और दैनिक जरूरतों की उद्योगी चीजों के बिक्री दाम लागत और ढुलाई खर्च के डेढ़ गुना से ज्यादा किसी हालत में न हों तथा दो फसलों के बीच किसी अनाज का दाम बीस सैकड़ा से ज्यादा न बढ़े।

चौथा सुझाव यह है कि जमीन का एक न्यूनतम उत्पादन कायम किया जाय और उससे नीचे जाने वाली जमीन की जब्ती हो। शर्त यह है कि हर उचित साधन को सरकार पहले मेहैया करे, ताकि मेहनत करने वाले किसान की जमीन कभी न जाये।

पांचवां सुझाव मेरा यह है कि नयी जमीन पर आधुनिक ढंग की निजी खेती कायम करने की भी सुविधा हो, पर अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ऐसा हो।

मान्यवर, यदि मेरे इन सुझावों को ध्यान में रख कर अगर राजस्व मंत्री जी कानून बनावें तो पूरे उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है। आपने लेखपालों को जो मुकर्रर कर रखा है उसका क्या काम है। पहले पटवारी थे, आपने उनकी जगह लेखपालों को रखा। लेकिन आज गांवों में जो कत्ल, बलवे, उत्पात हो रहे हैं वह इन लेखपालों के कारण होते हैं और इन्हीं के कारण गांवों में आज चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब मंत्रीगण दौरों पर जाते हैं तो लेखपाल ही जिलाधीश का माध्यम है जिसके जरिये से उनके स्वागत आदि में पैसा खर्च होता है। वह पैसा

कहां से आता है। यही लेखपाल इकट्ठा करता है। तो आप को इस सारी समस्याओं को ठीक करने के लिये मेरा सुझाव है कि आप किसानों को पास बुक दे दें जिससे लेखपाल जो धांधली कर रहे हैं उससे वह वंचित हो जायं। चकबन्दी जो चल रही है वह तो श्रीमन्, भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। हमारे देवरिया जिले में चकबन्दी चल रही है। ऐसा लगता है कि सारा भ्रष्टाचार वहीं पहुंच गया है। इसमें भी आप को सुधार करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय समाप्त। अब आप बैठें।

*श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री द्वारा जो अनुदान पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सीलिंग के बटवारे के बारे में मैंने बहुत से साथियों को सुना। मैं यह कहूंगा कि सीलिंग की जमीन ज्यादा नहीं निकली है। जो जमींदार अकर्मण्य थे या कुछ जानते नहीं थे उनसे ही जमीन सीलिंग में निकली है। बाकी लोगों से जमीन नहीं निकली है। ऐसा हुआ है कि जो उनके पास ऐसी जमीन थी जो काश्त में नहीं आ सकती थी वही निकली है। हमारे यहां ऐसे उदाहरण हैं कि एक आदमी का परिवार है। एक ही आदमी है लेकिन हजारों एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हमको याद है कि वहां एक अधिकारी आने वाले थे। तो जब उनको मालूम हुआ कि सबेरे आने वाले हैं तो उन्होंने एक बाग की पूरी डालियां काट डालीं और दिखा दिया कि यह बाग है। हमारे यहां दूसरों के नाम खेती भी चल रही है। यहां पर नक्सलपन्थियों की बात की जाती है मगर मैं कहूंगा कि भूमिहीन लोगों को जमीन देना ही होगा। यह भी देखना है कि यह धरती रबर नहीं है तो उसी हिसाब से धरती को देंगे। भूतपूर्व जमींदारों के पास वह सारी जमीन पड़ी हुई है। सरकार जरा भी ध्यान दे तो सारी जमीन उनसे निकल सकती है और दूसरे लोगों को दी जा सकती है।

मैं यह अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आजादी की रोशनी गांवों में नहीं पहुंची है। वहां के किसान, मजदूर और हरिजन जानते नहीं हैं कि यह अंग्रेजों का राज्य है या कांग्रेस का राज्य है। एक किसान मर गया तो फिर उसकी विधवा का कब्जा हुआ। फिर उस विधवा के मकान पर दूसरे ने कब्जा कर लिया। जब उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई तो उस विधवा को थाने में बुला कर पीटा गया। ४ आदमी आये और उस विधवा को पकड़ कर ले गये। इस प्रकार से आज भी जमींदार जुल्म कर रहे हैं। जब मैं वहां गया तो वे कह देते हैं कि हमारे गांव में राजबहादुर चन्द्र जी कैसे आ गये। एक एम० एल० ए० तक को वे गांव में घुसने नहीं देते हैं, सबको धमकी देते हैं। बंजर जमीन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि बंजर जमीन गांव समाज के लोगों ने दबा रखी है। ७५ फ़ीसदी जमीन गांव समाज के प्रधानों के कब्जे में है। मान्यवर, एक गांव है जहां केवल १० एकड़ बंजर जमीन छोड़ी गई है वही देकर उनसे हलवाही कराते हैं। जितनी बंजर भूमि है वह भूमिहीनों को दी जाय, इसके लिये जब बेचारों ने दरख्वास्त दी तो मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जनसंघ के एक नेता ने जो एक बड़े जमींदार हैं, उन्होंने उनको कुचलने और दबाने के लिये क्या क्या कर्म नहीं किये। (शेम शेम की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

उनकी तरफ से जितनी बातें कहीं गयीं वे सब इस कांग्रेस शासन में ही हुआ है और हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजबहादुरचन्द—

श्रीमन्, आप के द्वारा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के मौके पर वोट देने के लिये जाने से रोका गया, आज जो उनके लिये रोते हैं और यहां आंसू बहाते हैं, यह सब उन्हीं के द्वारा हुआ जो आज हरिजनों की बात करते हैं। जो दुर्दशा उन गरीबों की है वह कहने की नहीं है। राजस्व मंत्री के पास उन्होंने इस तरह की दरख्वास्तें दीं तो बड़ी कृपा कर के अधिकारियों के पास उन्होंने लिखा कि बंजर भूमि हरिजनों को दी जाय। अधिकारियों ने कृपा करके एक कड़ी चिट्ठी थानेदार के पास लिखी। उसने मालिक से जाकर कहा कि आप के खिलाफ़ ऐसे चार्जेज हैं। इस पर मैनेजर साहब जीप लेकर आये और १५० आदमियों को थाने पर ला कर खड़ा कर दिया और उन लोगों ने कहा कि हमें कोई शिकायत नहीं है, हमसे बेगार वगैरह नहीं लिया जाता। फिर जिलाधिकारी ने लिखा कि दारोगा ने उन्हें लिखा है कि नायब दरोगा मौके पर गये थे और उन्होंने सारी चीजों की व्यक्तिगत जानकारी की। बहुत सारे लोग थाने में आये थे और उन्होंने इस तरह का बयान दिया। मैं समझता हूं कि इससे गरीबों का कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि कोई नियम बनाकर सारी बंजर जमीन हरिजनों व भूमिहीनों को न दे दी जाय। साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि गांव सभाओं में जो भूमि प्रबन्धक कमेटियां बनी हुई हैं वे सब फ़र्जी हैं जब तक उनको खत्म करके सारा इन्तजाम जिलाधिकारियों के हाथ में नहीं दे दिया जाता तब तक भूमिहीनों में भूमि का ठीक से बंटवारा नहीं हो सकेगा।

इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो सारी सुविधायें वह जनता को पहुंचाना चाहती है वे जनता तक नहीं पहुंचतीं, उन गरीब किसानों तक नहीं पहुंचतीं बल्कि मध्यवर्ती लोग ही उन सारी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। अगर माननीय सदस्य वास्तव में चाहते हैं कि गरीबों का भला होना चाहिये तो उनको चाहिये कि वे अपने स्वार्थ को भूल जायं और किसानों को बेगार वगैरह के लिये मजबूर न करें।

जहां तक किसानों को पास बुक देने की बात है, जितनी जल्दी हो सके, पास बुक का वितरण जरूर किया जाय। किसान दो-दो चार-चार जगह से कर्जा लेते हैं और मुझे तो ताज्जुब होता है कि किसान जो कर्जा लेते हैं वह भी घूस देने की बात कर के। जब किसानों के पास पास बुक होगी तो उसमें लिखा होगा कि उसने सरकार से कितना कर्ज लिया, गांव सभा से कितना लोन लिया, लैंड डेवलपमेंट बैंक से कितना लोन लिया, ब्लाक से कितना लोन लिया। इस तरह से जो भी लोन वह लेगा वह पास बुक में लिखा रहेगा और इस तरह से फर्जी लोन नहीं लिखा जायेगा जिससे उसको राहत मिल जायेगी।

इसी तरह से खसरा में जो वर्ग ९ का इन्दराज है उसको भी पटवारी के हाथ से निकाल कर कानूनगो के हाथ में दे दिया जाय। कापिस्ट का जो खाना है उसे भी खत्म कर दिया जाय। पास बुक में सारी बातें लिखी जायेंगी तभी उनका कल्याण हो सकता है।

श्री शिवपालसिंह (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक ऐसे जिले के सवाल की ओर ले जाना चाहता हूं जहां से हमारे मन्त्री जी बहुत निकट से सम्बन्धित हैं। वह जिला उन्नाव का है। जिसके किनारे करीब साठ मील गंगा नदी बह कर कानपुर और उन्नाव और फतेहपुर को अलग करती है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहने जा रहा हूं कि साठ मील गंगा का जो एरिया है, इस एरिया में प्रति वर्ष कानपुर और उन्नाव के बीच इस तरीके की समस्यायें पैदा हो जाती हैं जिनके लिये दोनों क्षेत्रों के कमिश्नर ग्रेड की मीटिंग बुलाई जाती है। दोनों जिलों की बैठकें होती हैं लेकिन प्रति वर्ष वे समस्यायें तय नहीं हो पातीं कि कौन-सी भूमि कानपुर के जिले में आती है और कौन सी उन्नाव जिले से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी ऐसी समस्यायें आई हैं जहां पर अधिकारी बीच में रहे हैं और इधर की और उधर की जनता हथियारों से लैस खड़ी रहती है और मुकदमें चलाये गये हैं।

कई बार पिछले वर्ष मीटिंग्स हुईं कटरी की जमीन के बारे में और हमारे जिलाधिकारियों ने माननीय मंत्री को, बोर्ड आफ़ रेवेन्यू को कई बार पत्रों द्वारा इस बारे में विचार करने लिये कहा कि उन्नाव की कटरी की भूमि सम्बन्धी समस्या के लिये एक अलग से सेटिलमेन्ट आफ़िसर

की नियुक्ति की जाय और बोर्ड के अन्डर से ऐसा स्टाफ भेजा जाय जो उन्नाव, कानपुर और फतेहपुर की जमीनों का सुलझाव करे जिससे रोजमर्रा आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सके। माननीय महोदय, यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, गंगा की बाढ़ प्रति वर्ष आती है, यह सभी को ज्ञात है। ऐसी दशा में ये समस्यायें आये दिन तैयार रहती हैं और उन समस्याओं को पैदा करने में हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कोई कम नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि एक खेत का मौका लेखपाल एक व्यक्ति को बता आता है। दोबारा दूसरे को बता आता है। यह हमारे सामने है। नतीजा यह होता है कि आये दिन उन्नाव में इस क्षेत्र में क्राइम होते रहते हैं। इसकी मुख्य रूप से जड़ देखी जाय तो भूमि समस्या ही मिलेगी। गत महीने में माननीय मंत्री जी उन्नाव गये थे और हमने उनके सामने अपनी समस्यायें रक्खी थीं और यह कहा था कि समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र करने की कोशिश करें। हमने कई बार उन्नाव की मीटिंग्स में यह प्रस्ताव पास किया कि किसी तरीके से किसानों के लिए एक ऐसी बन्दिश कर दी जाय चाहे वह पत्थर के खम्भे लगा कर की जाय, किसान उनका खर्चा देने को तैयार हैं। यह मालूम हो जाय कि बाढ़ आ जाने के बाद बाढ़ नहीं रह जाती। अगर खम्भे लगा दिये जायेंगे तो अगले वर्ष और आने वाले वर्षों के लिये समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल लेखपाल के सर्वे का है एक-एक गांव में आठ-आठ हजार एकड़ जमीन है कटरी के क्षेत्र में। होता यह है कि यह जो पांच साला बन्दोबस्त तैयार किया जाता है मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके विभाग से जो पांच साला बन्दोबस्त के फार्म जाते हैं वे टैक्नीकली रांग हैं। जो बन्दोबस्त होता है वह कायदे से इस फार्म पर नहीं होना चाहिये जो तहसीलों से भेजे जाते हैं। माननीय मंत्री जी बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक लेखपाल आठ और नौ हजार एकड़ जिस गांव की जमीन होगी उसका सर्वे या बन्दोबस्त पांच साल अगर लगातार भी करे तो भी नहीं कर सकता है। इसके बाद मैं अपने यहां की समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमारे यहां चकबन्दी उन्नाव तहसील में सबसे प्रथम वर्ष में हुई थी। उस समय चकबन्दी का कानून न सरकारी कर्मचारी समझते थे और न ही जनता समझती थी। नतीजा यह हुआ कि न चक रोड छोड़ी गयीं न एक नाली हिस्से में आई। आज भी मैं कहने को तैयार हूं कि ७५ फी सदी जो मुकदमें चल रहे हैं वे नक्शे की दुरुस्ती पर चल रहे हैं। यह नक्शों की समस्या वहां आज तक बनी हुई है। आपने लेखपाल के हाथ से कब्जा लिखने का अधिकार ले लिया और उससे एक सीढ़ी ऊपर कानूनगो को उसका अधिकार दे दिया। अब लेखपाल—ग—ख २४ में उसकी रिपोर्ट करेगा और उसके बाद कानूनगो तस्दीक करके कब्जा लिखायेगा। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि अब सौदे की दो सीढ़ियां हो गयीं। पहले लेखपाल का पेट भरो, उसके बाद कानूनगो का भरो। अगर कानूनगो को नहीं मिला तो उसका काम नहीं होता। लिहाजा यह तो एक फर्जी सी चीज हो गयी।

पट्टों के संबंध में लिखा गया है कि ७५ हजार पट्टे रद्द किये गये। उन्नाव जिले में वैसे तो किसी गरीब का पट्टा ही नहीं हुआ, न किसी भूमिहीन का पट्टा हुआ। जो खारिज हो भी रहे हैं तो वह हरिजनों के और गरीबों के ही खारिज हो रहे हैं। उन्नाव जिले में एक भूतपूर्व विधायक थे, उनके पिता भी विधायक थे। उनका पट्टा खारिज हुए ८ माह हो गये हैं लेकिन कब्जा बेदखल नहीं हुआ। यह ऐरा भदियार ग्राम में हुआ। यह खारिजी केवल कागजी हो रही है। जमीन वहां एक इंच भी खाली नहीं मिलेगी।

उन्नाव जिले में प्रत्येक वर्ष बहुत ज्यादा आग लग जाया करती है। उनवां गांव के ७०० घरों में से एक घर भी नहीं बचा। सब भस्म हो गये। चार दिन आग बुझाने में लग गये। साढ़े सात हजार रुपया तकावी स्वीकृत हुआ, उसमें १० रुपया प्रति व्यक्ति भी नहीं मिला

[श्री शिवपाल सिंह---]

है। दूसरा मामला गयिजाखेड़ा (पीपर खेड़ा) का है। वहां भी यही हाल है। १०-१० रुपया दिया गया है। यह इलाका बाढ़ग्रस्त है। केवल एक ही फसल होती है। इन्सान भूखों मर रहे हैं। डी० एम० से कहा, लिखकर दिया कि हाउस सब्सीडी के नाम से अनुदान दे दो। लेकिन अभी तक नहीं दिया। १० रुपया में खायें और छप्पर छायें?

उन्नाव-रायबरेली रोड अचलगंज से एक सड़क है जिस पर लाखों रुपया खर्च हो चुका है वह अमर शहीद चन्द्र शेखर मार्ग के लिये गयी है। मंत्री जी उसके संरक्षक हैं। प्रतिवर्ष वहां जाते हैं। यह सड़क अकतगंज से कानपुर राजमार्ग को मिलाती है। इसमें से ८ मील डामर की बन गयी है लेकिन तीन मील बनना है। पिछली सड़क खत्म हो जायगी तब ३ मील की मंजूरी आयेगी।

स्नेही जी कानपुर मेडीकल कालेज में बीमार हैं। और हमारे जिले उन्नाव ग्राम हड़हा के रहने वाले हैं। माननीय कमला पति त्रिपाठी जी भी उन्हें देखने के लिये अस्पताल में गये थे। उनके नाम से एक सड़क गांव हेतु बनायी गयी थी। आज उसमें एक-एक हाथ के गड्ढे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कभी वे उन्नाव की समस्याओं की ओर भी ध्यान देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल फिर साढ़े १० बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १०.३० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३० जुलाई, १९६९।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३२ पर)

मिर्जापुर जनपद के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ३१–५–१९६९ तक निम्नलिखित सहायता कार्य किये गये

१—५३,८०,१९१ रुपये के सरकारी देयों की वसूली स्थगित की गयी। इसमें मालगुजारी, सिंचाई शुल्क, तकावी, कृषि बीज व खाद की तकावी तथा चकबन्दी शुल्क शामिल है।

२—लोगों को रोजगार देने के लिये टेस्ट वर्क्स खोले गये। इन पर ३९,११,४१९ रुपया व्यय हुआ तथा ४८,४३,२९९ व्यक्तियों को काम दिया गया।

३—"काम करो गल्ला पाओ" योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में काम चलाये गये। इनके लिये ३३७० कुन्टल ८० किलोग्राम गेहूं दिया गया।

४—हैंड पम्प लगा कर, पाइप लाइन बिछाकर, कुओं को गहरा करके तथा ट्रक व टैंकरों आदि से पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की गयी। इसके लिये गतवर्ष ६ लाख रुपये स्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पेयजल पर कुल ४८.८९ लाख रुपये खर्च करने की योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं।

५—पशुओं के पानी के लिये तालाबों (पोखरों) में पानी भरवाया गया इसके लिये १४,००० रुपये स्वीकृत किया गया।

६—८,०५१ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया।

७—१,०५४ कुन्टल ४६ किलोग्राम गेहूं मुफ्त वितरित किया गया।

८—१,१९० वस्त्र मुफ्त वितरित किये गये।

९—बीमारियों की रोक-थाम के लिये हैजे व चेचक के टीके लगाये गये, दवायें वितरित की गयीं तथा कुओं में दवा डाली गयी।

१०—सस्ते गल्ले की २५४ दूकानें खोली गयीं।

११—पशुओं के लिये चारा सुलभ कराने के लिये १२ चारा–कैम्प खोले गये।

१२—बच्चों व गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली स्त्रियों को पोषक आहार देने के लिये 'केयर' संस्था के सहयोग से आपःकालीन आहार योजना चलाई गयी। इसके लिये ३,५२,४०० रुपये स्वीकृत किये गये। ११,३९,५८२ बच्चों व ८४,२५५ स्त्रियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

१३—महुआ के पेड़ों के फल व फूल मुफ्त एकत्रित करने की सुविधा दी गयी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४० तथा ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४, ६३८ पर)

तालिका १

(१) अतरौली–पाली–मुकीमपुर–हरदोई सड़क
(२) अतरौली–गनियाबली–गाजीपुर–बरला सड़क
(३) बरोठा–रामघाट सड़क
(४) बिजौली–छर्रा सड़क
(५) अतरौली–कासगंज सड़क
(६) पनैटी–सांकुरा सड़क ।

तालिका २

आधुनीकरण

(१) अलीगढ़–रामघाट नरौरा सड़क
(२) अतरौली–कासगंज सड़क
(३) नानऊ–सांकुरा सड़क
(४) बिजौली–छर्रा सड़क
(५) अतरौली–अतरौली स्टेशन सड़क ।

नव–निर्माण

(१) अतरौली–पाली–मुकीमपुर–हरदोई–आलमपुर–फतेहपुर सड़क
(२) अतरौली–गनियावाली–गाजीपुर–बरला सड़क
(३) नरौना की डेरी–बंडोला–बरला सड़क ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

राष्ट्रपति शासन काल में सदस्यों द्वारा किराये पर लिये गये बंगलों का बाकी किराया

			धनराशि
क—बंगलों का बकाया किराया			रु०
१—श्री चरण सिंह जी	..	..	४२७.८० जून, १९६९ का बकाया
२—श्री ओम प्रकाश सिंह	..	..	५२० १३ जून, १९६९ तक का
३—श्री जयराम वर्मा	..	..	८३९.३६ जून, १९६९ तक का
४—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद	..	..	१,६८१.९५
५—श्री गिरधारी लाल	..	..	१,११७.१५
६—श्री कमलापति त्रिपाठी	..	..	५,०३०.२९
७—डा० सीताराम ..	..	..	३६२.६२
८—श्री दशरथ प्रसाद	..	..	३३७.१७
९—श्री राम मूर्ति ..	..	..	४५३.६८
१०—श्री जगन प्रसाद रावत	..	..	३९२ १८
११—श्री राम स्वरूप वर्मा	..	..	५१७.१२
१२—श्री मंगलदेव विशारद	..	..	७९१.३८
	योग	..	१२,४७०—८३
ख—विधायक निवासों के कक्षों का बकाया किराया			
विधायक निवास १			
१—श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी	..	..	४६४.००
२—श्री राजदेव उपाध्याय	..	..	१४२.५०
३—श्री धर्मराज सिंह	..	..	८०७.५०
४—श्री शब्बीर हसन	..	..	४३३.५०
५—श्री राजेन्द्र दत्त त्यागी	..	..	१७७.५०
६—श्री राजाराम पाण्डेय	..	..	४३०.००
७—श्री सुखदेव प्रसाद	..	..	१७७.५०
८—श्री चन्द्र सिंह रावत	..	..	६२७.५०
९—श्री राम प्रसाद	..	..	३२[illegible].००
१०—श्री गंगा स्वरूप भटनागर	..	..	१३०.००
११—श्रीमती कलारानी मिश्र	..	..	२६७.५०
१२—श्री नरदेव सिंह ..	..	..	८९०.५०

	धनराशि
ख—विधायक निवासों के कक्षों का बकाया किराया (असमाप्त)	रु०
१३—श्री बजरंग बली ब्रह्मचारी	१२८–५०
१४—श्री राम किंकर	१३७–५०
१५—श्री राम चन्द्र आजाद	२८७–५०
१६—श्री रईसुद्दीन	७१०–५०
१७—श्री देशराज सिंह	२९५–००
१८—श्री उग्रसेन	८०७–५०
१९—श्री जंग बहादुर वर्मा	१७४–००
२०—श्री चन्द्र देव तिवारी	३१५–५०
२१—श्री सियाराम	९०–००
२२—श्री नेकराम शर्मा	६६२–५०
२३—श्री देवी चरण अग्निहोत्री	५८५–५०
२४—श्री गोविन्द नारायण तिवारी	१२८–५०
२५—श्री बलबीर सिंह	२४३–००
२६—श्री गोपाल राम दास	७७२–५०
२७—श्री राम सरन सिंह	१७७–५०
२८—श्री त्रिवेनी राय	८७–५०
२९—श्री सुखदेव प्रसाद	१४३–००
३०—श्री नर्वदेश्वर	९८–००
३१—श्री अवैद्य नाथ	५३७–५०
योग ..	११,२५५–५०
विधायक निवास २	
१—श्री महमूद अली खां	१७७–५०
२—श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	३६१–००
३—श्री शीतला प्रसाद सिंह	३१५–५०
४—श्री हरिदत्त काण्डपाल	३९६–००
५—श्री नित्यानन्द पाण्डे	३५७–५०
६—श्री विजय शंकर सिंह	२४–५०
७—श्री दशरथ प्रसाद	८०–५०
८—श्री रामेश्वर सिंह	८७–५०
९—श्री जियाउर रहमान अन्सारी	१३७–५०
१०—कुंवर अशरफ अली खां	२६७–५०
११—श्री काली चरण अग्रवाल	२६७–५०
१२—श्री रघुबीर सिंह	५७२–५०

अनुप्रदर्शन विधान सभा

			धनराशि
ख—विधायक निवासों के कक्षों का बकाया किराया—(असमाप्त)			
			रु०
१३—श्री जवाहर लाल	..	..	८७–५०
१४—श्री राज किशोर तिवारी	..	..	१०७–००
१५—श्री सालिग राम..	..	..	२१८–५०
१६—श्री लटूरी सिंह ..	..	..	१७७–५०
१७—श्री रामायण राय	..	..	८०७–५०
१८—श्री राम प्रसाद देशमुख	..	..	८७–५०
१९—श्री बीर बहादुर	..	..	१३७–५०
२०—श्री राम अंजोर मिश्र	..	..	१७७–५०
२१—श्री बाबू बदरे ..	..	..	७१७–५०
२२—श्री राम नरेश शुक्ल	..	..	१७७–५०
२३—श्री अयोध्या प्रसाद	..	..	५३७–५०
२४—श्री राम अधीन सिंह यादव	..	..	२२३–००
२५—श्री इन्द्रजीत ..	..	..	१३७–५०
२६—श्री बेचन राम ..	..	..	३५७–५०
२७—श्री घनश्याम दास	..	..	८७–५०
२८—श्री चन्द्रबली सिंह	..	..	७८६–५०
२९—श्री भृगुनाथ ..	..	..	८९७–५०
३०—श्री गेंदा सिंह ..	..	..	७२०–००
		योग	९४८७–५०
विधायक निवास ३			
१—श्री शफकत जंग	..	..	७०–००
२—श्री जगदम्बा प्रसाद	..	..	४४७–५०
३—श्री नारायण दास	..	..	६२–५०
४—श्रीमती शकुन्तला देवी	..	..	६२–५०
५—श्री महरम सिंह	..	..	६२–५०
६—श्री लक्ष्मी शंकर यादव	..	..	६२–५०
७—श्री अवधेश प्रताप मल	..	..	८७–५०
८—श्री राम मूर्ति अंचल	..	..	३६४–५०
९—श्री ओंकार शरण कोठीवाल	..	..	१३२–००
१०—श्री सरजू प्रसाद त्यागी	..	..	२७०–००
		योग	.. १६२१.५०

धनराशि

ख—विधायक निवासों के कक्षों का बकाया किराया—(समाप्त)

विधायक निवास ४

			रु०
१—श्री शशि भूषण सिंह	..	..	६२७—५०
२—श्री कृष्ण कुमार पाल	..	..	२८७—००
३—श्री मदन मोहन सिंह	..	..	२६७—५०
४—श्री उदित नारायण शर्मा	..	..	१७७—५०
५—श्री सोहन लाल धुसिया	..	..	३५७—५०
६—श्री केदार जंग बहादुर राणा	..	..	६१०—००
७—श्री माता प्रसाद	..	..	१७७—५०
८—श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र	..	..	२७५—००
९—श्री मो० रफी खां	..	..	१७७—५०
१०—श्री विष्णु प्रताप सिंह	..	..	१७७—५०
११—श्री हरिहर बख्श सिंह	..	..	५३७—५०
१२—श्री राम बचन यादव	..	..	२६७—५०
१३—श्री राम नारायण त्रिपाठी	..	..	८७—५०
१४—श्री प्रभु दयाल ..	..	..	१६३—५०
१५—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	..	..	२६७—५०
१६—श्री मलिखान सिंह	..	..	८७—५०
१७—श्री हरिश्चन्द्र सिंह	..	..	८०—५०
१८—श्री राज नारायण सिंह	..	..	२१—००
१९—श्री मुन्नी लाल ..	..	..	३१९—५०
२०—श्री राम सुन्दर शास्त्री	..	..	१९७—००
२१—श्री भीखा लाल ..	..	..	१७७—५०
		योग ..	५,३४०.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

ओले से क्षति ग्रस्त तहसील पट्टी में ग्रामों की सूची जिसमें क्षति अनुमानित १०,००० रुपये से या उससे अधिक

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
१	चरैया	२९	बरासराम
२	अशोकपुर	३०	सुम्हा
३	पुरेसुखचैन	३१	सूर्यगढ़ जगन्नाथ
४	असुदी	३२	पूरेकुमार
५	अखोवा	३३	पूरेवसई
६	गड़ौरीकला	३४	पूरे चिरंगाव
७	चन्दुआ पट्टी	३५	दूरे दयाल
८	गड़ौरीखुर्द	३६	शंकरपुर
९	बहुता	३७	बदल पट्टी
१०	विरौती	३८	सुन्दरसुर
११	होशियारपुर	३९	पूरे मुकुन्द मु०
१२	रामकोल	४०	पूरेकोलाहल
१३	सराय भीमसेन	४१	चांटी
१४	परसनी	४२	सियरावासी
१५	रत्तूपुर	४३	रूकाय शंकर
१६	पूरेदूलम	४४	गंगापुर
१७	वनी	४५	सुजानगढ़
१८	लौवार	४६	पूरेउदयराम
१९	दुर्गादिई	४७	इटवा
२०	जोलहापुर	४८	रामपुर कांपा
२१	पूरेचिरंचिव	४९	कांपा हिस्सा ११
२२	अरहरपुर	५०	वीगा
२३	पूर्वी पट्टी	५१	नावलपुर
२४	औरंगाबाद	५२	डेहरी
२५	सलेवर	५३	टिगुड़ी
२६	निम्हा	५४	कस्तूरीपुर
२७	पंचपट्टी	५५	नेतरा
२८	बरासराय	५६	गंगहेटी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
५७	कंधई मधुपुर	८४	चकमझानीपुर
५८	बांझी	८५	रामापुर मु०
५९	ठकठइचा	८६	चकमु ारकपुर
६०	साल्हीपुर कंजास	८७	मगिस्त। उर्फ भवानीगढ़
६१	सरौली	८८	नागापुर
६२	उसका	८९	रैप्या
६३	पयागपुरऔरिता	९०	बासूपुर
६४	जोगीपुर	९१	माधापुर
६५	आसलपुर	९२	पालूपुर
६६	कीरतपुर	९३	धनापुर
६७	हरदत्तपुर	९४	पडरी पाल
६८	पूरेबेनीराम	९५	करिएत्ता
६९	गुतोली	९६	मबुरा
७०	शेषनपुर	९७	परशरामपुर
७१	फतेहपुर	९८	कोहन्डौर
७२	पूरेधना	९९	करौली
७३	बिजहरा	१००	मामूली
७४	परानपुर	१०१	लाखीपुर
७५	भनैतापुर	१०२	सलाहपुर
७६	नेवादापुर	१०३	बेसार
७७	पवुमपुर	१०४	ठेगुआ
७८	सलबसुफाली	१०५	तारडीह
७९	भंगापुर	१०६	जगदीशपुर
८०	लखनामऊ	१०७	ठनेपुर गोपालपुर
८१	हतसरा	१०८	मझौली
८२	पूरेचांदी	१०९	कामीसराय सैदर खां
८३	पीथापुर	११०	उसरौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओले से क्षति ग्रस्त तहसील पट्टी के ग्रामों की सूची जिसमें अनुमानित क्षति ८,००० रुपये से ९,००० रुपये तक की हुई

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
१	धर्मपुर	३	महोखरी
२	जलालपुर किठौली		

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम

ओले से क्षतिग्रस्त तहसील पट्टी के ग्रामों की सूची जिनमें अनुमानित क्षति ५,००० रुपये ८,००० रुपये तक हुई।

१	अमहरा	२०	आमीपुर २
२	बिजहरा	२१	मैसौनी
३	पुरषोत्तमपुर	२२	डेईडीह धौरहरा
४	बैसिह गढ़	२३	दाउदपुर
५	पूरेवासदेव	२४	सरमा
६	बन्सी पट्टी	२५	सराय मधई
७	सौनवट	२६	पूरे बसावन
८	हरमामऊ	२७	ब्राहिमपुर
९	सुमतपुर	२८	पहाड़ मुरार पट्टी
१०	पूरेबोध राम	२९	हरीपुर वरदैता
११	बेलसण्डी	३०	नेवादा
१२	समोगरा	३१	फतेहपुर
१३	परमीपट्टी	३२	गोविंदपुर
१४	लोनियापुर	३३	गोपालपुर
१५	तरबहा	३४	भरोखन
१६	आमीपुर नं० १	३५	भद्रवछ
१७	आमापुर	३६	भावापुर दूबे पट्टी
१८	धूती	३७	परसध
१९	ब्रिहिमपुर	३८	बीरापुर खुर्द

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पत्थरों से प्रभावित ग्रामों की सूची, तहसील प्रतापगढ़ की क्षति का अनुमानित विवरण

सूची 'अ'

क्रमांक	क्षति १,००० रु० तक अथवा उससे अधिक	क्रमांक	क्षति १,००० रु० तक या उससे अधिक
१	अन्तू	२७	दादूपुर अहिवरन
२	सरैइया	२८	भठिया रामदासपुर
३	भवानीपुर	२९	पारा हसीबपुर
४	मिश्रौली	३०	दादूपुर दौलत
५	बांसी	३१	कल्यानपुर
६	बैजलपुर	३२	आधारपुर
७	वरिया समन्दर	३३	कोलवजाडीह
८	गोबरी	३४	सड़वा चन्दिका
९	संग्रामपुर	३५	कमालउद्दीनपुर
१०	भोजपुर	३६	जोगीपुर
११	सेतापुर	३७	बझान
१२	ग्राम मऊ	३८	कटवा मानिकपुर
१३	गिधारा	३९	रघईपुर
१४	जैतीपुर कुठार	४०	तेवारीपुर
१५	पूरे भरत	४१	अर्जुनपुर
१६	छतरपुर	४२	उभरी
१७	बन्डा खुटार	४३	चतुरपुर
१८	राजापुर रैनिया	४४	डमरी
१९	पूरब गांव	४५	लोहगपुर
२०	पच्छिम गांव	४६	टेकार
२१	चौबेपुर	४७	गोडाखास
२२	फतेहपुर	४८	पूरे केशवराम
२३	शाहजहांपुर	४९	चौखड़
२४	धरौली	५०	सराय वीरभद
२५	नरी	५१	पूरे परमेश्वर
२६	लोहगी		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ब'

क्रमांक	क्षति १,००० रु० से कम तथा ५०० रु० से अधिक	क्रमांक	क्षति १,००० रु० से कम तथा ५०० रु० से अधिक
१	उसरी	१५	खिरिहा
२	सरायबली	१६	सरुआवा
३	पतुलकी	१७	वनमाला
४	चोखड़	१८	भैरोपुर
५	पूरे हुड़हा	१९	बखंडा
६	रघुनाथपुर	२०	रामचन्द्रपुर
७	बघुयार	२१	बालमुकुन्द पुर
८	कापा	२२	भागीपुर
९	बालापुर	२३	पूरे गाढ़े करोरा
१०	उपाध्यापुर	२४	जलालपुर
११	लोहंगपट्टी	२५	खैरा और बारी
१२	बासूपुर	२६	बुकनापुर
१३	बुझवा	२७	महम्दापुर
१४	कौथी पट्टी	२८	भवौसी

सूची 'स'

क्रमांक	क्षति ५०० रु० से कम	क्रमांक	क्षति ५०० रु० से कम
१	कमास	१३	पनगूपुर
२	सकतपुर	१४	कामापुर
३	धनौर	१५	कौराधाई
४	पूरेपितम्बर	१६	माधौपुर
५	परमनाथपुर	१७	तारनपुर
६	भानापुर	१८	रामपुर उमरी
७	सराय महिमा	१९	नागमलपुर
८	तारडीह	२०	आशापुर
९	आशापुर	२१	चौरा
१०	सांगापुर	२२	दसियापुर
११	पूरे तिल विक्रम	२३	बांसपुर बन्डी
१२	बिसहुला	२४	सराय भनई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	क्षति ५०० रु० से कम	क्रमांक	क्षति ५०० रु० से कम
२५	गोपालपुर	४२	रामगढ़ी
२६	रंजीतपुर चिलबिला	४३	जगदीशपुर
२७	भोरहा	४४	कादीपुर
२८	पूरे बन्सी	४५	यहुआर
२९	पूरे बहुरिया	४६	पटजौली
३०	यहुली	४७	जिरीयामऊ
३१	ईशरपुर	४८	बिशुनदासपुर
३२	सुनावा	४९	सहोदरपुर
३३	बेनीपुर	५०	सराय कल्यानपुर
३४	रामपुर गाड़ा	५१	ईसीपुर
३५	सराय वली	५२	जडईव कवेइया
३६	कुदुलिया	५३	सूगरा
३७	जहरगो	५४	पूरे ईश्वरनाथ
३८	पूरे माधो सिंह	५५	दहित गामऊ
३९	करौदी	५६	करमपुर
४०	गाय घाट	५७	बलीपुर पंडित ।
४१	आदमपुर		

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४७ एल० ए०— १९६९—८७० (प्रो०) ।